क.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम.

शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 7812-7814) 20 अक्टूबर, 2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

वक्फ-वक्फ अधिनियम, 1995-बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950-पब्लिक ट्रस्ट बनाम वक्फ-पब्लिक ट्रस्ट और वक्फ के बीच अंतर-चर्चा-आयोजितः जो कभी 1950 के अधिनियम से पहले वक्फ था, यदि इसे 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है, तो अधिनियम के प्रारंभ के साथ, ऐसा सार्वजनिक न्यास अनिवार्य रूप से वक्फ अधिनियम, 1995 के दायरे में आएगा-1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास हैं जो वास्तव में वक्फ हैं जो एस के तहत आते हैं।28 1950 के अधिनियम के अनुसार-उन्हें केंद्रीय अधिनियम के दायरे में आना चाहिए।, वक्फ अधिनियम, 1995-इसके विपरीत, 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत एक मुस्लिम सार्वजनिक न्यास को अधिनियम के तहत वक्फ होने की आवश्यकता नहीं है-यह निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की अटूट रेखा के विपरीत होगा जो सभी मुस्लिम सार्वजनिक न्यासों को एक ही ब्रश से रंगने और उन्हें वक्फ के रूप में इकट्ठा करने के लिए दो श्रेणियों के बीच इस तरह के विभाजन पर विचार करता है-जबकि एक मुसलमान के लिए वक्फ बनाने के लिए खुला है और आम तौर पर, वक्फ के माध्यम से संपत्ति समर्पित करने के लिए इनाम की संभावना होगी, यह निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से एक मुसलमान पर छोड़ दिया जाएगा कि क्या उसे अंग्रेजी न्यास द्वारा प्रदान किए गए उपकरण को अपनाना चाहिए या वक्फ के माध्यम से परिचित समर्पण करना चाहिए-कि क्या कोई संस्थान वक्फ है या सार्वजनिक न्यास है।28 1950 के अधिनियम को अनिवार्य रूप से वक्फ के रूप में माना जाना चाहिए-यह इस सिद्धांत पर है कि एक बार वक्फ बनाए जाने के बाद जब तक कि यह ऐसा मामला न हो जहां शीर्षक को समाप्त कर दिया जाता है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

राज्य द्वारा प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग, सर्वशक्तिमान की उपाधि हालांकि निहितार्थ से बंद नहीं हो सकती है।

वक्फ अधिनियम, 1995-वक्फ-के संवैधानिक तत्वः पहली अपरिहार्य आवश्यकता यह है कि समर्पण होना चाहिए-समर्पण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जो संपत्ति का मालिक है-समर्पण स्थायी होना चाहिए-स्थायी का अर्थ है कि यह एक अवधि के लिए नहीं हो सकता है; यह स्थायी होना चाहिए-एक वसीयत द्वारा भी एक वक्फ बनाया जा सकता है-जब एक वसीयत द्वारा एक वक्फ बनाया जाता है तो वह अपनी मृत्यु से पहले वसीयत को रद्द करने के लिए खुला होता है-उपरोक्त को छोड़कर, एक वक्फ को रद्द नहीं किया जा सकता है-एक वक्फ, फिर से जिसका अर्थ है कि संपत्ति जो एक वक्फ का विषय है, उसे अलग नहीं किया

जा सकता है-वक्फ का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि इसे मुस्लिम कानून द्वारा अनुमोदित किया जाए-उद्देश्य धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ होना चाहिए-यह।

ग

डी.

ई.

वक्फ अधिनियम, 1995 -धारा 4-अधिनियम के तहत सर्वेक्षण-आयोजितःसर्वेक्षण करना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि इसे अर्ध-न्यायिक जांच द्वारा सूचित किया जाना है-साथ ही, सर्वेक्षणकर्ता के पास यह पता लगाने की शक्ति है कि क्या कोई विशेष संस्थान वक्फ है।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-वैकल्पिक उपचार के प्रभाव के तहत शक्ति-आयोजितःअनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को अधिकारिता या शक्ति प्रदान करता है-यह संविधान के तहत एक शक्ति है-जबकि एक क़ानून एक वैकल्पिक मंच प्रदान कर सकता है जिसके लिए उच्च न्यायालय एक उपयुक्त मामले में पक्ष को खारिज कर सकता है, एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व स्वयं संविधान के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर नहीं कर सकता है।

च

जी.

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** इस बारे में कि क्या कोई संस्थान वक्फ है या सार्वजनिक न्यास, तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है।इसका मतलब है कि यह कर्तव्य बन जाता है कि जिस पर भी कर्तव्य पड़ता है, वह यह पता लगाए कि क्या

एच.

क.

यह या तो और उस दस्तावेज़ की शर्तों को ध्यान से ध्यान में रखना है जिसके द्वारा न्यास का साक्ष्य दिया जाता है यदि ऐसा कोई दस्तावेज़ है और तथ्यों को ढूंढना है और उसके बाद कानून को लागू किया जाना चाहिए।इस जाँच में संभवतः जो सर्वोपरि विशेषता सामने आएगी, वह यह होगी कि संपत्ति को किसी न्यास द्वारा, न्यास के मामले में, किसी न्यासी को संपत्ति से निपटने के लिए निहित किया जा रहा है।चाहे बिक्री की कोई शक्ति न हो, या अविभाज्यता एक ऐसा कारक हो सकता है जो मामले को संस्था के वक्फ होने के पक्ष में झुका सकता है बशर्ते कि अन्य विशेषताएं भी मौजूद हों जो अपरिहार्य हैं।**[**पैरा **142] [567-**सी**-**ई**]**

2. जब राज्य वक्फ बोर्ड के पास, कानूनी रूप से, यह मानने का कोई कारण है कि भारतीय न्यास अधिनियम, **1882** के तहत पंजीकृत किसी भी न्यास की कोई संपत्ति या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम **1860** के तहत पंजीकृत किसी भी सोसायटी या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी न्यास की संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो बोर्ड को कुछ शक्तियां और जिम्मेदारी दी जाती है।बोर्ड को उन कानूनों में से किसी में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उक्त संपत्ति के संबंध में जांच करने की शक्ति प्राप्त है।उक्त संपत्ति को किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति के रूप में समझा जाना चाहिए जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत इस मामले में पंजीकृत है क्योंकि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम किसी भी अन्य कानून के रूप में योग्य होगा।जांच के आयोजन से पहले उस प्राधिकरण को प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना दी जानी चाहिए जिसके द्वारा न्यास या सोसायटी को पंजीकृत किया गया है।इसे न्यास या न्यासियों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड को चैरिटी आयुक्त को प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना देनी चाहिए क्योंकि यह **1950** के अधिनियम के तहत प्राधिकरण है, जो उस अधिनियम की धारा **18** के तहत एक सार्वजनिक न्यास को पंजीकृत या पंजीकृत करता है। **[**पैरा **167] [582-**सी**-**ई**]**

ग

डी.

ई.

च

3. जब संसद ने **1995** में अधिनियम बनाया**,** तो उसे पता था कि वह वक्फ अधिनियम **1954** को निरस्त कर देगी।वक्फ अधिनियम की धारा **40** एक प्रावधान है जो पहले के अधिनियम की धारा **27** के अनुरूप है। संसद को उन कानूनों के बारे में पता होना चाहिए जो क़ानून की पुस्तक में हैं।वास्तव में**,** यह माना जाना चाहिए कि संसद को उन सभी आवश्यक तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए जो एक कानून को जीवन देंगे और इसे व्यवहार्य**,** निष्पक्ष और उचित बना देंगे।इसलिए**,** यह माना जाना चाहिए कि संसद को यह पता होना चाहिए कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जैसे कानून क़ानून की पुस्तक में थे।यह पता होना चाहिए कि ए

जी.

एच.

485

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

सार्वजनिक न्यास की परिभाषा जैसे कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत विचार किया गया है**,** अपने व्यापक वक्फ के भीतर लिया गया है।वास्तव में**,** बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा **28** दिमाग में आती है।**1950** के अधिनियम की धारा **28** में यह विचार किया गया था कि जो संस्थान **1950** के अधिनियम के अधिनियमन से पहले वक्फ थे**,** उन्हें धारा **28** के तहत सार्वजनिक न्यास माना जाएगा और उक्त कानून के तहत उन्हें सार्वजनिक न्यास माना जाएगा।जहां तक **1950** के अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य सार्वजनिक न्यासों का संबंध है**,** इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यास और वक्फ के बीच अंतर है**,** यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय किया जाने वाला विषय है कि क्या **1950** के अधिनियम के अर्थ के भीतर एक न्यास स्पष्ट रूप से वक्फ है।**[**पैरा **169] [583-**ए**-**डी**]**

ग

4. जहाँ तक धारा **43** का संबंध है**,** यह वक्फ़ों के मानित पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।इसका अर्थ निकाला जा सकता है। यह आदेश देता है कि अध्याय में कुछ भी निहित होने के बावजूद**,** जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले कोई वक्फ पंजीकृत किया गया है**,** उस समय लागू किसी भी कानून के तहत**,** इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे पंजीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया माना जाना चाहिए। चूंकि अधिनियम की धारा **2** के तहत**,** अधिनियम प्रत्येक वक्फ पर लागू होता है**,** चाहे वह अधिनियम के लागू होने से पहले हो या बाद में**,** इसका मतलब है कि अधिनियम में परिभाषित वक्फ जो कुछ भी है**,** जो किसी भी समय किया जाता है**,** चाहे वह **01.01.1996** से पहले या बाद में हो**,** अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए **[**धारा **36** देखें**]**।पंजीकरण का उद्देश्य वक्फों को सक्षम प्राधिकारी की कड़ी जांच के दायरे में लाना है**,** चाहे वह बोर्ड हो या कार्यकारी अधिकारी।वक्फों के विधान का पूरा इतिहास विधायिका की इस धारणा को दर्शाता है कि जो संपत्ति धर्मार्थ**,** धार्मिक और पवित्र उद्देश्यों के लिए सर्वशक्तिमान को समर्पित है**,** उसकी रक्षा की जानी चाहिए।मुतावल्लियों और अन्य लोगों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए जो संपत्ति से निपट सकते हैं और इस तरह**,** संस्थापक के मूल उद्देश्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं।लोक कल्याण के लिए क्या उपयोग किया जाएगा**,** चाहे वह कुछ मामलों के लिए किसी समुदाय के वर्गों का भी हो**,** सभी को अधिनियम में प्रावधान के अनुसार इसके तहत शामिल किया जाएगा। **[**पैरा **172** और **174] [583-**एच**; 584-**ए**-**बी**,** सी**-**ई**]**

डी.

ई.

च

जी.

5. अधिनियम की धारा **112** में निरसन का प्रावधान है।इस बात पर ज्यादा विवाद नहीं है कि धारा **112** को निरस्त करने के आधार पर

एच.

486 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

क.

1950 के अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करने का प्रावधान करता है क्योंकि यह सार्वजनिक न्यासों से संबंधित है जो वक्फ हैं।चैरिटी कमिश्नर**,** वास्तव में**,** जब उसने स्पष्टीकरण जारी किया जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी**,** तो शुरू में केवल यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा **43** के अनुसार वक्फ जो सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत हैं**,** उन पर **1950** के अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। न्यास और वक्फ के बीच अंतर है।विभिन्न विशेषताओं के संदर्भ में और कानून का पालन करने के बाद इसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या सार्वजनिक न्यास के रूप में जो पंजीकृत है वह वास्तव में वक्फ है या नहीं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि **1950** के अधिनियम की धारा **28** के तहत एक प्रावधान के रूप में पंजीकृत सभी सार्वजनिक न्यासों को अनिवार्य रूप से वक्फ माना जाएगा।यह इस सिद्धांत पर है कि एक बार वक्फ बनाए जाने के बाद जब तक कि राज्य द्वारा प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति के प्रयोग के माध्यम से शीर्षक को समाप्त नहीं किया जाता है**,** सर्वशक्तिमान की उपाधि हालांकि निहितार्थ से समाप्त नहीं हो सकती है।जो कभी **1950** के अधिनियम से पहले वक्फ था**,** यदि यह अधिनियम के प्रारंभ के साथ **1950** के अधिनियम के तहत पंजीकृत है**,** तो ऐसा सार्वजनिक न्यास अनिवार्य रूप से वक्फ अधिनियम**, 1995** के दायरे में आएगा।**[**पैरा **177** और **178] [585-**सी**-**जी**; 586-**ए**-**बी**]**

ग

डी.

6. यह अपीलार्थी का मामला है कि वक्फ संपत्तियों को सख्ती से और कानूनी रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है। हालाँकि**, 1950** के अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास हैं जो वास्तव में वक्फ हैं जो **1950** के अधिनियम की धारा **28** के तहत आते हैं। उन्हें निस्संदेह केंद्रीय अधिनियम के दायरे में आना चाहिए।**,** वक्फ अधिनियम**, 1995**।इसके विपरीत भी कहा जाना चाहिए और उजागर किया जाना चाहिए।**; 1950** के अधिनियम के तहत पंजीकृत एक मुस्लिम सार्वजनिक न्यास को अधिनियम के तहत वक्फ होने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित रूप से इस न्यायालय के निर्णयों की अटूट रेखा के विपरीत होगा जो सभी मुस्लिम सार्वजनिक न्यासों को एक ही रंग से रंगने और उन्हें वक्फ के रूप में प्राप्त करने के लिए दो श्रेणियों के बीच इस तरह के विभाजन पर विचार करता है।**[**पैरा **183] [587-**जी**-**एच**; 588-**ए**-**बी**]**

ई.

च

नवाब ज़ैन यार जंग **(**मृतक के बाद से**)** और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक और एक अन्य ए**.** आई**.** आर**. 1963** एस**.** सी**. 985:[1963] 1** एससीआर **469;** मुस्लिम वक्फ बोर्ड**,** राजस्थान

जी.

बनाम राधा किशन और अन्य (1979) 2 एससीसी 468:[1979]

2 एस**.** सी**.** आर**. 148** और राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम राज्य

एच. पी. (2021) 6 एस. सी. सी. 771-पर निर्भर था।

एच.

487

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

केरल राज्य और अन्य बनाममार अप्रेम कुरी कं. लिमिटेड और

एक और (2012) 7 एससीसी 106:[2012] 4 एससीआर 448;

मदनूरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल

(2017) 13 एससीसी 174:[2017] 5 एस. सी. आर. 294; रामजस

फाउंडेशन और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

(2010) 14 एससीसी 38:[2010] 15 एस. सी. आर. 364; मो.खासिम

वी. मोहम्मद।दस्तगीर और अन्य (2006) 13 एस. सी. सी. 497:

[2006] 10 पूरक।एस. सी. आर. 1157; कासिमिया चैरिटीज़

राजागिरी बनाम मद्रास राज्य वक्फ बोर्ड **1963** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन मैड **132;** नवाब जैन यार जंग **(**मृतक होने के बाद से**)** और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक और

एक और ए. आई. आर 1963 एस. सी. 985:[1963] 1 एससीआर 469; वली

ग

एल. आर. वी. द्वारा मोहम्मद (मृत)रहमत बी (श्रीमती) और

अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 145:[1999] 1 एस. सी. आर. 852-संदर्भित।

कासिमिया चैरिटीज, राजगिरी का प्रतिनिधित्व इसके वंशानुगत ट्रस्टी श्री ने किया। अब्दुल हमीद बनाम मद्रास राज्य वक्फ बोर्ड, जिसका प्रतिनिधित्व इसके सचिव ए. आई. आर. 1964 मद्रास 18 ने किया। अबुल फाटा मोहम्मद बनाम रुसोमॉय

डी.

(1894) 22 कैल। 619:22 आई. ए.; आयकर विशेष

उद्देश्य आयुक्त बनाम पेम्सेल **(1891)** ए**.** सी**. 531;** विद्या वरुथी तीर्थ स्वामीगल बनाम बालुस्वामी अय्यर और

ई.

अन्य ए. आई. आर. 1922 प्रिवी काउंसिल 123; कच्छ वक्फ

बोर्ड और ए. एन. आर. वी.कच्छ मेमन जमात और ओआरएस। 1997

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन गुज **220-**संदर्भित।

बेकर**,** रे **[**बेकर**,** रे**,** निकोल्स बनाम बेकर **(1890) 44** सीएचडी **262 (**सीए**);** जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप **(1880) 5**

च

ए**.** सी**. 214-**संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2012] 4 एससीआर **448**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[1963] 1 एससीआर **469**

पर भरोसा किया

पैरा **31**

जी.

[1979] 2 एससीआर **148**

पर भरोसा किया

पैरा **35 [2017] 5** एस**.** सी**.** आर**. 294** पैरा **35 (2010) 14** एस**.** सी**.** सी**. 38** पैरा **37 [2006] 10** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **38** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 1157**

एच.

488 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

क.

[1963] 1 एससीआर **469**

संदर्भित किया गया है

पैरा **41**

[1999] 1 एससीआर **852**

संदर्भित किया गया है

पैरा **126**

(2021) 6 एस**.** सी**.** सी**. 771**

पर भरोसा किया

पैरा **157**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 7812-7814।

2011 के डब्ल्यू. पी. No.2906/2004, डब्ल्यू. पी. Nos.357 899 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

सह

ग

सिविल अपील Nos.7930,7929। 7928, 7927, 7926, 7925, 7924, 7923, 7922, 7921, 7914-7920,7911-7913,7910,7909,7908,7898-7907,7896-7897,7895,7894,7893,7892,7891,7890,7889,7888,7887,7886,7884-7885,7872-7883,7862-7871,7855-7861,7853-7854,7852,7851,7850,7849,7848,7847,7846,7844,7845,7843,7840-7842,7839,7836-7838,7835 तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अनिल अंतुरकर, गोपाल शंकरनारायण, विनय नवारे, हरीश एन. साल्वे, दमा शेषाद्री नायडू, यूसुफ हातिम मुच्छाला, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, मुर्तजा कचवाला, के. के. वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुधांशु एस. चौधरी, अभय अंतुरकर, हर्षवर्धन सूर्यवंशी, तेजस्वी कुमार, श्रीरंग कटनेश्वरकर, वैभव कुलकर्णी, सैयद सरफराज करीम, अंबर कमरुद्दीन, जावेद आर. शेख, मोहम्मद।इरशाद हनीफ, आरिफ अली, पंकज तिवारी, सुश्री शिवानी विज, मुजाहिद अहमद, रिज़वान अहमद, सैयद अहमद सऊद, दानिश अहमद सैयद, मोहम्मद।परवेज डबास, उज़्मी जमील हुसैन, अकीब बेग, मोहम्मद।साहिब, मुजीबुद्दीन खान, मेसर्स शकील अहमद सैयद, एस. एम. जाधव, बृज किशोर शाह, आदर्श कुमार पांडे, सुश्री शिवानी रौतेला, सुश्री अपूर्वा, सत्यम सिंह, यूसुफ बागवाला, सुश्री सना बागवाला, सुश्री ग्वेन कार्तिका, सुश्री आभा आर. शर्मा, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत भागला, गगन गुप्ता, श्रीमती बीना गुप्ता, के. एन. राय, शिरीष के. देशपांडे, सुश्री रुचा प्रवीण मंडलिक, मोहित गौतम, ए. राधाकृष्णन, गौरव अग्रवाल, शिशिर देशपांडे, नीलक।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

489

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

प्रवर्तक पाठक, सुश्री नंदिनी देशपांडे, युवराज सतपुते, सुश्री अंकिता चौधरी, सागीर ए. खान, जी. डी. शेख, सैफ जिया, सुनील कुमार वर्मा, अंबर कमरुद्दीन, मोइनुद्दीन अल्गौस शेख, अबीजर फैजुल्लाभॉय, आर. सुधींदर, सुश्री एकता भसीन, मुस्तफा हुसैन, एल. निधि राम शर्मा, निखिल कुमार सिंह, अशोक माथुर, आलोक कुमार द्विवेदी, देशम सुधाकररेड्डी, सुश्री सुजाता कुर्दुकर, नितिन एस. तंबवेकर, शेषलता साई बंडारू, के. राजीव, रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, शैलेश मडियाल, सुश्री स्वरउपस्थित दलों के लिए।

ग

डी.

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

निर्णय

ई.

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. चूँकि इन सभी अपीलों में सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम निम्नलिखित सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा करना उचित समझते हैं।

च

3. मुकदमेबाजी तक पहुँचने वाले तथ्यों को शुरुआत में ही संदर्भित करने की आवश्यकता है।

संसद ने वक्फ अधिनियम, 1995 को अधिनियमित किया (इसके बाद संक्षिप्तता के उद्देश्य से 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, महाराष्ट्र राज्य सरकार (जिसे इसके बाद राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है) ने अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्य करने के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया। दिनांक 30.10.2000 के आदेश द्वारा औरंगाबाद में एक वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।04.01.2002 पर, राज्य ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित) को शामिल किया।संयोगवश, यह देखा गया है कि चार सदस्यों को एक ही अधिसूचना द्वारा नामित किया गया था, जिसका विवरण प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट होगा।

जी.

एच.

490

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

निर्णय।राज्य ने सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी जो उसे बोर्ड को प्राप्त हुई जिसका गठन 07.05.2002 पर किया गया था।संयुक्त संसदीय समिति (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'जे. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) ने 08.07.2003 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. इस मोड़ पर, यह उचित है कि हम मुकदमे का एक और आयाम देख सकते हैं जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 है जिसे महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के रूप में पुनर्नामित किया गया है।इस मामले में वास्तविक निहितार्थ इस सवाल को घेरता है कि क्या हमारे सामने प्रतिवादी जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता निकले हैं, वे सार्वजनिक न्यास हैं या वे सार में या सार में, मुस्लिम कानून के तहत वक्फ हैं।

ग

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए '1950 एक्ट' के रूप में संदर्भित) के तहत चैरिटी कमिश्नर, एक परिपत्र दिनांक 24.07.2003 जारी करके मंच पर अपनी प्रविष्टि करते हैं जो निम्नानुसार हैः“तारीखः24.07.2003 उपःवक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 43 के अनुसार मुस्लिम वक्फ/न्यास चैरिटी आयुक्त के पास पंजीकृत हैं।सिरकुलर नं. 307 दिनांक 24.07.2003

डी.

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 43 के अनुसार सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत वक्फों पर बॉम्बे सार्वजनिक न्यास के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।आगे के आदेशों की प्रतीक्षा की जा सकती है।

ई.

ह /-

चैरिटी कमिश्नर

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

च

24.07.2003

सेक. अधिनियम का 43 इस प्रकार हैः

"सेक. 43 अधिनियम के प्रारंभ से पहले पंजीकृत वक्फ पंजीकृत होने की मांग करते हैं-इस अध्याय में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले कोई वक्फ पंजीकृत किया गया है, उस समय लागू किसी कानून के तहत, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत वक्फ को पंजीकृत करना आवश्यक नहीं होगा और इस तरह के प्रारंभ से पहले किया गया कोई भी पंजीकरण इस अधिनियम के तहत किया गया पंजीकरण माना जाएगा।

जी.

एच.

491

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

5. 13.11.2003 पर, वक्फों की एक सूची बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई थी।पहली रिट याचिका अंजुमन-ए-इस्लाम द्वारा 28.08.2003 पर दायर की गई थी।चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र को चुनौती दी गई थी।बोर्ड के गठन को भी चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय रिट याचिकाकर्ता के लिए दिनांकित 17.11.2003 आदेश द्वारा परिपत्र पर रोक लगाने के लिए आगे बढ़ा।इसके बाद रिट याचिकाओं की झड़ी लग गई।उन्हें इसी तरह तैयार किया गया था; ठहरने के आदेशों का भी पालन किया गया था।6. ऐसा प्रतीत होता है कि वक्फों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कानून और न्याय विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी।चैरिटी आयुक्त और बोर्ड के दो सदस्यों की एक समिति के गठन के लिए 11.08.2004 पर निर्णय लिया गया था। 11.08.2004 पर हुई बैठक के परिणाम के रूप में इस समय निम्नलिखित पर ध्यान दिया जा सकता हैः

ग

"वक्फ मामलों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यानी आई. डी. 1 पर दोपहर आई. डी. 2 बजे माननीय मंत्री (कानून) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।माननीय मंत्री (विधि) के कक्ष में निम्नलिखित गणमान्य व्यक्ति और सरकार के अधिकारी उपस्थित थेः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(1) माननीय मंत्री (कानून)

ई.

(2) माननीय मंत्री, औकाफ़

(3) अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड, मुंबई

(4) हफीजभाई धतूरे, एम. एल. ए. और वक्फ बोर्ड के सदस्य।(5) प्रधान सचिव और एस. एल. ए. एल. एंड जे. डी.

च

(6) चैरिटी कमिश्नर, M.S.Worli, मुंबई (7) कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड, मुंबई (8) जे. टी. सिकरी।आर एंड एफ. डी.

(9) श्री यूसुफ मुच्छाला, वरिष्ठ वकील, उच्च न्यायालय।(10) श्री वीरेन मर्चेंट, चार्टर्ड एकाउंटेंट (11) जे. सचिव एल एंड जे. डी. (श्री गोमारे)

जी.

(12) डी. एस. (लॉ एल एंड जे. डी. (श्री बांगले), (13) यू. एस. (लॉ), एल. एंड जे. डी. (श्री पाटिल)

एच.

क.

वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की, जिसमें चैरिटी आयुक्त को मुस्लिम ट्रस्टों को वक्फ बोर्ड को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया और चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी किए गए परिपत्र पर रोक लगा दी गई।वक्फ बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं से योगदान एकत्र करने से भी रोक दिया गया है।उसी के आधार पर, वक्फ और न्यास संरक्षण संघ ने सरकार को एक अनुरोध के साथ प्रतिनिधित्व किया है;

ग

(1) वक्फ बोर्ड को वक्फ की सूची घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश दें जो 13.11.03 पर प्रकाशित की गई है, उक्त अधिसूचना न केवल गलतियों से भरी है बल्कि अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण है।

(2) वक्फ बोर्ड को शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों का ठीक से पता लगाने के लिए एक नया सर्वेक्षण करने और एक सक्षम और विवेकपूर्ण वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण की निगरानी करने का निर्देश दें।

डी.

(3) उचित सर्वेक्षण पूरा होने के बाद एक नए वक्फ बोर्ड का गठन करें।बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि क्या वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी रूप से स्थापित किया गया है और क्या सरकार और वक्फ बोर्ड के लिए शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ का पता लगाने के लिए एक नया सर्वेक्षण करना संभव है और क्या नए वक्फ बोर्ड का गठन करना आवश्यक है।

ई.

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए हैं:

(1) वक्फ बोर्ड के दो सदस्यों और चैरिटी कमिश्नर के दो सदस्यों सहित चैरिटी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।यह समिति आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में गठित धर्मार्थ संगठनों और वक्फ बोर्ड के कार्यों का अध्ययन करेगी और यह तय करेगी कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत मुस्लिम ट्रस्टों में से कौन सा वक्फ अधिनियम के तहत आता है और कौन सा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत आता है और कौन सा वक्फ शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ हैं।(2) 13.11.04 के बाद अधिसूचना की अवधि को बढ़ाना कानूनी रूप से संभव नहीं है।लेकिन संबंधित न्यास अपनी आपत्तियों, आपत्तियों, यदि कोई हो, को बताते हुए उक्त समिति को एक आवेदन देंगे।

च

जी.

एच.

क.

(3) वक्फ बोर्ड समाचार पत्रों में एक विज्ञापन देगा जिसमें मुस्लिम न्यासों और वक्फों से यह जानकारी देने का अनुरोध किया जाएगा कि क्या वे न्यास हैं या वक्फ और क्या वे वक्फ हैं, क्या वे शिया वक्फ हैं या सुन्नी वक्फ और ऐसे वक्फों की आय का विवरण।

(4) श्री यूसुफ मुच्छाला, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय चैरिटी आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को अपने संघ से संबंधित शिया वक्फ, सुन्नी वक्फ और ट्रस्ट की सूची प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने वक्फ बोर्ड के गठन, सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा 13.11.2003 पर प्रकाशित वक्फ की सूची को चुनौती देते हुए बॉम्बे के न्यायिक क्षेत्र में उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अपनी दलीलें दीं।

ग

(5) श्री मुचनाला अपने मुवक्किलों (याचिकाकर्ताओं) को राज्य सरकार द्वारा गठित उक्त समिति के साथ सहयोग करने के लिए राजी करेंगे और उनके मुवक्किल लंबित रिट याचिकाओं में मुद्दों पर अपने अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सहयोग करेंगे।

डी.

(6) प्रशासनिक निधि के लिए एकत्र किए गए योगदान के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, वक्फ बोर्ड सकल वार्षिक आय या सकल वार्षिक संग्रह या रसीद के लिए 2 प्रतिशत की दर से वार्षिक रूप से प्रशासनिक निधि योगदान ले सकता है, जिस तरह से चैरिटी आयुक्त द्वारा सार्वजनिक न्यास प्रशासनिक निधि एकत्र की जा रही है।

ई.

(7) वक्फ बोर्ड वक्फों की सूची घोषित करने वाली अधिसूचना के संबंध में कोई आगे की कार्रवाई नहीं करेगा जो 13.11.2003 पर प्रकाशित की गई थी जब तक कि उक्त समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की जाती है।

च

7. सर एडमजी-पीरभॉय सेनेटोरियम के ट्रस्टी शेख यूसुफ भाई चावला द्वारा 2004 की रिट याचिका संख्या 2906 दायर की गई थी।इसमें, 04.01.2002 दिनांकित अधिसूचना को एक बादल के नीचे रखने की मांग की गई थी।8. 08.02.2005 पर, जिस समिति का हमने अभी-अभी उल्लेख किया है, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।इसने अधिनियम की धारा 40 के तहत बोर्ड की शक्तियों को यह तय करने के लिए संदर्भित किया कि संपत्तियां वक्फ संपत्ति हैं या नहीं।

जी.

9. 09.03.2005 पर, बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया।वह इस प्रकार हैः

एच.

क.

“चैरिटी आयुक्त से अनुरोध किया जा सकता है कि वे चैरिटी आयुक्त के रिकॉर्ड के साथ विभाजित वक्फों को भी स्थानांतरित करें, जिनकी संख्या 1 मुंबई कंपनी वक्फ बोर्ड से 918 है और चैरिटी आयुक्त 755 न्यासों के पास रखें।इसके अलावा पुणे जिले की सूची को स्वीकार करने का संकल्प लिया गया है जिसमें 379 वक्फों और 84 न्यासों की पहचान की गई है।चैरिटी आयुक्त से 379 वक्फों के अभिलेख और कार्यवाही को वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित करने और अपने 84 ट्रस्ट के साथ रखने का अनुरोध किया जा सकता है, बाकी की पहचान पूरी की जा सकती है, यह हस्तांतरण वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 के तहत मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड के अधिकारों के अधीन है।"

10. इसके बाद बोर्ड ने एक शुद्धिपत्र जारी किया जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिनांकित 09.03.2005 प्रस्ताव के संदर्भ में कार्य करना था।शुद्धिकरण का प्रभाव वक्फों की सूची को संक्षिप्त करने पर पड़ा जो 13.11.2003 पर प्रकाशित हुई थी।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई वक्फ जिन्हें दिनांकित 13.11.2003 सूची में शामिल किया गया था, उन्हें बाहर कर दिया गया। आई. डी. 1 पर, राज्य ने चैरिटी आयुक्त के पत्रों का उल्लेख करते हुए बोर्ड को लिखा जिसमें आयुक्त ने वक्फ और न्यासों की एक नई वर्गीकृत सूची प्रस्तुत की।वक्फ और न्यासों की सूची भी बोर्ड को भेजी गई थी।बोर्ड ने 19.06.2006 पर एक प्रस्ताव पारित किया।इसने चैरिटी कमिश्नर द्वारा दी गई वक्फों की सूची को स्वीकार कर लिया।

ग

डी.

"अनुलग्नक-पी-19 महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड दिनांकित 19.06.2006

ई.

बिन्दु संख्या 46 (रेग):सरकारी राजपत्र के सरकारी प्रकाशन द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई सूची के अनुसार वक्फ और न्यास का विभाजनः

च

संकल्प सं. 4.6:सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि चैरिटी आयुक्त की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जिलों में प्राप्त की जाती है।सैद्धांतिक रूप से सरकारी राजपत्र में द्विभाजित वक्फों की सूचियों को प्रकाशित करने पर सहमति बनी है।वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत, बोर्ड को अपनी अवधि में किसी भी समय शेष वक्फ लेने की शक्ति है। माननीय सभापति इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।

जी.

(एम. वाई. पटेल)

अतिरिक्त कलेक्टर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

औरंगाबाद "

एच.

495

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

11. 31.07.2006 पर, वक्फ की पिछली सूची को संशोधित करते हुए बोर्ड द्वारा एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था।इसके बाद, 25.04.2007 पर, बोर्ड ने एक और अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि 19.06.2006 दिनांकित प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था।इसका कारण यह दिया गया था कि यह व्यावसायिक नियमों के अनुसार नहीं था।31.07.2006 पर जारी शुद्धिपत्र को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।04.09.2008 पर, महाराष्ट्र सरकार ने बोर्ड में सात सदस्यों की नियुक्ति की।यह अधिसूचना, बदले में, उच्च न्यायालय में चुनौती का विषय भी बनी।

बोर्ड की सदस्यता घटाकर चार सदस्यों तक रह गई।, मूल रूप से नियुक्त किए गए सदस्यों में से दो और बाद में नियुक्त किए गए सदस्यों में से दो।23.10.2008 पर, बोर्ड द्वारा एक और ग्रीष्मकालीन हमला किया गया है क्योंकि यह दिनांकित

05.05.2005 शुद्धिपत्र को रद्द करने के लिए कथित है और इसमें यह घोषणा की गई थी कि दिनांकित 13.11.2003 वक्फ की सूची वाली मूल अधिसूचना बरकरार रहेगीः

ग

"संलग्नक-पी-25

डी.

महाराष्ट्र सरकार। राजपत्र

अधिसूचना दिनांक 23.10.2008 No.MSBW/REG-240/3805/2008।तारीखः7 .10 .2008

ई.

सूचना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा

मुंबई और बी. एस. डी. की वक्फ संपत्तियों की सूची केंद्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 5 (1) और धारा 4 की उप-धारा 3 के तहत बोर्ड प्रस्ताव 3 दिनांक 27.9.2003 के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

च

उपरोक्त सरकारी राजपत्र अधिसूचना का शुद्धिपत्र महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के संदर्भ में 5.5.2005 पर जारी किया गया था। संकल्प संख्या 3 दिनांकित 9.3.2005, और वही 5.5.2005 पर प्रकाशित किया गया था।

जी.

हालाँकि, संकल्प संख्या 3 दिनांकित 9.3.2005 को बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में संकल्प संख्या 17/2008 दिनांकित 3.4.2008 के माध्यम से रद्द कर दिया गया और हटा दिया गया, और 27.5.2008 पर पुष्टि की गई।अतः शुद्धिपत्र No.MSBW/REGISTRATJON-73/1068/2005

एच.

क.

5.5.2005 पर प्रकाशित स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है।इस प्रकार 13.11.2003 पर प्रकाशित वक्फ संपत्तियों की सूची की मूल अधिसूचना वैसी ही बनी हुई है।

(S.S.ALI क्वाड्री)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड औरंगाबाद "12. जे. पी. सी. ने 23.10.2008 पर एक रिपोर्ट दी जिसमें संकेत दिया गया कि जहाँ तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, वक्फ़ों की सूची प्रकाशित की गई थी।अगला विकास दिनांकित 20.10.2010 अधिसूचना के रूप में देखा जाना है।हम इस मोड़ पर ही इसकी सामग्री को देख सकते हैं।

ग

"अनुलग्नक-पी-26, अल्पांश विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई 400 042, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

डी.

सूचना

डब्ल्यू. ए. के. एफ. अधिनियम, 1995

नहीं। वक्फ-2009/सी. आर. 105/डेस्क-4।जबकि महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिसूचना, राजस्व और वन विभाग सं। वक्फ-1097/सी. आर.-95/एल.-3, दिनांक 1 दिसंबर, 1999 और सं. डब्ल्यूएकेएफ। 1097/सी. आर.-95/एल.-3, दिनांक 29 सितंबर 1999 ने मौजूदा वक्फों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से क्रमशः सर्वेक्षण आयुक्त, अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त और सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किए।महाराष्ट्र राज्य में जनवरी 1996 के पहले दिन;

ई.

च

और जबकि, संयुक्त संसदीय समिति को शिकायतें मिलीं कि सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था और इसलिए, समिति ने 20 अक्टूबर 2008 को राज्य सरकार को राज्य में वक्फ़ों का पुनः सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश जारी किए;

जी.

और जहां सरकार कोंकण, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर के संभागीय आयुक्तों को उनके संबंधित प्रभागों के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में नियुक्त करना समीचीन समझती है, वहीं कोंकण, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर के जिला अतिरिक्त कलेक्टरों को अतिरिक्त सर्वेक्षण ए के रूप में नियुक्त करना समीचीन समझती है।

एच.

497

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

अपने-अपने जिलों के आयुक्त और तहसीलदार अपने-अपने तालुकों में सहायक सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में, महाराष्ट्र राज्य में वक्फ का पुनः सर्वेक्षण करेंगे।

अब, इसलिए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार एतद्द्वारा नियुक्त करती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) कोंकण, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर राजस्व प्रभागों के संभागीय आयुक्त अपने-अपने प्रभागों के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में,

(2) कोंकण, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर जिलों के जिला अतिरिक्त कलेक्टर अपने-अपने जिलों के लिए अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में,

ग

(3) तालुकों के तहसीलदार, अपने तालुकों के लिए सहायक सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में,

के लिए।महाराष्ट्र राज्य में वक्फों का पुनः सर्वेक्षण करना।आदेश द्वारा और महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम पर।गीता चंद सरकार की अवर सचिव "13. उक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए 2011 की रिट याचिका 357 दायर की गई थी।

डी.

ई.

अन्य रिट याचिकाएं भी दायर की गई थीं।चैरिटी आयुक्त के परिपत्र को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 899/2011 दायर की गई थी और वक्फ की सूची को भी चुनौती दी गई थी।दलीलों का आदान-प्रदान हुआ।तर्कों के लिखित नोट भी प्रस्तुत किए गए।

च

उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को मंजूरी दे दी है।उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर इस स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है।

14. उच्च न्यायालय ने मोटे तौर पर चार मुद्दों को तैयार किया।

जी.

उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या बोर्ड का निगमन अवैध था।रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिया गया था, वह यह था कि यह एक ऐसा मामला है जहां गाड़ी को घोड़े के सामने रखा गया था।कानून प्रदाता ने वक्फों के सर्वेक्षण के संचालन की परिकल्पना की।धारा 4 के संदर्भ में वक्फों का सर्वेक्षण और उसके बाद धारा 5 के तहत सूची के प्रकाशन से अन्य बातों का पता चलेगा।

एच.

क.

चीजें, राज्य में वक्फ़ों की संख्या।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वेक्षण से आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी ताकि अधिनियम की धारा 13 के तहत सरकार पर लगाए गए कर्तव्य का पालन किया जा सके।धारा 13, यह उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि सरकार पर दो अलग-अलग बोर्ड बनाने का अनिवार्य कर्तव्य है।, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, यदि धारा 13 (2) आकर्षित की गई थी।उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 13 (2) में विचार किया गया है कि यदि 15 प्रतिशत वक्फ शिया वक्फ थे या ऐसे वक्फों से होने वाली आय कुल आय के 15 प्रतिशत से अधिक है, तो कानून यह आदेश देता है कि क्रमशः सुन्नी और शियाओं के लिए अलग-अलग वक्फ होने चाहिए।उच्च न्यायालय ने आगे यह पाया कि धारा 13 में विचार किया गया है कि बोर्ड एक निगमित निकाय है और इसका स्थायी उत्तराधिकार है।यह आगे पाया गया कि अधिनियम धारा 13 (1) के तहत एक बोर्ड के गठन पर विचार नहीं करता है और उसके बाद, एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है और धारा 13 (2) में मानदंडों के संदर्भ में सर्वेक्षण रिपोर्ट की सामग्री के बल पर, बोर्ड जिसे मूल रूप से धारा 13 (1) के तहत रखा गया है, को समाप्त कर दिया जा रहा है और सुन्नी और शियाओं के लिए दो अलग-अलग बोर्डों का निर्माण किया जा रहा है जैसा कि उसमें विचार किया गया है।

ग

डी.

15. न्यायालय ने पाया कि राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश की जा रही रिपोर्ट का तर्क।, इसमें यह अपेक्षा की गई है कि सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार को बोर्ड को रिपोर्ट भेजनी चाहिए और इसलिए, बोर्ड मौजूद होना चाहिए और यह कि सर्वेक्षण बोर्ड के निगमन से पहले नहीं होना चाहिए, गलत था।

ई.

16. दूसरे पहलू पर, उच्च न्यायालय ने बोर्ड के गठन की वैधता पर सवाल उठाया।धारा 14 बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य से समर्थन प्राप्त किया कि, उस तारीख तक, उसने स्पष्ट रूप से इस मामले पर विचार किया कि केवल दो सदस्य थे और कानून ने विचार किया कि बोर्ड में कम से कम सात सदस्य होने चाहिए और यहाँ उच्च न्यायालय ने क्या कहा हैः

च

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान में बोर्ड में केवल दो सदस्य हैं।यह स्थिति हमारे सामने विवादित नहीं थी।धारा 14 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि केवल दो सदस्यों वाले वक्फ बोर्ड को उचित रूप से गठित नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, हमें यह मानना होगा कि महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का गठन कानून के अनुसार नहीं है।"

जी.

एच.

499

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

17. आगे बढ़ते हुए, उच्च न्यायालय ने 13.11.2003 पर सूची के प्रकाशन के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार किया।उच्च न्यायालय ने काफी हद तक जे. पी. सी. की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित किया।

18. फिर भी बाद में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का समर्थन किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें रिट याचिकाओं को दायर करने के आधार पर विकास की अनदेखी नहीं की जा सकती है।विकास में द्विभाजन समिति का गठन शामिल था जिसमें स्वयं सरकार का आशीर्वाद था, और किस समिति ने बैठकें कीं जिसमें वक्फ बोर्ड के चैरिटी आयुक्त ने भी भाग लिया और कुछ सार्वजनिक न्यासों की पहचान सार्वजनिक न्यासों और अन्य की वक्फ के रूप में की गई।यह पता लगाने के बाद कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा किया गया सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण था, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि चूंकि सरकार द्वारा पुनर्भरण का आदेश भी दिया गया था जब पुनर्भरण किया जाता है, इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं को सर्वेक्षण आयुक्त के समक्ष उस समिति की रिपोर्ट रखने का अवसर दिया जा सकता है जिसके तहत रिट याचिकाकर्ताओं की पहचान वास्तव में सार्वजनिक न्यास के रूप में की गई थी।

ग

डी.

19. इसके बाद, हम देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने 1950 के अधिनियम के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

अपीलें

ई.

20. हमारे सामने अपीलकर्ता बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य और दो अन्य हैं।

21. हमने श्री जावेद शेख, श्री सुधांशु एस. चौधरी, सुश्री सुहासिनी सेन, श्री महेश पी. शिंदे, सुश्री रुचा ए. पांडे, श्री वीरागवन एम. और श्री कामरान शेख, विद्वान वकील के साथ बोर्ड की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री के. के. वेणुगोपाल को सुना।हमने Mr.GopalSankaranarayanan, विद्वान वरिष्ठ वकील को भी सुना है जो बोर्ड की ओर से भी पेश हुए।

च

हमने श्री राहुल चिटनिस को राज्य की ओर से पेश होते हुए सुना है।

जी.

अंत में, हमने सुना कि श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील, उत्तरदाताओं की ओर से 2022 की सी. ए. संख्या 7830 (2017 की एस. एल. पी. (सी.) संख्या 1132) में श्री अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील जो 2022 की सी. ए.

संख्या <आई. डी. 2 (2011 की एस. एल. पी. (सी.) संख्या <आई. डी. 3) में श्री मुर्तजा कचवाला, श्री मुर्तजा कचवाला के साथ उपस्थित हुए।

एच.

500

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

मोईनुद्दीन अल्गौस शेख और सुश्री एकता भसीन, विद्वान वकील।हमने श्री वाई. एच. मुच्छाला, विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ श्री सागीर खान और श्री जी. डी. शेख, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेषाद्री नाडु को भी श्री एस. महेश सहस्रनामन के साथ अपनी दलीलें देते हुए सुना।

हमने आगे विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विनय नवारे को सुना है और हमने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनिल अंतुरकर को भी सुना है। 22. श्री आई. डी. 1, बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ वकील विभिन्न आधारों पर निर्णय का विरोध करेंगे।

वह बोर्ड के निगमन में कथित अवैधता के बारे में निष्कर्ष को अस्थिर के रूप में चुनौती देंगे।उन्होंने तर्क दिया कि यदि शिया वक्फों का प्रतिशत उक्त धारा (15 प्रतिशत) में उल्लिखित प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अलग-अलग बोर्ड रखने का कोई शुल्क नहीं है।वह आगे तर्क देंगे कि निगमन से पहले एक सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

ग

डी.

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि, वास्तव में, जब वक्फ अधिनियम 1954 को संविधान के अनुच्छेद 254 को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, यहां तक कि 1950 के अधिनियम को एक कानून के रूप में माना गया था, जिसमें वक्फ को एक सार्वजनिक न्यास के रूप में शामिल किया गया था और इसके विनियमन के लिए प्रावधान किया गया था, तब भी वक्फ अधिनियम 1954 एक स्व-निहित संहिता थी, भले ही इसे केरल राज्य में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए बॉम्बे राज्य में लागू नहीं किया गया था।

ई.

& ओआरएस. वी.मार अप्प्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड और एक अन्य, 1 मात्र निर्माण

संसद द्वारा बनाए गए कानून ने तिरस्कार के सिद्धांत को आकर्षित किया।इसलिए, चूंकि वक्फ अधिनियम, 1954 की योजना 1950 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है, इसलिए यह वक्फ अधिनियम, 1954 के पारित होने से भी नहीं बची।

च

24. उन्होंने हमें उन तथ्यात्मक घटनाक्रमों के बारे में बताने के बाद भी तर्क दिया कि बोर्ड वास्तव में वैध रूप से गठित किया गया था और सर्वेक्षण कानून के अनुसार किया गया था।सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति 1997 में की गई थी।सर्वेक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग पाँच साल लग गए।वह, विशेष रूप से, यह इंगित करेंगे कि जे. पी. सी. रिपोर्ट, जो उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण सूची को खोजने का एकमात्र आधार है, ने पाया है कि प्रश्नावली भेजी गई थी।इसका मतलब था कि सभी पक्षों को नोटिस पर रखा गया था।ऐसा नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं को पूर्वाग्रह में डाल दिया गया था।उन्हें उचित रूप से गठित लोगों से संपर्क करने का अधिकार था

जी.

1 (2012) 7 एससीसी 106 ए

वैकल्पिक मंच अर्थात।, अधिनियम की धारा 6 के तहत न्यायाधिकरण। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं था।यह प्रश्न कि क्या कोई संस्था वक्फ है या सार्वजनिक न्यास, जैसा कि रिट याचिकाकर्ता दावा करते हैं, केवल विधिवत गठित न्यायाधिकरण द्वारा ही निपटा जाना है।

25. वह प्रस्तुत करेंगे कि जहां तक वक्फ की संख्या की चौड़ाई को कम करने के लिए 05.05.2005 पर जारी किए गए शुद्धिपत्र का संबंध है, जो दिनांकित 13.11.2003 की मूल सूची में शामिल किया गया था, यह गलत तरीके से किया गया था। इस तथ्य का एहसास हुआ और गलती को ठीक किया गया जैसा कि हमने तथ्यों के वर्णन में देखा है।

26. उन्होंने आगे तर्क दिया कि जे. पी. सी. ने जिस बारे में शिकायत की थी, वह वक्फों को कम शामिल करना था।दूसरे शब्दों में, जे. पी. सी. ने पाया कि बड़ी संख्या में वक्फों के बारे में शिकायतें थीं जो 13.11.2003 की सूची में छूट गई थीं।यह दिनांकित 13.11.2003 सूची की वैधता या शुद्धता को कम नहीं करता है।जहाँ तक उसमें शामिल वक्फ़ों का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए दिनांकित 13.11.2003 सूची को दरकिनार करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ।जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अन्य निष्कर्षों और निर्देशों का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि वे पूरी तरह से असमर्थनीय हैं और इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है।

ग

डी.

27. अधिनियम की धारा 112 के प्रभाव के संबंध में, श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करेंगे कि धारा 112 स्पष्ट रूप से 1950 के अधिनियम में वक्फ के संबंध में कानून को निरस्त करती है। 28.विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार किया।वह विशेष रूप से इस निष्कर्ष के खिलाफ अपने हमले में पूरक होगा कि वक्फ को निम्नलिखित आधारों पर ठीक से शामिल नहीं किया गया था।वह प्रस्तुत करेंगे कि अधिनियम के अवलोकन से पता चलेगा कि अधिनियम की एक निश्चित योजना है।इसमें वक्फों के पंजीकरण का प्रावधान शामिल है।वक्फ बोर्ड के गठन की तत्काल आवश्यकता जो सर्वेक्षण आयुक्त के परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, हम पर प्रभावित है।अधिनियम प्रत्येक वक्फ के साथ एक कर्तव्य पर विचार करता है, चाहे वह अधिनियम से पहले या बाद में बनाया गया हो, वक्फ बोर्ड के साथ खुद को पंजीकृत करने के लिए।

ई.

च

जी.

29. धारा 32 बोर्ड द्वारा निर्वहन की जाने वाली विभिन्न शक्तियों और कार्यों पर विचार करती है।संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए भी धारा 51 के तहत बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है।इसलिए, अधिनियम के प्रारंभ और निर्माण की तारीख से कोई अंतराल नहीं हो सकता है।

क.

वक्फ बोर्ड, क्योंकि यह अधिनियम के उदात्त उद्देश्य को पराजित करेगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि धारा 103 और 106 उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का एक पर्याप्त जवाब होगा कि अधिनियम पहले समग्र बोर्ड के निर्माण के बाद दूसरे वक्फ बोर्ड के निर्माण पर विचार नहीं करता है।वह यह भी इंगित करेंगे कि अधिनियम की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण के तहत रिपोर्ट विशुद्ध रूप से प्रारंभिक है।यह किसी भी कानूनी अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।वक्फ का अधिकार जो अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत प्रकाशित सूची में शामिल है, उस समय से पहले नहीं किया जा सकता है जब सर्वेक्षण आयुक्त अधिनियम की धारा 4 (3) के तहत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।पीड़ित व्यक्ति को जो अधिकार है (जैसा कि 'वक्फ में रुचि रखने वाले व्यक्ति' के स्थान पर इसमें संशोधन किया गया है) वह यह है कि पीड़ित व्यक्ति धारा 6 के तहत न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है। 30.इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं के लिए इस तरह का कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने को उचित ठहराता।

ग

डी.

31. वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि पिछले शासन से एक अलग शासन बनाया गया है जो इससे पहले विचार के लिए था।

नवाब ज़ैन यार जंग (मृतक के बाद से) और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक और अन्य 2 में रिपोर्ट किए गए मामले में अदालत। वह कैनवास करेगा।

इस स्थिति के लिए कि वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 3 (ए) में 'लाभार्थी' शब्द को लाए गए संशोधन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और अधिनियम की धारा 3 (ए) में वर्तमान अवतार में इसे जारी रखने के लिए, मूल आधार जिस पर नवाब जैन में इस न्यायालय का निर्णय

ई.

यार जंग (मृतक के बाद से) और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक

और एक और (ऊपर) प्रस्तुत किया गया था दूर ले जाया गया है।32. दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हालांकि 1964 में संशोधन से पहले, लाभार्थी शब्द को इस तरह से परिभाषित किया गया था कि एक मुसलमान जो वक्फ बनाने का इरादा रखता था, जिसका लाभ धर्म के संदर्भ के बिना सभी को उपलब्ध था, उसे वर्जित कर दिया गया था, संशोधन के बाद, एक वक्फ जिसके उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत कोई भी सार्वजनिक उपयोगिता एक वैध वक्फ के रूप में पारित होगी।इससे वक्फ की अवधारणा में पूरी तरह से बदलाव आया है और जो अधिक महत्वपूर्ण है, उसके परिणाम विवाद के संबंध में स्पष्ट हैं।दूसरे शब्दों में, वह प्रस्तुत करेगा कि रिट याचिकाकर्ताओं/उत्तरदाताओं का मामला ही यह रहा है कि उनके

च

जी.

2 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 985 ए

एच.

503

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

संस्थान सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ न्यास हैं और इसलिए, वे 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत थे और उन्हें वक्फ नहीं माना जा सकता है।चूंकि, वक्फ और न्यास के बीच अंतर का आधार, जैसा कि न्यायालय द्वारा कथित निर्णय में माना गया था, लाभार्थी शब्द की पूर्व-संशोधन परिभाषा के साथ समझा जाने के बाद हटा दिया गया है, इसलिए कानून को वक्फ प्राप्त करने

और उन्हें अधिनियम के दृढ़ नियंत्रण में लाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। वह मामले के कानून पर निर्भर करता है जिसका हम उचित स्तर पर उल्लेख करेंगे।33. बोर्ड के विद्वान वकील श्री जावेद शेख ने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. के. वेणुगोपाल और श्री गोपाल शंकरनारायणन का समर्थन किया और विवादित फैसले को पलटने के उनके प्रयासों में उनका समर्थन करेंगे।

ग

34. श्री राहुल चिटनिस, राज्य के विद्वान वकील, जो कुछ विशेष अनुमति याचिकाओं में उपस्थित होते हैं, भी उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर समान आधारों पर हमला करते हैं और वे विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संबोधित तर्क को अपनाते हैं।वह प्रस्तुत करेंगे कि वर्ष 2011 में इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने के बाद, सरकार ने 07.12.2016 पर दूसरे सर्वेक्षण का आदेश दिया है।वह इंगित करेंगे कि 20.10.2010 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया गया है।35. श्री अनिल अंतुरकर, विद्वान वरिष्ठ वकील, 2016 के एसएलपी (सी) संख्या 3136 में उपस्थित होते हैं।

डी.

ई.

वह तर्क देंगे कि हालांकि इस न्यायालय ने वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के दायरे के बारे में फैसला सुनाया है।

मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान बनाम राधा किशन और अन्य 3

जहाँ तक वर्तमान अधिनियम का संबंध है, वह प्रस्तुत करेगा कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के बारे में शिकायत दूरगामी हो सकती है और टिकाऊ नहीं हो सकती है।उन्होंने अधिनियम की धारा 43 के प्रभाव पर जोर दिया जो वक्फों के मानित पंजीकरण का प्रावधान करता है।उन्होंने मदनूरी श्री राम चंद्र में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

च

मूर्ति बनाम सैयद जलाल 4.

36. वास्तव में, वह इस हद तक तर्क देगा कि यदि प्राकृतिक न्याय का उस हद तक पालन किया जाना है जिस हद तक इसका प्रचार किया गया है, तो कोई भी फलदायी परिणाम प्राप्त करना अस्वीकार्य हो सकता है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि वक्फों को धारा के तहत वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया होगा

जी.

3 (1979) 2 एससीसी **468 4 (2017) 13** एससीसी **174**

एच.

क.

28 1950 के अधिनियम का, 1950 के अधिनियम से पहले वक्फ होने के नाते। उस स्थिति में, कोई शिकायत नहीं हो सकती क्योंकि वे अधिनियम के तहत भी वक्फ के रूप में योग्य होंगे। यही कारण है कि एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ।37. वे यह भी इंगित करेंगे कि वक्फ, जो किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हैं, अधिनियम की धारा 43 के तहत पंजीकृत माने जाने वाले हैं। यहां तक कि उन्हें कोई शिकायत भी नहीं है।उन्होंने रामजस फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 5 (पैराग्राफ 31) में इस अदालत के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह कानून नहीं है कि वक्फ केवल मुसलमानों द्वारा बनाए जा सकते हैं और गैर-मुसलमान भी वक्फ बना सकते हैं।एकमात्र सीमा यह है कि इस तरह के

वक्फ को बनाने के लिए कानून द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए या उस व्यक्ति को लागू होने वाले कानून द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए जो एक गैर-मुस्लिम है।हालाँकि, वह आगे तर्क देते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट और वक्फ के बीच अंतर है और चैरिटी आयुक्त को सभी मुस्लिम ट्रस्टों को बनाने में उचित नहीं ठहराया गया था और इसके अलावा, वक्फ बोर्ड के लिए इस पर कार्य करना और उन्हें अधिनियम के तहत वक्फ के रूप में शामिल करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था।

ग

डी.

38. डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, अपीलार्थियों के मामले को दृढ़ता से यह इंगित करते हुए लड़ेंगे कि अपीलार्थी का मामला इस न्यायालय के निर्णयों की एक अटूट रेखा के दांतों में है जो एक सार्वजनिक न्यास और एक वक्फ के बीच स्पष्ट अंतर को सामने लाता है।वह प्रस्तुत करेंगे कि उनके मुवक्किल सर आदमजी पीरभॉय सैंटोरियम को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 16.06.1931 दिनांकित आदेश द्वारा तय की गई एक योजना के तहत बनाया गया था और जिसे 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। उत्तरदाता मुसलमानों द्वारा बनाए गए उपरोक्त सार्वजनिक न्यास के न्यासी थे और वे वक्फ नहीं थे।उन्होंने कहा कि एक मुसलमान शायद स्वाभाविक रूप से वक्फ बनाने के पक्ष में होगा।यह उन्हें सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास बनाने से नहीं रोकता है और न ही रोकता है।इसके अलावा, उनके अनुसार, यह भ्रम श्रेणी बी पंजीकृत सार्वजनिक न्यासों के कारण उत्पन्न हुआ था, जो कुछ और नहीं बल्कि मुसलमानों द्वारा पंजीकृत सार्वजनिक न्यास हैं, जिन्हें अधिनियम के तहत सामूहिक रूप से वक्फ में परिवर्तित किया जा रहा है। यह पूरी तरह से अनुचित है।प्रत्येक वक्फ एक न्यास है लेकिन प्रत्येक सार्वजनिक न्यास वक्फ नहीं है।वह प्रस्तुत करेंगे कि एक वक्फ स्थायी और अपरिवर्तनीय है जबकि न्यास स्थायी होने की आवश्यकता नहीं है और कुछ शर्तों के तहत रद्द किया जा सकता है।वक्फ संपत्ति अपरिहार्य है।न्यास के मामले में न्यास की संपत्ति का अलगाव वर्जित नहीं है।न्यास का संस्थापक स्वयं एक लाभार्थी हो सकता है, जबकि वक्फ का संस्थापक अपने लिए कोई लाभ सुरक्षित नहीं रख सकता है।इन शक्तियों

ई.

च

जी.

5 (2010) 14 एससीसी 38 ए

एच.

505

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

मुतवल्ली (वक्फ संपत्ति के प्रबंधक) की शक्तियां न्यासी की शक्तियों की तुलना में बहुत सीमित होती हैं।उन्होंने फैसले पर बहुत जोर दिया

नवाब ज़ैन यार जंग (मृत होने के बाद से) और अन्य बनाम धर्मादा निदेशक और अन्य (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय का, जिसका मोहम्मद में अनुसरण किया गया है।खासिम बनाम मोहम्मद।दस्तगीर और अन्य 6.यह इसके अलावा है

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त करते हुए बताया गया

कासिमिया चैरिटीज राजागिरी बनाम मद्रास राज्य वक्फ

बोर्ड,7. वह उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करेंगे और इंगित करेंगे कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में 34 जिलों में से 21 जिलों में शिया वक्फ की एक अलग सूची नहीं थी, जिन पर सर्वेक्षण किया गया था।

39. सामान्य कानून द्वारा शासित कई मुस्लिम न्यासों को भी सर्वेक्षण रिपोर्ट में गलती से वक्फ के रूप में शामिल किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट सर्वेक्षण के तहत 19987 वक्फ में से 15436 वक्फ के संबंध में सकल आय का संकेत देने में विफल रही।

ग

40. उच्च न्यायालय अपने तर्क में पूरी तरह से उचित था, विशेष रूप से क्योंकि इसमें जे. पी. सी. की रिपोर्ट भी शामिल है। यह भी तर्क दिया जाता है कि बोर्ड का गठन अलग-अलग श्रेणियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठीक से नहीं किया गया था, जिनसे बोर्ड की वैध संरचना के लिए सदस्यों को लिया जाना चाहिए।उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है और बोर्ड के वैध निगमन के लिए एक प्रस्तावना होनी चाहिए जो गंभीर कार्यों का निर्वहन करती है जिसमें धारा 32 के तहत अधीक्षण की शक्ति, धारा 36 के तहत पंजीकरण की शक्ति, धारा 37 के तहत रजिस्टर का रखरखाव और धारा 40 के तहत बोर्ड की उसमें उल्लिखित मामलों को तय करने की शक्ति शामिल है।उन्होंने बोर्ड की संरचना को एक गंभीर चुनौती दी और शिकायत की कि यह अवैध था।

डी.

ई.

41. 13.11.2003 पर अधिसूचित सूची विभिन्न विसंगतियों से ग्रस्त थी जिन्हें उजागर किया गया है।उन्होंने आगे द्विभाजन समिति के गठन के सरकार के फैसले के बाद के घटनाक्रमों पर चर्चा की।हमें रिपोर्ट, बैठकों, प्रस्तावों, शुद्धिपत्र और अधिसूचनाओं के माध्यम से ले जाने के बाद, यह तर्क दिया गया कि 13.11.2003 की सूची के बाद, संशोधित सूची 05.05.2005 पर जारी की गई थी जो पूरी तरह से 09.03.2005 के संकल्प पर आधारित है, जिसका आधार 11.08.2004 पर हुई बैठक में है।यह सब एक साथ, वह प्रस्तुत करेगा, स्पष्ट रूप से समझ की ओर इशारा करता है

च

जी.

6 (2006) 13 एससीसी 497

7 1963 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 132

एच.

506

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

स्वयं सरकार और इससे भी अधिक, बोर्ड ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण अत्यधिक त्रुटिपूर्ण था।सार्वजनिक न्यास जो वक्फ से स्पष्ट रूप से अलग हैं, उन्हें चैरिटी आयुक्त द्वारा कानूनी स्थिति की गलत समझ पर फिर से बनाया गया और राज्य और बोर्ड द्वारा आत्मसात किया गया।इस गलती को पहचाना गया और इसमें संशोधन किया गया।इसलिए वह प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी आधार पर यह न्यायालय विशेष रूप से लंबे समय को ध्यान में रखते हुए, दिनांकित 13.11.2003 की मूल सूची से सार्वजनिक न्यासों को बाहर करने के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।वह प्रस्तुत करेंगे कि यह क्षण की बात है क्योंकि उत्तरदाता-पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कई वर्षों से धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं और इस रूप में मान्यता प्राप्त है।इस दृष्टिकोण को आहत करने के किसी भी प्रयास का परिणाम वास्तव में गंभीर अन्याय होगा।उन्होंने हमसे इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से भी समर्थन प्राप्त करने का आग्रह किया।उनके अनुसार, अंतरिम आदेश में

ग

जिसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम यूसुफ भाई में दी गई है।

चावला और अन्य (2012) 6 एस. सी. सी. 328, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक न्यास और एक वक्फ के बीच के अंतर की सराहना की है और केवल वक्फों के लिए सार्वजनिक न्यासों से अलग सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा है और यह अंतर अंतरिम आदेश में देखा गया है जो नवाब जैन यार जंग में इस न्यायालय के फैसले पर आधारित है।

डी.

(मृत होने के बाद से) और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक और

हमारी स्वीकृति के लिए अन्य 8 की सराहना की जाती है।42. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी ने यह भी कहा कि धारा 13 (2) में एक मूल लोकतांत्रिक मूल्य शामिल है और सुन्नी और शियाओं के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग बोर्डों की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है।

ई.

43. श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील, 2011 के एसएलपी (सी) संख्या 31288-90 और 2017 के एसएलपी (सी) संख्या 1132 में उपस्थित होते हैं।वह प्रस्तुत करेंगे कि मुस्लिम कानून अंग्रेजी ट्रस्ट की अवधारणा को मान्यता देता है।इसके अलावा, यह ऐसे न्यास और वक्फ के बीच के अंतर को भी पहचानता है।मुस्लिम कानूनी शब्दावली में ट्रस्ट को अमान के रूप में जाना जाता है और इसे वक्फ के रूप में नहीं माना जाता है।मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 में ट्रस्ट और वक्फ दोनों को अलग-अलग संदर्भित किया गया है।वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 2 (आर) में परिभाषा केवल वक्फ शब्दों की व्याख्या करती है और इसे परिभाषित करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक न्यास को वक्फ में परिवर्तित किया जाना है।वक्फ को कुछ कानूनी विशेषताओं को पूरा करना चाहिए।इसमें किसी मुसलमान द्वारा बनाए गए सभी न्यास शामिल नहीं हो सकते।1950 का अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और ऐसा कोई ज्ञात सिद्धांत नहीं है जो

च

जी.

एच.

8 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 985 ए

507

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

एक व्यक्ति को एक प्रथागत कानून का पालन करने के लिए मजबूर करना और उसे दान करने के लिए धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत उसके अधिकारों से वंचित करना।संविधान प्रथागत अधिकारों को संरक्षित करता है लेकिन धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत किसी भी समुदाय या धर्म के सदस्यों को उपलब्ध लाभों को नहीं छीनता है।वह मोहम्मद में इस अदालत के फैसले पर आधारित है। खासिम बनाम मोहम्मद।दस्तगीर और अन्य (उपरोक्त) पर विद्वान वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी ने भी भरोसा किया।इसके अलावा, निश्चित रूप से, हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है

नवाब ज़ैन यार जंग (मृत होने के बाद से) और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक और अन्य (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

44. वह इंगित करेंगे कि मुतवल्ली का वक्फ संपत्ति पर कोई स्वामित्व अधिकार या अधिकार नहीं है।बे बिथिङाव बियो ट्रास्टि नङा।इस संबंध में, वह मुस्लिम कानून पर तैयबजी से समर्थन प्राप्त करता है।एक मुतवल्ली को वक्फ की संपत्ति के साथ सौदा करने का अधिकार नहीं है, जो कि संपत्ति का निपटान या हस्तांतरण है, एक वक्फ की संपत्ति अविभाज्य है।2013 के संशोधन अधिनियम 27 द्वारा अधिनियम की धारा 51 के तहत इसे मान्यता दी गई है।वक्फ की तीन अलग-अलग विशेषताएं होती हैं।, यह शाश्वत, अविभाज्य और अपरिवर्तनीय है।न्यास के मामले में, न्यासी द्वारा संपत्ति हस्तांतरणीय होती है।उन्होंने अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और उनका तर्क है कि इसमें केवल यह प्रावधान है कि वक्फ के

लिए, जो पहले से ही किसी भी कानून के तहत पंजीकृत है, अधिनियम के तहत फिर से पंजीकरण करना आवश्यक नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिनियम से पहले जो मुस्लिम पब्लिक ट्रस्ट था, वह वक्फ बन जाएगा।

ग

डी.

ई.

45. श्री हरीश साल्वे प्रस्तुत करते हैं कि मुसलमानों द्वारा बनाए गए न्यासों का प्रशासन चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रहेगा, हालांकि अधिनियम लागू होने के बाद, मुस्लिम वक्फ को अधिनियम के तहत प्रशासित करने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निष्कर्षों का समर्थन करेंगे।वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादियों को बिना किसी आधार के वक्फ के रूप में शामिल किया गया है और केवल इस आधार पर कि उन्हें 1950 के अधिनियम के तहत मुस्लिम पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है, जो अस्वीकार्य है।

च

46. श्री वाई. एच. मुच्छाला, विद्वान वरिष्ठ वकील, हालांकि, अनिवार्य रूप से अपीलार्थियों की दलीलों के बारे में उन्हीं शिकायतों को प्रतिध्वनित करेंगे।वह प्रस्तुत करेंगे कि अधिनियम की धारा 97 सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है जो बोर्ड पर बाध्यकारी हैं।यह निवेदन द्विभाजन समिति के गठन के संदर्भ में किया गया है।इसलिए वह तर्क देंगे कि सरकार द्वारा स्वयं अपनी गलतियों को महसूस करते हुए गठित की गई द्विभाजन समिति ने अपनी गलतियों के लिए संशोधन किया है और वक्फ बोर्ड ने अपनी गलतियों के लिए संशोधन किया है।

जी.

एच.

क.

समिति की कार्यवाही में भाग लेने वाले को अधिनियम की धारा 97 के तहत जारी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला माना जाना चाहिए। बोर्ड के पास कानूनी रूप से कोई विकल्प नहीं था और वर्तमान अपीलों को अधिनियम की धारा 97 के तहत निर्देशों के उल्लंघन पर आधारित माना जाना चाहिए जो अस्वीकार्य है।वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि संस्थानों का इतिहास बताएगा कि वे सभी सार्वजनिक न्यास थे और वक्फ से कानून में पूरी तरह से अलग थे।यह इस मौलिक अंतर को कम कर रहा है कि सर्वेक्षण किया गया था, सूचियाँ प्रकाशित की गईं और अवैधताओं को बनाए रखने की कोशिश की गई।उच्च न्यायालय ने उन अवैधताओं को सही किया है जिनके लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसकी शक्ति निर्विवाद है।केवल यह तथ्य कि अधिनियम द्वारा फिर से एक वैकल्पिक मंच प्रदान किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को किसी भी तरह से बाधित नहीं करता है।वह यह भी प्रस्तुत करेगा कि अपीलकर्ताओं के लिए यह पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा कि वे इस न्यायालय को दिनांकित सूची से किसी भी दर पर अपने कदमों को वापस लेने के लिए राजी करें। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि हालांकि अधिनियम की धारा 40 के तहत शक्ति उपलब्ध हो सकती है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि यह धारा लंबे समय तक अप्रयुक्त रही।अधिकारियों ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि उच्च न्यायालय का निर्णय पक्षों के लिए न्याय तक पहुँच गया है और यह न्यायालय किसी भी तरह से मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।उनका एक वैकल्पिक अनुरोध भी है कि यदि इस न्यायालय को किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय को उपलब्ध शक्तियों के संदर्भ में उनके पक्षों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

ग

डी.

ई.

47. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वाई. एच. मुच्छाला प्रस्तुत करते हैं कि सर्वेक्षण आयुक्त ने अवैध रूप से काम किया।बोर्ड की अधिसूचना अवैध थी और दिनांकित 13.11.2003 और दिनांकित 30.12.2004 सूचियों का अवैध होने के कारण पालन नहीं किया जाना चाहिए।वक्फ के निर्माण के बिना एक मुसलमान के लिए दान की अनुमति है और यह संभव है।उनका मामला उच्च न्यायालय के इस तर्क के अनुरूप है कि अधिनियम को लागू करने के लिए एक वैध तंत्र के निर्माण पर ही 1950 के अधिनियम को निरस्त किया जाएगा।, बोर्ड का एक वैध निगमन और इसका उचित गठन है।

च

48. वह प्रस्तुत करेंगे कि संस्थान के वक्फ होने के बारे में एक उचित निष्कर्ष होना चाहिए, यहां तक कि सर्वेक्षणकर्ता के हाथों भी।उस कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है।मामले के तथ्यों में, वह उच्च न्यायालय के फैसले को असाधारण बताते हुए उसका समर्थन करेंगे।बोर्ड कार्यात्मक नहीं था, क्योंकि अधिसूचना की तारीख 13.11.2003 पर, बोर्ड में केवल सरकारी नामांकित व्यक्ति शामिल थे।यह आवश्यकता कि निर्वाचित सदस्य नामित सदस्यों से अधिक होने चाहिए, केवल इसके उल्लंघन में देखी गई।

जी.

एच.

509

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत आज भी कोई वैध और प्रभावी तंत्र नहीं है।सरकार कानून के आदेश का पालन किए बिना सदस्यों की नियुक्ति करती रही है।इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ से संबंधित मुस्लिम कार्मिक कानून को संहिताबद्ध करना नहीं है।अधिनियम में केवल वक्फों के उचित प्रशासन के लिए एक प्रशासन या तंत्र के निर्माण का प्रावधान है।वह उन मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं जो एक वक्फ को एक न्यास से अलग करती हैं और वह तर्क देंगे कि अपीलों में कोई योग्यता मौजूद नहीं है।

49. श्री नायडू, विद्वान वरिष्ठ वकील, उत्तरदाताओं में से एक की ओर से पेश होते हुए भी दलीलों का समर्थन करेंगे और अनिवार्य रूप से उत्तरदाताओं की दलीलों को अपनाएंगे और वह वक्फ की संस्था के इतिहास का पता लगाएंगे और वे यह भी तर्क देंगे कि दान करने पर पैगंबर द्वारा जोर दिया जाता है और एक सार्वजनिक न्यास भी स्थापित किया जा सकता है, बिना इसे वक्फ के रूप में सूचीबद्ध किए।

ग

50. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विनरी नावरे ने कहा कि उनके मामले में रिट याचिकाकर्ता उपासक थे जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।यह पूछे जाने पर कि क्या वे सुन्नी थे या शिया, वह निष्पक्ष रूप से बताते हैं कि रिट याचिकाकर्ता आस्था से सुन्नी थे।यह पूछे जाने पर कि सुन्नी उपासकों को सार्वजनिक न्यासों पर शिकायत कैसे हो सकती है जो अनिवार्य रूप से शियाओं द्वारा बनाए गए हैं, और जब मामले में पूरी शिकायत और तर्क अनिवार्य रूप से शिया वक्फों को हुई चोट पर आधारित था, तो वह प्रस्तुत करेंगे कि पक्षों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, भले ही लाभार्थी हों।

डी.

ई.

51. श्री विनय नवारे ने यह भी कहा कि उनका तर्क थोड़ा अलग है।उन्होंने कहा कि यह मानते हुए भी कि सुन्नी और शियाओं के लिए अलग-अलग बोर्डों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है, एक वैधानिक कर्तव्य है कि सरकार को उस समय प्रदर्शन करना चाहिए जब वह सुन्नी और शिया वक्फ की संख्या के बारे में पता लगाने के लिए एक बोर्ड को शामिल करने का निर्णय लेती है।इस

संबंध में, वह अधिनियम की धारा 14 (6) का उल्लेख करते हैं और वह तर्क देंगे कि इसके तहत, सुन्नी और शिया संप्रदायों से संबंधित सदस्यों को उनकी संख्या और मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है।इसलिए, धारा 14 (6) में निहित विधायी इरादे को प्रभावी बनाने के लिए सर्वेक्षण में प्रकट डेटा नहीं तो कुछ सामग्री होनी चाहिए।उन्होंने हमें तीन हलफनामों के माध्यम से यह इंगित करने के लिए मजबूर किया कि सरकार को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि शियाओं के वक्फों से निपटने के लिए एक अलग शिया बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

च

जी.

एच.

क.

52. जवाब में, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री गोपाल शंकरनारायणन, विशेष रूप से, यह इंगित करेंगे कि यह एक ऐसा मामला है जहां धारा 4 के तहत सर्वेक्षण के दौरान, प्रभावित व्यक्तियों को एक प्रश्नावली दी गई थी और इस संबंध में, वह उच्च न्यायालय के आधार पर निर्भर है जो जेपीसी की रिपोर्ट है।

53. दूसरे शब्दों में, जे. पी. सी. इस तथ्य को संदर्भित करता है कि प्रश्नावली भेजी गई थी।इसलिए, वह सवाल उठाते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे होगा।

54. वह आगे इस बात पर जोर देंगे कि धारा 4 केवल प्रारंभिक सर्वेक्षण का प्रावधान करती है और कोई भी अधिकार नहीं बनाए जाते हैं या प्रभावित नहीं होते हैं।वह आगे बताते हैं कि वक्फ अधिनियम की धारा 93 बोर्ड द्वारा किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही में समझौता करने पर प्रतिबंध लगाती है।वह इंगित करेंगे कि ऐसे मामले हुए हैं जहां अवैध समझौता हुआ है।इस तर्क को द्विभाजन समिति के गठन और उसके बाद की कार्यवाही के खिलाफ उनके हमले के संदर्भ में लिया गया है।दूसरे शब्दों में, वह दिनांकित 13.11.2003 और 30.12.2004 की संक्षिप्त सूची से समर्थन प्राप्त करने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से किए गए प्रयास को खारिज करते हैं।

ग

डी.

55. विद्वान वकील श्री गोपाल शंकरनारायण इस बात पर जोर देंगे कि "लाभार्थी" शब्द में संशोधन के बाद वक्फ और न्यासों के लिए दुनिया बदल गई है।वह तर्क देंगे कि एक वैध वक्फ के अस्तित्व में आने के लिए, यह कानून नहीं है कि सर्वशक्तिमान के प्रति समर्पण होना चाहिए।सर्वशक्तिमान के प्रति इस तरह के किसी भी दृढ़ समर्पण के बिना वक्फ की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा।अलग-अलग मानदंडों को पूरा करने वाली संपत्ति का एकमात्र रोजगार आवश्यक है, जिसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि संपत्ति का वास्तव में स्थायी रूप से उपयोग किया जाता है, इसे रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और आगे संपत्ति कानून के अधीन अविभाज्य है।

ई.

च

56. विभिन्न विवादों से निपटने से पहले, हमें देश में 'वक्फ' की संस्था को प्रभावित करने वाले कानून का संक्षिप्त अवलोकन करना होगा।वक्फ एक ऐसा संस्थान है जो मुस्लिम समुदाय के दिल के करीब है।इसकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न संस्करण हैं। इस तरह के एक पर ध्यान देना ही पर्याप्त है।पृष्ठ 192 पर सैयद अमीर अली (चौथा संस्करण) द्वारा उनके काम, महोम्मदन लॉ में कहा गया हैः

जी.

“उमर ने खैबर (कैन्टन) में भूमि का एक टुकड़ा हासिल किया था, और पैगंबर के पास गया और ए बनाने के लिए उनकी सलाह मांगी।

एच.

511

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

इसका सबसे पवित्र उपयोग, (जिसके बाद) पैगंबर ने घोषणा की, 'संपत्ति (ए. एस. एल. या कोष) को बांधें और उपयोग को मनुष्यों को समर्पित करें, और इसे बेचा या उपहार या विरासत का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए; इसकी उपज को अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों और गरीबों को भगवान के मार्ग में समर्पित करें।

57. हम सैयद अमीर अली की पुस्तक "महोम्मदन लॉ" में पृष्ठ 192 पर निहित कुछ और बयानों को देख सकते हैंः

“इस प्रकार एक वक्फ मुसलमानों के पूरे धार्मिक जीवन और सामाजिक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है।“मुसलमान प्रणाली में न्यासों को सुविधा के लिए तीन शीर्षों, अर्थात् सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक और निजी, के तहत विभाजित किया जा सकता है।यह संभवतः अरब न्यायविदों द्वारा अपनाए गए विभाजन का संकेत देगा, जो वक्फ या न्यासों को निम्नलिखित तीन शीर्षों के तहत समूहित करते हैं, अर्थात्ः- (क) संपन्न और निर्धन दोनों के पक्ष में न्यास (ख) संपन्न के पक्ष में न्यास और फिर निर्धनों के पक्ष में न्यास (ग) केवल निर्धनों के पक्ष में न्यास।उपयोगिता के सार्वजनिक कार्यों के लिए न्यास जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए समर्पित हैं, हालांकि पहले शीर्ष के तहत वर्गीकृत हैं, उनका एक विशिष्ट नाम है।इन्हें मसलीह-उल-आम्मा के लिए वक्फ कहा जाता है और अन्य वक्फों से एक विशेषता में भिन्न होते हैं।"

ग

डी.

58. वाकीफ को मुक्त होना चाहिए।वह एक वयस्क और समझदार होना चाहिए।संपत्ति निश्चित होनी चाहिए।घोषणा किसी विशेष रूप में होने की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि समर्पण मौजूद होना चाहिए।समर्पण क्षणिक नहीं होना चाहिए बल्कि यह स्थायी होना चाहिए।समर्पण उन उद्देश्यों के लिए होना चाहिए जिन्हें मुस्लिम कानून के अनुसार पवित्र, धर्मार्थ या धार्मिक माना जाता है।
59.वक्फ-अल-औलाद भी एक वक्फ होता है।वास्तव में, हम सैयद अमीर अली (उपरोक्त) के कार्य में पृष्ठ 214 और 215 पर निम्नलिखित कथन पाते हैंः

ई.

च

“सदाका शब्द महामादान कानून से संबंधित कार्यों में इतनी बार आता है, और वक्फ के गठन पर इसका इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि इस्लामी प्रणाली में समर्पण से संबंधित नियमों की संपत्ति की समझ के लिए इसके अर्थ की सटीक आशंका आवश्यक है।

जी.

रिचर्डसन ने अपने शब्दकोश में इसका अनुवाद "दान-उपहार" और "पवित्र उपयोगों के लिए समर्पित संपत्ति" के रूप में किया है।” हेदयाह के फारसी संस्करण के अनुवादक हैमिल्टन ने स्पष्ट रूप से सोचा कि इस शब्द का अर्थ गरीबों के लिए 'भिक्षा' है और इस त्रुटि ने बाद की सभी अवधारणाओं को प्रभावित किया है।

एच.

क.

वास्तव में, मुसल्मान प्रणाली में सदाका शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है।इसका अर्थ है, संपत्ति की बात करें तो, एक पवित्र कार्यः- "पड़ोसी के चेहरे पर मुस्कान सदाका है; थके हुए लोगों की मदद करना सदाका है।" संभवतः, एकमात्र अभिव्यक्ति जिसके द्वारा इसका अर्थ लगाया जा सकता है, वह है अपने व्यापक अर्थों में दान शब्द।

हालाँकि, मुसलमान कानून में, इसका अर्थ सर्वशक्तिमान की स्वीकृति, या अगली दुनिया में पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई भेंट या उपहार है।

XXX

एक्सएक्सएक्स

XXX

"अल्लाह के पैग़म्बर ने घोषणा की है कि किसी के परिवार को उनकी कमी के खिलाफ प्रदान करने के लिए एक पवित्र भेंट भिखारियों को दान देने से अधिक पवित्र है।"

ग

"अल्लाह के पैग़म्बर ने कहा, जब कोई मुसलमान अपने परिवार और रिश्तेदारों को अल्लाह की मंजूरी पाने के उद्देश्य से दान देता है, तो यह सदाका है, हालांकि उसने गरीबों को नहीं बल्कि अपने परिवार और बच्चों को दिया है।

डी.

"सदाकाह में सबसे बढ़िया वह है जो एक आदमी अपने परिवार को देता है।"

"पुरस्कार के मामले में सबसे बड़ी सदाका वह है जो आप अपने परिवार को देते हैं।"

"एक गुलाम को मुक्त करने के लिए पैसा देना, गरीबों को दान देना, अपने बच्चों और रिश्तेदारों को देना, ये सब सदाकाह हैं।"

ई.

60. जिस क्षण समर्पण किया जाता है, माना जाता है कि वाकीफ को उसका इनाम मिलता है।हम इस संदर्भ में पृष्ठ 211 पर सैयद अमीर अली के कार्य से निम्नलिखित कथन पर ध्यान दे सकते हैंः

"यह भी याद रखना चाहिए कि वक्फ संपत्ति का अनावश्यक हस्तांतरण नहीं है।यह सर्वशक्तिमान के कानूनी स्वामित्व में पर्याप्त विचार के लिए एक हस्तांतरण है।, उसका इनाम, जो वक्फ बनने के साथ ही प्राप्त हो जाता है।जैसा कि बाद में देखा जाएगा, एक वक्फ एक गुलाम की मुक्ति की तरह प्रभावी होता है।प्रतिसंहरण की कोई शक्ति नहीं है और न ही कोई आरक्षण हो सकता है; और न तो वाकीफ और न ही उनसे उपाधि प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति बाद में कह सकता है कि उनका बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय वक्फ बनाने का कोई इरादा नहीं था।" वक्फ-अलाल-औलाद का एक मामला हालांकि अबुल फाटा मोहम्मद बनाम रुसोमॉय 9 में प्रिवी काउंसिल तक पहुंच गया।प्रिवी काउंसिल ने यह विचार रखा

च

जी.

9 (1894) 22 कैल। 619:22 आई. ए.76 ए.

एच.

कि इसे एक वैध वक्फ के रूप में नहीं माना जा सकता था यदि संपत्ति का आनंद वंशजों को अंतहीन रूप से लेना था और दान के लिए समर्पण भ्रामक या छोटा था।इससे मुसलमानों में काफी आक्रोश पैदा हो गया।मुसलमान-वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 पारित किया गया।इसने वक्फ-अल-औलाद की संस्था को वैध बना दिया।वर्ष 1930 में एक और अधिनियम पारित किया गया जिसने इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया।इस बीच, मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 पारित किया गया।उक्त अधिनियम बॉम्बे प्रेसीडेंसी में मुसलमान वक्फ (बॉम्बे संशोधन) अधिनियम, 1935 (1935 का XVIII) द्वारा लागू किया गया था।बॉम्बे राज्य में 1935 के अधिनियम में कुछ भिन्नताएँ थीं।1945 में अधिनियम में फिर से संशोधन किया गया।

ग

61. बॉम्बे, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शुरू में प्रेसीडेंसी वर्ष 1859 से ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के तहत थी।वर्ष 1937 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पारित होने के बाद, बॉम्बे प्रेसीडेंसी ब्रिटिश भारत में एक प्रांत बन गया। स्वतंत्रता के आगमन के साथ और संविधान के तहत, बॉम्बे एक भाग ए राज्य बन गया।राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के पारित होने के साथ, बॉम्बे को कुछ अन्य हिस्सों के साथ, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र शामिल था, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य के रूप में गठित किया गया।यह संदर्भ वर्ष 1950 की परिस्थितियों पर ध्यान देने के लिए दिया जा रहा है, जब बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 पारित किया गया था।यह तत्कालीन बॉम्बे राज्य पर लागू था, जिसमें संयोग से वर्तमान गुजरात राज्य के कुछ हिस्से भी शामिल थे।वास्तव में, इसमें वह क्षेत्र भी शामिल था जो आज सिंध है।जबकि मराठवाड़ा क्षेत्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा नहीं था, मराठवाड़ा में अनिवार्य रूप से छह जिले शामिल थे जो औरंगाबाद राजस्व प्रभाग का हिस्सा थे, मराठवाड़ा वक्फ अधिनियम, 1954 द्वारा शासित था जो हमें ध्यान देना चाहिए कि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 की तुलना में एक 'सुधार' है।1923 के वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्डों द्वारा वक्फों को नियंत्रित नहीं किया गया था।वक्फों को अदालतों में रिटर्न दाखिल करना पड़ता था।हालाँकि, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि बॉम्बे राज्य में लागू वक्फ अधिनियम 1923 में, वक्फ़ों की सूची के प्रकाशन के लिए कानून का प्रावधान किया गया था।हालाँकि, जब 1950 का अधिनियम बॉम्बे राज्य में लागू किया गया और चूंकि वक्फ अधिनियम, 1954 राज्य पर लागू नहीं था, इसलिए बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 ने वक्फ़ों को शासित किया, जिन्हें सार्वजनिक न्यास माना जाता था।बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ने धारा 2 (13) के तहत "पब्लिक ट्रस्ट" शब्द की निम्नलिखित परिभाषा प्रदान की।यह नीचे लिखा हैः

डी.

ई.

च

जी.

2(13) “सार्वजनिक न्यास का अर्थ है सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य या दोनों के लिए एक स्पष्ट या रचनात्मक न्यास और इसमें शामिल हैं -

एच.

क.

एक मंदिर, एक मठ, एक वक्फ, [एक धर्मदा] या कोई अन्य धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती और या तो धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए या दोनों के लिए गठित और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी;

62. धारा 2 (19) दिलचस्प रूप से 'वक्फ' शब्द की परिभाषा प्रदान करती है।ऐसा इसलिए है ताकि सार्वजनिक विश्वास की परिभाषा में परिभाषित वक्फ की उचित रूप से सराहना की जाए।'1950 के अधिनियम की धारा 2 (19) के तहत वक्फ का प्रावधान एक वक्फ के लिए किया गया था जिसे मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्य के लिए इस्लाम का प्रचार करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया था और इसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ और मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए मशरूत-उल-खिदमत सहित अनुदान शामिल हैं।वक्फ-अल-औलाद जिस हद तक संपत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाता है, वह भी एक वक्फ था जो एक सार्वजनिक न्यास के रूप में योग्य होगा।हालाँकि, इसमें मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 की धारा 3 के तहत वर्णित वक्फ शामिल नहीं था, जिसके तहत वक्फ या परिवार के किसी सदस्य या वंशज द्वारा अपने लिए किसी भी लाभ का दावा किया जा रहा है।इस परिभाषा के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करना प्रासंगिक और उचित है।हम समझेंगे कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत जो एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में शामिल है, वह केवल एक मुस्लिम पब्लिक ट्रस्ट है।इस संबंध में हम ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 798 799 में इस न्यायालय के फैसले में निहित कानून की निम्नलिखित घोषणा का विज्ञापन करेंगे।

ग

डी.

ई.

"6....इसी तरह, यहां तक कि मुसलमान कानून भी एक निजी न्यास के अस्तित्व को मान्यता देता है जो एक धर्मार्थ प्रकृति का भी है और जिसे आम तौर पर वक्फ-अल्लाल-औलाद कहा जाता है, जहां अंतिम लाभ भगवान के लिए आरक्षित है लेकिन संपत्ति लाभार्थियों में निहित है और संपत्ति से आय का उपयोग संस्थापक और उसके वंशजों के परिवार के रखरखाव और समर्थन के लिए किया जाता है।यदि परिवार विलुप्त हो जाता है तो वक्फ एक सार्वजनिक वक्फ बन जाता है, जो भगवान में निहित संपत्ति है। मुसलमान के अधीन एक सार्वजनिक वक्फ

च

कानून को वक्फ-फाई-सबी-लिल-लाह कहा जाता है।"

63. हम यह भी देख सकते हैं कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में वक्फ की परिभाषा में वक्फ को वक्फ के विषय के रूप में सार्वजनिक उपयोगिता को अपनाने के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है।हालाँकि, धर्मार्थ उद्देश्य को 1950 के अधिनियम की धारा 9 में परिभाषित किया गया है। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य उद्देश्य की प्रगति शामिल है।वह इस प्रकार हैः

जी.

एच.

515

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

"9. धर्मार्थ उद्देश्य।- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक धर्मार्थ उद्देश्य में शामिल हैं -

(1) गरीबी या संकट से राहत, (2) शिक्षा,

(3) चिकित्सा राहत और

(4) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति, लेकिन इसमें कोई ऐसा उद्देश्य शामिल नहीं है जो -

((क) केवल खेलों के लिए, या

(ख) केवल धार्मिक शिक्षा या पूजा के लिए।"

ग

64. धारा 28, प्रासंगिक होने के कारण, इस पर ध्यान दिया जाता है।धारा 28 इस प्रकार है

इसके अंतर्गतः

"28. अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत पहले से पंजीकृत सार्वजनिक न्यास।—

डी.

(1) अनुसूची-ए और अनुसूची-ए. ए. में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सभी सार्वजनिक न्यासों को उस तारीख से इस अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा जिस दिन से यह अधिनियम उन पर लागू किया जा सकता है। उस क्षेत्र या उप-क्षेत्र का उप या सहायक चैरिटी आयुक्त, जिसकी सीमाओं में उक्त अधिनियमों में से किसी के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीकृत किया गया था, धारा 17 के तहत रखे गए रजिस्टर में ऐसे ट्रस्ट से संबंधित प्रविष्टियों को दर्ज करने के उद्देश्य से ऐसे ट्रस्ट के ट्रस्टी को नोटिस जारी करेगा और ट्रस्टी को सुनने और ऐसी जांच करने के बाद जो निर्धारित की जाए, इसलिए कारण के साथ निष्कर्ष दर्ज करेगा।इस तरह के निष्कर्ष उक्त अधिनियमों के तहत पहले से किए गए रजिस्टरों में प्रविष्टियों के अनुसार होंगे, जो ऐसे परिवर्तनों के अधीन होंगे जो आवश्यक या समीचीन हों।

ई.

च

(2) उप-धारा (1) के तहत दर्ज किए गए निष्कर्षों से व्यथित कोई भी व्यक्ति चैरिटी आयुक्त के पास अपील कर सकता है।

जी.

(3) इस अध्याय के प्रावधान, जहां तक हो सके, धारा 17 के तहत रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टियों के विषय पर लागू होंगे और इस तरह की प्रविष्टियां अंतिम और निर्णायक होंगी।"

65. नोटिस करने के लिए अगला प्रासंगिक प्रावधान धारा 36 है।इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

इसके अंतर्गतः

एच.

क.

"36. [(1) [न्यास के साधन में कुछ भी निहित होने के बावजूद]।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(क) किसी भी अचल संपत्ति की कोई बिक्री, बंधक, विनिमय या उपहार नहीं, और

(ख) कृषि भूमि के मामले में दस साल से अधिक की अवधि के लिए या गैर-कृषि भूमि या सार्वजनिक न्यास से संबंधित भवन के मामले में तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कोई पट्टा चैरिटी आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना मान्य नहीं होगा।(2) उप-धारा (1) के तहत चैरिटी आयुक्त के निर्णय को न्यासियों को सूचित किया जाएगा और इसे उस तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।

ग

(3) इस तरह के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

(4) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा निर्णय अंतिम होगा।"

डी.

66. धारा 36 से जो प्रासंगिक है वह यह है कि एक सार्वजनिक ट्रस्ट के मामले में जिसमें बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत एक वक्फ शामिल है, वक्फ की संपत्ति को बेचा जा सकता है, जिसके तहत एकमात्र आवश्यकता चैरिटी कमिश्नर की पिछली मंजूरी है।हम इस मोड़ पर यह देख सकते हैं कि यह अधिनियम के तहत वक्फ की अपरिहार्य आवश्यकताओं में से एक के साथ सामंजस्य नहीं रखता है कि वक्फ की संपत्ति को अलग नहीं किया जा सकता है।धारा 37 निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्ति से संबंधित है।

ई.

67. धारा 38 न्यासियों द्वारा चैरिटी आयुक्त को दिए जा रहे स्पष्टीकरण से संबंधित है।धारा 41 ए से 41 ई विभिन्न अतिरिक्त शक्तियों से संबंधित है जो प्रदान की गई हैं जिनमें चैरिटी आयुक्त द्वारा न्यासियों के निलंबन, छूट, बर्खास्तगी की शक्ति शामिल है। धारा 79 पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।यह नीचे लिखा हैः“79. सार्वजनिक न्यास संपत्ति के रूप में संपत्ति का निर्णयः- (1) कोई भी प्रश्न, कि क्या कोई न्यास मौजूद है या नहीं और ऐसा न्यास एक सार्वजनिक न्यास है या विशेष संपत्ति ऐसे न्यास की संपत्ति है, इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई अपील में उप या सहायक दान आयुक्त या दान आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा। (2) उप या सहायक चैरिटी आयुक्त या चैरिटी आयुक्त का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अपील में, जब तक कि 'क' निर्धारित नहीं किया जाता है।

च

जी.

एच.

517

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

आवेदन पर न्यायालय के निर्णय या अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करना अंतिम और निर्णायक होगा।"

68. धारा 85 में निरसन का प्रावधान है।वह इस प्रकार हैः

“85. निरस्त करनाः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

(1) धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1862 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।(2) इस अधिनियम के प्रावधानों को धारा 1 की उप-धारा (4) के तहत किसी भी सार्वजनिक न्यासी वर्ग के न्यासों पर लागू करने की तारीख को, इस धारा में इसके बाद उक्त तारीख को संदर्भित किया गया है, अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधान जो ऐसे न्यास या न्यासों के वर्ग पर लागू होते हैं, ऐसे न्यास या न्यासों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे।

ग

(3) सिवाय इसके कि इस धारा में अन्यथा प्रावधान किया गया है, ऐसा निरसन या समाप्ति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी -

((क) उक्त तिथि से पहले अर्जित कोई अधिकार, स्वामित्व, ब्याज, दायित्व या दायित्व, उपार्जितकर्ता।

डी.

(ख) ऐसे अधिकार, स्वामित्व, ब्याज, दायित्व या दायित्व के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही या उपाय, या

(ग) उक्त तिथि से पहले विधिवत किया गया या पीड़ित किया गया कुछ भी।

(4) उप-धारा (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 के तहत किसी भी प्राधिकरण के समक्ष खर्च की जाने वाली सभी कार्यवाहियां, जैसा कि मुसलमान वक्फ बॉम्बे संशोधन अधिनियम, 1935, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट पंजीकरण अधिनियम, 1935, या पारसी पब्लिक ट्रस्ट पंजीकरण अधिनियम, 1936 द्वारा संशोधित की गई हैं, उक्त तिथि से तुरंत पहले चैरिटी आयुक्त को हस्तांतरित की जाएंगी और ऐसी किसी भी कार्यवाही को चैरिटी आयुक्त या उप या सहायक चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा, क्योंकि चैरिटी आयुक्त निर्देश दे सकते हैं।ऐसी कार्यवाहियों के निपटारे में चैरिटी कमिश्नर, डिप्टी चैरिटी कमिश्नर या सहायक चैरिटी कमिश्नर, जैसा भी मामला हो, के पास वही शक्तियां होंगी जो अदालत में मुसलमान वक्फ (बॉम्बे संशोधन) अधिनियम, 1935 द्वारा संशोधित मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 के तहत और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट पंजीकरण अधिनियम, 1935 और पारसी पब्लिक ट्रस्ट पंजीकरण अधिनियम, 1936 के तहत पंजीयकों द्वारा निहित और प्रयोग की गई थीं और वे ऐसे आदेश पारित करेंगे जो न्यायसंगत या उचित हों।

ई.

च

जी.

एच.

क.

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के तहत प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा रखे गए सभी अभिलेख चैरिटी आयुक्त या उप या सहायक चैरिटी आयुक्त को हस्तांतरित किए जाएंगे जैसा कि चैरिटी आयुक्त निर्देश दे सकता है।"

69. धारा 86 में आगे के निरसन और बचत का प्रावधान है।धारा 85 अनुसूची ए को संदर्भित करती है। हम देख सकते हैं कि 1923 का मुसलमान वक्फ अधिनियम उन कानूनों में से एक है जो उक्त अनुसूची में संदर्भित है।70. धारा 87 घोषणा करती है कि अधिनियम मराठवाड़ा क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।यही कारण है कि यह वक्फ अधिनियम, 1954 के दायरे में आया।

ग

71. जैसा कि हमने देखा है, वक्फ अधिनियम 1954 को पहले के अधिनियम के विकास के रूप में माना गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से पूरे देश में वक्फ से संबंधित मामलों में एकरूपता लाना था।लेकिन तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 1 में निहित सशर्त कानून को देखते हुए, अलग-अलग तिथियों पर विभिन्न राज्यों में अधिनियम को लागू करने की शक्ति प्रदान करने और सरकार के पास होने के कारण खुद को लागू करने की शक्ति, अधिनियम को उस क्षेत्र पर लागू नहीं किया गया था जो पूर्ववर्ती बॉम्बे राज्य में शामिल था।1954 के अधिनियम में 'वक्फ' की परिभाषा पर ध्यान दिया जाना चाहिए।वह इस प्रकार हैः

डी.

“वक्फ "से मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का इस्लाम का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं-(i) उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ; [(ii) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए अनुदान (मश्रूत-उल-खिदमत सहित); और] (iii) एक वक्फ-अल-औलाद जिस हद तक संपत्ति मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या

धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित है; और" वाकीफ "का अर्थ है ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति।

ई.

च

72. धारा 3 (ए) ने 'लाभार्थी' शब्द को परिभाषित किया है।वह इस प्रकार है:“3(क) "लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति या वस्तु अभिप्रेत है जिसके लाभ के लिए वक्फ बनाया गया है और इसमें धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ वस्तुएं और मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक उपयोगिता की कोई अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

जी.

73. वास्तव में 1964 में एक संशोधन लाया गया था।"मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए स्थापित" शब्दों को "मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया था।खंड ए पर टिप्पणियों में

एच.

519

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

1964 के विधेयक No.32 में, जो 1964 के संशोधन अधिनियम 34 में समाप्त हुआ, हम देखते हैं:

“खंड 2-अधिनियम की धारा 3 (ए) में 'लाभार्थी' की परिभाषा में मुस्लिम कानून के तहत लाभार्थी की वास्तविक अवधारणा से विचलन शामिल है जो लाभार्थियों या दान के वितरण के मामले में मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं करता है।यह उस हद तक अधिनियम में निहित 'वक्फ' की परिभाषा से असंगत है। उपखंड (i) इस विसंगति को दूर करने के लिए 'लाभार्थी' की परिभाषा में संशोधन करना चाहता है।"

74. श्री गोपाल शंकरनारायण द्वारा बताए गए अनुसार वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण के लिए धारा 4 प्रदान की गई है।हमें उक्त प्रावधान का उल्लेख इस कारण से करने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 4 के परिमापक प्रावधान को अधिनियम में उसी धारा के रूप में दोहराया गया है। अधिनियम में बोर्ड के नियंत्रण, वक्फों के पंजीकरण और 'दीवानी अदालत' द्वारा पर्यवेक्षण की शक्ति के प्रावधान थे।धारा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ संपत्तियों की सूची के प्रकाशन पर, वक्फ में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय से राहत ले सकता है, जिस पर अधिनियम की धारा 6 में विचार किया गया था। इस अधिनियम में तीन बार संशोधन किया गया था।उन परिणामों के बारे में शिकायतें थीं जो 1954 का अधिनियम उत्पन्न करने में सक्षम था।इसने अंततः उस अधिनियम को पारित करने का मार्ग प्रशस्त किया जिसके बारे में हम चिंतित हैं।यह वर्ष 1995 में पारित किया गया था।यह 1.1.1996 पर लागू हुआ।इस बार बॉम्बे राज्य के आसपास, जो 1960 से महाराष्ट्र का वर्तमान राज्य बन गया था, जिसमें 'मराठवाड़ा क्षेत्र' भी शामिल था, अधिनियम के शासन के तहत आया।

ग

डी.

ई.

75. अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है:

“2. अधिनियम का अनुप्रयोग-इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में बनाए गए सभी अधिनियमों पर लागू होगा:

च

बशर्ते कि इस अधिनियम में कुछ भी दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर पर लागू नहीं होगा, जिस पर दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) लागू होता है।"

जी.

(जोर दिया गया) 76।यह तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अधिनियम उन वक्फों पर लागू होगा जो 'अधिनियम पारित होने से पहले' बनाए गए थे और यह उन वक्फों पर भी लागू होगा जो अधिनियम के बाद अस्तित्व में लाए गए थे।

एच.

क.

77. अधिनियम की धारा 3 (ए) जो 'लाभार्थी' शब्द को परिभाषित करती है, उसी परिभाषा के साथ जारी है जो वर्ष 1964 में इसके संशोधन के बाद वक्फ अधिनियम 1954 में मौजूद थी।हम निर्णय में उचित स्तर पर इसके महत्व पर टिप्पणी करेंगे।धारा 3 (सी) 'बोर्ड' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

"3(ग) "बोर्ड" से धारा 9 की उप-धारा (1ए) के तहत या यथास्थिति, 4 * [उप-धारा (1) के तहत स्थापित वक्फ बोर्ड अभिप्रेत है।"

इसके बाद, हम 2013 के अधिनियम 27 द्वारा इसके संशोधन से पहले धारा 3 (आर) में 'वक्फ' शब्द की परिभाषा पर ध्यान देंगे।यह नीचे पढ़ा गया हैः

ग

"3(आर)।"वक्फ "का अर्थ है इस्लाम का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना और इसमें शामिल हैं -

(i) उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ, लेकिन ऐसा वक्फ केवल इस कारण से वक्फ नहीं रहेगा कि उपयोगकर्ता ने इस तरह के उपकर की अवधि की परवाह किए बिना इसे बंद कर दिया है।

डी.

((ख) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए मश्रूत-उल-खिदमत सहित "अनुदान"; और

ई.

((ग) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति को जिस हद तक समर्पित किया गया है, वह वक्फ-अल-औलाद।

और "वाकीफ" का अर्थ है ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति; "78. इस मोड़ पर यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2013 के अधिनियम 27 की तारीख से इसे प्रतिस्थापित किया गया है और जैसा कि आज भी है।धारा 3 (आर) इस प्रकार हैः

च

"3(आर) "वक्फ" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना और इसमें शामिल है-(i) उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ लेकिन ऐसा वक्फ केवल इस कारण से वक्फ नहीं रहेगा कि उपयोगकर्ता ऐसी उपकर की अवधि के बावजूद बंद हो गया है।

जी.

((ii) एक शामलात पट्टी, शामलात देह, जुमला मलकान या किसी अन्य नाम से जो बदले में दर्ज किया गया हो;

एच.

521

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

((iii) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए मसरत-उल-खिदमत सहित "अनुदान"; और (iv) एक वक्फ-अल-औलाद जिस हद तक संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया है, बशर्ते कि जब उत्तराधिकार की रेखा विफल हो जाए, तो वक्फ की आय शिक्षा, विकास, कल्याण और मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च की जाएगी, और "वक्फ" का अर्थ है ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति।

79. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 4, जो विवाद के केंद्र में है, का उल्लेख इस प्रकार किया जाना चाहिएः

ग

"4. औकाफ़ का प्रारंभिक सर्वेक्षण।—

(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए औकाफ़ के एक सर्वेक्षण आयुक्त और औकाफ़ के उतने अतिरिक्त या सहायक सर्वेक्षण आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है जो राज्य में 3 औकाफ़ के सर्वेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक हों।

डी.

1 क) प्रत्येक राज्य सरकार उप-धारा (1) में निर्दिष्ट औकाफ़ की एक सूची बनाए रखेगी और औकाफ़ का सर्वेक्षण वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 27) के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, यदि ऐसा सर्वेक्षण वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ से पहले नहीं किया गया थाः

ई.

बशर्ते कि जहां वक्फ का कोई सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है, वहां औकाफ के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति ऐसी शुरुआत की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाएगी।(2) औकाफ़ के सभी अतिरिक्त और सहायक सर्वेक्षण आयुक्त इस अधिनियम के तहत औकाफ़ के सर्वेक्षण आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण में अपने कार्य करेंगे।(3) सर्वेक्षण आयुक्त, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, राज्य या उसके किसी भाग में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को मौजूद औकाफ़ के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—

च

जी.

(क) राज्य में शिया औकाफ़ और सुन्नी औकाफ़ को अलग-अलग दिखाने वाले औकाफ़ की संख्या;

एच.

522

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

(ख) प्रत्येक वक्फ की प्रकृति और वस्तुएँ;

(ग) प्रत्येक वक्फ में निहित संपत्ति की सकल आय; (घ) प्रत्येक वक्फ के संबंध में देय भूमि राजस्व, उपकर, दरों और करों की राशि;

(ङ) प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली की आय और वेतन या अन्य पारिश्रमिक की प्राप्ति में किए गए खर्च; और (च) प्रत्येक वक्फ से संबंधित ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जाएं।

(4) सर्वेक्षण आयुक्त के पास, कोई भी जांच करते समय, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

ग

(क) किसी भी गवाह को बुलाना और उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना; (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना; (घ) किसी गवाह या लेखा की जांच के लिए आयोग जारी करना;

डी.

(ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय जांच करना; (च) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जाएं।

ई.

(5) यदि, ऐसी किसी जांच के दौरान, कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कोई विशेष वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है और वक्फ के विलेख में इसकी प्रकृति के बारे में स्पष्ट संकेत हैं, तो विवाद का निर्णय ऐसे विलेख के आधार पर किया जाएगा।

च

(6) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सर्वेक्षण आयुक्त को राज्य में वक्फ संपत्तियों का दूसरा या बाद में सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है और उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के प्रावधान ऐसे सर्वेक्षण पर लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (1) के तहत निर्देशित सर्वेक्षण पर लागू होते हैंःबशर्ते कि ऐसा कोई दूसरा या बाद का सर्वेक्षण उस तारीख से दस साल की अवधि की समाप्ति तक नहीं किया जाएगा जिस दिन उप-धारा (3) के तहत तुरंत पिछले सर्वेक्षण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीः

जी.

बशर्ते कि पहले से ही अधिसूचित वक्फ संपत्तियों की बाद के सर्वेक्षण में फिर से समीक्षा नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि जहां ए

एच.

523

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

ऐसी संपत्ति की स्थिति किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार बदल दी गई है।"

80. धारा 5 समान रूप से योजना का एक अभिन्न अंग है।इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

इसके अंतर्गतः

"5. औकाफ़ की सूची का प्रकाशन।—

(1) धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार बोर्ड को इसकी एक प्रति भेजेगी।(2) बोर्ड उप-धारा (1) के तहत उसे भेजी गई रिपोर्ट की जांच करेगा और इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए छह महीने की अवधि के भीतर सरकार को वापस भेज देगा] राज्य में सुन्नी औकाफ या शिया औकाफ की एक सूची, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के समय अस्तित्व में हो या उसके बाद अस्तित्व में आ रही हो, जिससे रिपोर्ट संबंधित हो, और जिसमें ऐसे अन्य विवरण हों जो निर्धारित किए जाएं।

ग

(3) राजस्व अधिकारी-(i) भूमि अभिलेखों को अद्यतन करते समय, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट औकाफ़ की सूची शामिल करेंगे; और

डी.

((ii) भूमि अभिलेखों में उत्परिवर्तन का निर्णय लेते समय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट औकाफ़ की सूची को ध्यान में रखें।

ई.

(4) राज्य सरकार समय-समय पर उप-धारा (2) के तहत प्रकाशित सूचियों का अभिलेख रखेगी।"

81. धारा 6 और 7 इस प्रकार हैः

“6. औकाफ़ के बारे में विवाद।**—**

च

(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि औकाफ़ की सूची में वक्फ़ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति वक्फ़ संपत्ति है या नहीं या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ़ शिया वक्फ़ या सुन्नी वक्फ़ है या नहीं, तो वक्फ़ का बोर्ड या मुतवल्ली या 7 [कोई भी व्यथित व्यक्ति] प्रश्न के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर कर सकता है और ऐसे मामले के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगाःबशर्ते कि औकाफ़ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगाः

जी.

बशर्ते कि दूसरे या बाद में अधिसूचित ऐसी संपत्तियों के संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।

एच.

क.

धारा 4 की उप-धारा (6) में निहित प्रावधानों के अनुसार सर्वेक्षण।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी वक्फ के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही पर केवल ऐसे किसी मुकदमे के लंबित होने या ऐसे मुकदमे से उत्पन्न होने वाली किसी अपील या अन्य कार्यवाही के कारण रोक नहीं लगाई जाएगी।

(3) सर्वेक्षण आयुक्त को उप-धारा (1) के तहत किसी भी मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसरण में सद्भावना से की गई या करने का इरादा रखने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में उसके खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

ग

(4) औकाफ़ की सूची, जब तक कि इसे उप-धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसरण में संशोधित नहीं किया जाता है, अंतिम और निर्णायक होगी।

(5) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न के संबंध में उस राज्य के न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू या शुरू नहीं की जाएगी।"

डी.

"7. औकाफ़ के संबंध में विवादों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति।—

ई.

(1) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है, कि औकाफ़ की सूची में वक्फ़ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति वक्फ़ संपत्ति है या नहीं, या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ़ शिया वक्फ़ या सुन्नी वक्फ़ है या नहीं, तो बोर्ड या वक्फ़ का मुतवल्ली, या उसमें धारा 5 के तहत औकाफ़ की सूची के प्रकाशन से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण को प्रश्न के निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगाः

च

बशर्ते कि-(क) राज्य के किसी भी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्रकाशित औकाफ़ की सूची के मामले में औकाफ़ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और (ख) राज्य के किसी भी भाग से संबंधित औकाफ़ की सूची के मामले में और एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रकाशित किया जाएगा।

जी.

एच.

525

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले, ऐसे आवेदन पर ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता हैःबशर्ते कि जहां ऐसे किसी प्रश्न की सुनवाई की गई हो और अंत में सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे प्रारंभ से पहले स्थापित मुकदमे में निर्णय लिया गया हो, वहां न्यायाधिकरण ऐसे प्रश्न को फिर से नहीं खोलेगा।

(2) सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (5) के प्रावधानों के कारण न्यायाधिकरण की कोई अधिकारिता नहीं है, किसी भी 3 [वक्फ] के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही पर किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा केवल किसी ऐसे मुकदमे, आवेदन या अपील या किसी ऐसे मुकदमे, आवेदन, अपील या अन्य कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली अन्य कार्यवाही के लंबित होने के कारण रोक नहीं लगाई जाएगी।

ग

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उप-धारा (1) के तहत किसी भी आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।

(4) औकाफ़ की सूची और जहाँ ऐसी किसी सूची को उप-धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसरण में संशोधित किया जाता है, तो इस प्रकार संशोधित सूची अंतिम होगी।

डी.

(5) न्यायाधिकरण के पास किसी ऐसे मामले को निर्धारित करने की अधिकारिता नहीं होगी जो अधिनियम के प्रारंभ से पहले धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत किसी दीवानी न्यायालय में स्थापित या शुरू किए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही का विषय हो या जो किसी ऐसे मुकदमे या कार्यवाही में ऐसे प्रारंभ से पहले पारित डिक्री से किसी अपील का विषय हो या ऐसे मुकदमे, कार्यवाही या अपील से उत्पन्न होने वाले संशोधन या समीक्षा के लिए किसी आवेदन का विषय हो।

ई.

(6) न्यायाधिकरण के पास वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे से हुए नुकसान का आकलन करने और वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए ऐसे अनधिकृत कब्जाधारियों को दंडित करने और कलेक्टर के माध्यम से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में नुकसान की वसूली करने की शक्तियां होंगीः

च

बशर्ते कि जो कोई भी लोक सेवक होने के नाते अतिक्रमण को रोकने या हटाने के अपने वैध कर्तव्य में विफल रहता है, वह दोषी ठहराए जाने पर जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपये तक हो सकता है।"

जी.

82. धारा 8 में प्रावधान है कि बोर्ड को सर्वेक्षण की लागत वहन करनी होगी।

एच.

क.

83. धारा 9 केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना और गठन पर विचार करती है।केवल धारा 9 (4) के तहत ही हमें हिरासत में रखने की आवश्यकता है और यह इस प्रकार हैः

"9. केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना और गठन।—

(4) राज्य सरकार या, जैसा भी मामला हो, बोर्ड, राज्य में वक्फ बोर्डों के प्रदर्शन, विशेष रूप से उनके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, वक्फ विलेखों के रखरखाव, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में परिषद द्वारा निर्दिष्ट तरीके और समय में परिषद को जानकारी प्रदान करेगा और यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों की अनियमितता या उल्लंघन का प्रथम दृष्टया सबूत था और यदि परिषद का समाधान हो जाता है कि अधिनियम की ऐसी अनियमितता या उल्लंघन स्थापित हो गया है, तो वह ऐसा निर्देश जारी कर सकती है, जिसे संबंधित बोर्ड द्वारा सूचना के तहत अनुपालन किया जाएगा।"

ग

डी.

84. इसके बाद, हम अध्याय IV पर आते हैं जिसके तहत पहला प्रावधान धारा 13 है।वह इस प्रकार हैः

"13. निगमन।—

ई.

(1) राज्य सरकार, राजपत्र द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि से प्रभावी होकर, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए नाम के तहत एक औकाफ बोर्ड की स्थापना की जाएगीः

च

बशर्ते कि जहां इस उप-धारा के तहत आवश्यकता के अनुसार वक्फ बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है, वहां वक्फ बोर्ड, इस अधिनियम या तत्काल लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 27) के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर स्थापित किया जाएगा।

जी.

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य में शिया औकाफ़ की संख्या पंद्रह प्रतिशत से अधिक है। राज्य में सभी औकाफ़ की आय या राज्य में शिया औकाफ़ की संपत्तियों की आय पंद्रह प्रतिशत से अधिक है।राज्य में सभी औकाफ़ की संपत्तियों की कुल आय, ए

एच.

527

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सुन्नी औकाफ़ और शिया औकाफ़ के लिए ऐसे नामों के तहत औकाफ़ बोर्ड की स्थापना कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं।(2 क) जहाँ धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाती है, वहाँ शिया वक्फ के मामले में सदस्य शिया मुसलमान के होंगे और सुन्नी वक्फ के मामले में सदस्य सुन्नी मुसलमान के होंगे।

(3) बोर्ड एक ऐसा निगमित निकाय होगा जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार होगा और संपत्ति प्राप्त करने और रखने की शक्ति के साथ एक आम मुहर होगी और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण करने की शक्ति होगी जो निर्धारित की जाए और उक्त नाम से मुकदमा किया जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।"

ग

85. हमें वास्तव में धारा 14 का उल्लेख करना चाहिए जो बोर्ड की संरचना से संबंधित है।यह नीचे लिखा हैः

“14. बोर्ड की संरचना।— (1) किसी राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए बोर्ड] में शामिल होंगे -

डी.

(क) एक अध्यक्ष;

(ख) एक और दो से अधिक सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, प्रत्येक निर्वाचक मंडल से चुने जाने के लिए जिसमें -

ई.

(i) राज्य से या, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संसद के मुस्लिम सदस्य; (ii) राज्य विधानमंडल के मुस्लिम सदस्य;

((ग) संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्यःबशर्ते कि यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बार काउंसिल का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है, तो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, यथास्थिति, उस

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से किसी भी वरिष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता को नामित कर सकता है, और (iv) एक लाख रुपये और उससे अधिक की वार्षिक आय वाले औकाफ़ के मुतवल्ली।

च

जी.

स्पष्टीकरण I-शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपखंड (i) से (iv) में उल्लिखित श्रेणियों के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक श्रेणी के लिए गठित निर्वाचक मंडल से किया जाएगा।

एच.

क.

स्पष्टीकरण 2.-शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यदि कोई मुस्लिम सदस्य खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट दिल्ली राज्य या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संसद सदस्य नहीं रहता है या खंड (ख) के उपखंड (ii) के तहत आवश्यकतानुसार राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है, तो ऐसे सदस्य ने, यथास्थिति, दिल्ली राज्य या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बोर्ड के सदस्य का पद, उस तारीख से खाली कर दिया है, जिस तारीख से ऐसा सदस्य दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संसद सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रह गया है।

ग

(ग) मुस्लिमों में से एक व्यक्ति, जिसे नगर नियोजन या व्यवसाय प्रबंधन, सामाजिक कार्य, वित्त या राजस्व, कृषि और विकास गतिविधियों में पेशेवर अनुभव है, को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

डी.

(घ) शिया और सुन्नी इस्लामी धर्मशास्त्र में मान्यता प्राप्त विद्वानों में से राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले मुसलमानों में से प्रत्येक में से एक व्यक्ति;

(ई) मुसलमानों में से एक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों में से नामित किया जाएगा, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं होगा।

ई.

(1क) केंद्र सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार का कोई भी मंत्री बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामित नहीं किया जाएगाः

च

बशर्ते कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, बोर्ड में खंड (बी) के उपखंड (i) से (iv) या उप-धारा (1) के खंड (सी) से (ई) के तहत निर्दिष्ट श्रेणियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कम से कम पांच और सात से अधिक सदस्य नहीं होंगेः

जी.

बशर्ते कि बोर्ड में नियुक्त कम से कम दो सदस्य महिलाएँ होंः

बशर्ते कि प्रत्येक मामले में जहां मुतवल्ली की प्रणाली मौजूद है, बोर्ड के सदस्य के रूप में एक मुतवल्ली होगा।

एच.

क.

(2) उप-धारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाएः

बशर्ते कि जहां, यथास्थिति, संसद, राज्य विधानमंडल या राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों की संख्या केवल एक है, वहां ऐसे मुस्लिम सदस्य को बोर्ड में निर्वाचित घोषित किया जाएगाः

बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से (iii) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं हैं, वहां संसद के पूर्व मुस्लिम सदस्य, राज्य विधानमंडल या राज्य बार काउंसिल के पूर्व सदस्य, यथास्थिति, निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे।

ग

(3) इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां राज्य सरकार का समाधान होता है, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कि उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (1) से (3) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित कर सकती है जो वह उचित समझे।(4) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, हर समय, बोर्ड के नामित सदस्यों से अधिक होगी, सिवाय इसके कि उप-धारा (3) के तहत प्रावधान किया गया है।

डी.

ई.

(5) एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

(6) बोर्ड के शिया सदस्यों या सुन्नी सदस्यों की संख्या निर्धारित करने में, राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले शिया औकाफ़ और सुन्नी औकाफ़ की संख्या और मूल्य को ध्यान में रखेगी और सदस्यों की नियुक्ति, जहां तक हो सके, ऐसे निर्धारण के अनुसार की जाएगी।

च

(7) * * * * *

(8) जब भी बोर्ड का गठन या पुनर्गठन किया जाता है, तो इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने बीच से एक का चुनाव करेंगे।

जी.

(9) बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाएगी।"

एच.

क.

86. धारा 15 में प्रावधान है कि बोर्ड के सदस्य 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जैसा कि यह था, और 'धारा 14 की उप-धारा (9) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से' शब्द 2013 के अधिनियम 27 द्वारा जोड़े गए थे।

87. धारा 16 बोर्ड के सदस्य होने के लिए विभिन्न अयोग्यताओं को सूचीबद्ध करती है।धारा 17 बोर्ड की बैठकों से संबंधित है। धारा 19 अध्यक्ष और सदस्यों के इस्तीफे का प्रावधान करती है।अध्यक्ष या सदस्य को धारा 20 के तहत हटाया जा सकता है। धारा 22 महत्वपूर्ण है जिसका खुलासा बाद में किया जाएगा।वह इस प्रकार हैः

"22. रिक्तियां**,** आदि**,** बोर्ड की कार्यवाही को अमान्य नहीं करने के लिए।**—**

ग

बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल अपने सदस्य के बीच किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके गठन में किसी भी दोष के कारण अमान्य नहीं होगी।"

88. धारा 32 में बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान है और जब यह उचित होगा तो हम इस पर विचार करेंगे।

डी.

89. धारा 36 अध्याय V के अंतर्गत आती है और वक्फों के पंजीकरण से संबंधित है।धारा 39 (1) को धारा 40 के दायरे की प्रस्तावना के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए, जो बाद का प्रावधान वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 27 के साथ समानता है।धारा 39 अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैः

ई.

"39. औकाफ़ के संबंध में बोर्ड की शक्तियाँ जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है।**—**

(1) बोर्ड, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि वक्फ के उद्देश्य या उसका कोई हिस्सा अस्तित्व में नहीं है, चाहे वह उपकरकर्ता इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में हुआ हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से जांच कराई जाएगी ताकि ऐसे वक्फ से संबंधित संपत्तियों और निधियों का पता लगाया जा सके।"

च

90. धारा 40 इस प्रकार हैः

"40. निर्णय लें कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है।**—**

जी.

(1) बोर्ड स्वयं किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है जिसे वक्फ संपत्ति मानने का कारण है और यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या क्या कोई वक्फ सुन्नी वक्फ या शिया वक्फ है, तो वह ऐसी जांच करने के बाद प्रश्न का निर्णय ले सकता है जो वह उचित समझे।

एच.

(2) उप-धारा (1) के तहत किसी प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय, जब तक कि न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है, अंतिम होगा।

(3) जहां बोर्ड के पास यह मानने का कोई कारण है कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अनुसरण में या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत या किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी न्यास या सोसायटी की कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, बोर्ड ऐसे अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद ऐसी संपत्ति के संबंध में जांच कर सकता है और यदि ऐसी जांच के बाद बोर्ड का समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो न्यास या सोसायटी, जो भी मामला हो, से इस अधिनियम के तहत ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए या ऐसी संपत्ति को इस तरह से पंजीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका कारण बताएँःबशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में, इस उप-धारा के तहत की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना उस प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके द्वारा न्यास या समिति पंजीकृत की गई थी।

ग

(4) बोर्ड, उप-धारा (3) के तहत जारी सूचना के अनुसरण में दिखाए जाने वाले ऐसे कारण पर विधिवत विचार करने के बाद, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और बोर्ड द्वारा इस तरह किया गया आदेश अंतिम होगा, जब तक कि इसे किसी न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है।"91. धारा 41 के तहत, बोर्ड किसी मुत्तावल्ली को वक्फ के पंजीकरण के लिए आवेदन करने या कोई जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर कर सकता है या स्वयं वक्फ को पंजीकृत करा सकता है या किसी भी समय औकाफ के रजिस्टर में संशोधन कर सकता है।धारा 43 हमारे सामने विवाद की सराहना करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।धारा 43 निम्नानुसार हैः

डी.

ई.

“43. इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले पंजीकृत औकाफ़ को पंजीकृत माना जाता है।—

च

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले कोई वक्फ पंजीकृत किया गया है, उस समय लागू किसी कानून के तहत, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत [वक्फ] को पंजीकृत करना आवश्यक नहीं होगा और ऐसे प्रारंभ से पहले किया गया कोई भी पंजीकरण इस अधिनियम के तहत किया गया पंजीकरण माना जाएगा।

जी.

92. धारा 51 वक्फ संपत्ति के अलगाव से संबंधित है।इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

इसके अंतर्गतः

“51. बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति का अलगाव अमान्य होगा।—

एच.

क.

(1) वक्फ विलेख में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी अचल संपत्ति का कोई पट्टा जो वक्फ संपत्ति है, तब तक अमान्य होगा जब तक कि ऐसा पट्टा बोर्ड की पूर्व मंजूरी से प्रभावी न हो जाएःबशर्ते कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में किसी भी अप्रयुक्त कब्रिस्तान को छोड़कर कोई भी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान या इमामबाड़ा पट्टे पर नहीं दिया जाएगा, जहां ऐसा कब्रिस्तान वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 27) के प्रारंभ होने की तारीख से पहले पट्टे पर दिया गया है।

(1ए) वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगाःबशर्ते कि यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि कोई वक्फ संपत्ति अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकसित की जा सकती है, तो वह लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद, ऐसी एजेंसी के माध्यम से और ऐसी तरीके से ऐसी संपत्ति का विकास कर सकता है जो बोर्ड निर्धारित करे और ऐसी वक्फ संपत्ति के विकास की सिफारिश वाला एक प्रस्ताव पेश करे, जिसे बोर्ड की कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाएगाःबशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) या भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वक्फ संपत्तियों के किसी भी अधिग्रहण को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा अधिग्रहण बोर्ड के परामर्श से किया जाता हैःबशर्ते कि -

ग

डी.

ई.

(क) अधिग्रहण सार्वजनिक पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 (1991 का 42) का उल्लंघन नहीं होगा; (ख) जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है वह निर्विवाद रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होगा।

च

(ग) ऐसी कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है जिसे उस उद्देश्य के लिए कमोबेश उपयुक्त माना जाए; और

(घ) वक्फ के ब्याज और उद्देश्य की पर्याप्त रूप से रक्षा करने के लिए, मुआवजा प्रचलित बाजार मूल्य या अधिग्रहित संपत्ति के बदले उचित मुआवजे के साथ उपयुक्त भूमि पर होगा।"

जी.

93. धारा 52 धारा 51 के उल्लंघन में हस्तांतरित वक्फ संपत्ति की वसूली की शक्ति प्रदान करती है।

94. श्री वाई. एच. मुच्छावाला, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा धारा 97 पर भरोसा किया गया है, जो इस प्रकार हैः

एच.

533

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

“97. राज्य सरकार द्वारा निर्देश।—

धारा 96 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश के अधीन, राज्य सरकार समय-समय पर बोर्ड को ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश दे सकती है जो राज्य सरकार उचित समझे और अपने कार्यों के निष्पादन में, बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगाः

बशर्ते कि राज्य सरकार किसी भी वक्फ विलेख या वक्फ के किसी भी उपयोग; अभ्यास या प्रथा के विपरीत कोई निर्देश जारी नहीं करेगी।"

95. धारा 102 कुछ बोर्डों के पुनर्गठन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है और धारा 103 फिर से राज्य के हिस्से के लिए बोर्ड की स्थापना के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।धारा 104 गैर-मुसलमान द्वारा वक्फ का हिस्सा बनने के लिए दान का प्रावधान करती है।वह इस प्रकार हैः

ग

“104. कुछ वक्फ के समर्थन के लिए इस्लाम का प्रचार नहीं करने वाले व्यक्तियों द्वारा दी गई या दान की गई संपत्तियों पर अधिनियम का अनुप्रयोग।—

डी.

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां कोई चल या अचल संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है या दान की गई है जो वक्फ के समर्थन के लिए इस्लाम नहीं मानता है -

(क) एक मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, खंगाह या मकबरा; (ख) एक मुस्लिम कब्रिस्तान;

ई.

(ग) मुर्गी या मुसाफिरखाना,

तब ऐसी संपत्ति को उस वक्फ में शामिल माना जाएगा और उसी तरह से उस वक्फ में शामिल माना जाएगा जिसमें वह इस तरह से शामिल है।"

च

96. 2013 के अधिनियम 27 द्वारा अंतःस्थापित धारा 104 ए किसी अन्य व्यक्ति को वक्फ संपत्ति, चल या अचल की बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है।यह अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद है।धारा 104 बी सरकार के कब्जे में वक्फ संपत्ति को वक्फ बोर्ड को बहाल करने से संबंधित है।अंत में, हम केवल धारा 112 पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि यह निरसन और बचत से संबंधित है।यह नीचे लिखा हैः

जी.

“112. रद्द करें और बचत करें।—

(1) वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 69) इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

एच.

क.

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, उक्त अधिनियमों के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी।

(3) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले, किसी भी राज्य में, उस राज्य में लागू है, तो कोई भी कानून जो इस अधिनियम के अनुरूप है कि संबंधित कानून निरस्त हो जाएगाःबशर्ते कि ऐसा निरसन उस संगत विधि के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा, और उसके अधीन रहते हुए, संगत विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई कोई भी कार्रवाई या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई मानी जाएगी, जैसे कि यह अधिनियम उस दिन लागू था जिस दिन ऐसी चीजें की गई थीं या कार्रवाई की गई थी।"

ग

97. अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद, हमारे लिए पक्षों की दलीलों पर विचार करने का समय आ गया है।पहला विवाद जो उठाया गया है वह बोर्ड के निगमन से संबंधित है।बोर्ड का निगमन अधिनियम के काम करने के लिए एक आवश्यक विशेषता है। यही कारण है कि वक्फ का पूरा नियंत्रण और विनियमन बोर्ड को करना है।हमने धारा 13 की शर्तों पर

ध्यान दिया है।उच्च न्यायालय ने पाया है कि अपीलकर्ता बोर्ड को शामिल करने वाली अधिसूचना त्रुटिपूर्ण थी।उच्च न्यायालय में अपील करने का कारण यह प्रतीत होता है कि यह धारा 4 के तहत विचार किए गए सर्वेक्षण से पहले नहीं था।यह उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधिनियम डेटा को जन्म देने वाले सर्वेक्षण पर विचार करता है जो सरकार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न को कानूनी रूप से निर्धारित करने के लिए आवश्यक और अपरिहार्य है कि क्या अलग सुन्नी और शिया बोर्ड होने चाहिए।ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 13 (2) में प्रावधान है कि सरकार के पास सुन्नी बोर्ड और शिया बोर्ड हो सकते हैं यदि उसमें उल्लिखित शर्तें मौजूद हैं।सामने आई समस्या प्रासंगिक आंकड़ों के अभाव में इस प्रश्न का समाधान खोजने की असंभवता है।उच्च न्यायालय के अनुसार, एकमात्र प्रासंगिक डेटा वही है जो धारा 4 के तहत सर्वेक्षण में प्राप्त होता है।

डी.

ई.

च

98. अगर शिया वक्फों की संख्या सभी वक्फों के 15 प्रतिशत से अधिक है तो हमें पहले यह तय करना होगा कि क्या धारा 13 (2) अलग-अलग सुन्नी और शिया बोर्ड स्थापित करने के लिए सरकार के साथ एक अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय कर्तव्य का प्रावधान करती है।अगर शिया वक्फों की आय सभी वक्फों की कुल आय के 15 प्रतिशत से अधिक है तो क्या सरकार दोनों संप्रदायों के लिए अलग-अलग बोर्ड गठित करने के लिए बाध्य होगी?

जी.

एच.

535

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

99. 'मे' शब्द के उपयोग को अवमानना के साथ या इस ज्ञान के उचित संदर्भ के बिना दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए कि विधायिका ने जानबूझकर इसका उपयोग किया है।लेकिन हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि 'हो सकता है' शब्द वास्तव में एक अनिवार्य अर्थ रखने में सक्षम है।इस संबंध में हम उल्लेख कर सकते हैं

बेकर, री [बेकर, री, निकोल्स बनाम बेकर 10 में निर्णय के बारे में:

‘मुझे लगता है कि बड़ी गलत धारणा यह कहने के कारण होती है कि कुछ मामलों में "हो सकता है" का अर्थ है "जरूरी"।इसका अर्थ कभी भी "आवश्यक" नहीं हो सकता है, जब तक कि अंग्रेजी भाषा अपना अर्थ बनाए रखे; लेकिन यह एक शक्ति देता है,

और फिर यह सवाल हो सकता है कि किन मामलों में, जहां एक न्यायाधीश के पास "मई" शब्द द्वारा दी गई शक्ति है, इसका प्रयोग करना उसका कर्तव्य बन जाता है।’

ग

100. हम निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप 11:

‘‘"यह वैध होगा" शब्द अस्पष्ट नहीं हैं।वे स्पष्ट और असंदिग्ध हैं।वे केवल उस कानूनी और संभव बनाने वाले शब्द हैं जो अन्यथा करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं होगा।वे एक संकाय या शक्ति प्रदान करते हैं और वे स्वयं एक संकाय या शक्ति प्रदान करने से ज्यादा कुछ नहीं करते हैं।लेकिन हो सकता है

डी.

जिस कार्य को करने के लिए सशक्त किया गया है, उस उद्देश्य के लिए कुछ किया जाना है, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के शीर्षक में कुछ है जिसके लाभ के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जो शक्ति को एक कर्तव्य के साथ जोड़ सकता है, और जिसे शक्ति दी गई है, उसे उस व्यक्ति का कर्तव्य बना सकता है, जब ऐसा करने के लिए बुलाया जाता है, तो उस शक्ति का प्रयोग करें।'

ई.

101. निर्धारित किए गए परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह सवाल उठाना चाहिए कि क्या वस्तु में या संदर्भ में कुछ ऐसा है जो हमें 'मई' को इसका सामान्य अर्थ नहीं देने की आवश्यकता है जो निस्संदेह केवल एक विवेकाधिकार का तात्पर्य है।संदर्भ में वस्तु की खोज निस्संदेह हमें सुन्नी और शिया के बीच के अंतर का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है।

च

102. भारत में मुसलमानों का मुख्य संप्रदाय निस्संदेह सुन्नी है।यह जनसंख्या के आधार पर है।सुन्नी और शिया के बीच मतभेदों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।हालाँकि यह सच हो सकता है कि यह 'अचूकता' के आधार पर उत्पन्न हुआ हो सकता है जिसका श्रेय बारहों को दिया जाता है।

जी.

10 (1890) 44 सीएच डी 262 (सीए) 11 (1880) 5 एसी 214

एच.

536

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

या 12 इमाम जो अचूकता से धन्य पाए गए थे, समय के साथ, ऐसे मतभेद हुए हैं जो विकसित हुए हैं जो विश्वास की प्रथाओं के कुछ पहलुओं पर भी जाते हैं।उदाहरण के लिए, वक्फ की संस्था में ही, हनफी विचारधारा द्वारा शासित मुसलमानों के मामले में, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सुन्नी धर्म का हिस्सा है, अधिकार का वितरण एक वैध वक्फ के निर्माण के लिए एक अनिवार्य तत्व नहीं हो सकता है।शिया वक्फ के मामले में स्थिति समान नहीं हो सकती है।साथ ही, हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि सुन्नी और शिया दोनों इस्लाम को अपना धर्म मानते हैं।जहाँ तक ईश्वर या सर्वशक्तिमान और पैगंबर मोहम्मद के अंतिम दूत होने की एकता के मूल विश्वास और विश्वास के अन्य बुनियादी सिद्धांतों का संबंध है, सुन्नी और शिया के बीच बहुत कम अंतर है।शियाओं की खुद तीन शाखाएँ हैं, अर्थात्, ट्वेल्वर्स, इस्माइलिस और जैदी।इस्लाम के संप्रदायों, सुन्नी और शिया के बीच मतभेदों की इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, हमें अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए।इस मामले में, विधायिका ने स्वयं धारा 13 (2) में इस्लाम के दो अलग-अलग संप्रदायों के अस्तित्व पर ध्यान दिया है।यदि कुल वक्फों की संख्या के अनुपात में शिया वक्फों का प्रतिशत मौजूद है तो इसने दो अलग-अलग बोर्डों का प्रावधान किया है।हालाँकि, हम धारा 13 (2) को धारा 13 (2) में उल्लिखित 15 प्रतिशत के जादुई आंकड़े के उल्लंघन पर बोर्ड बनाने के लिए सरकार के साथ एक अलंघनीय कर्तव्य बनाने के रूप में देखने में असमर्थ हैं।ऐसा हो सकता है कि किसी मामले में यह 16 प्रतिशत हो।एक अन्य मामले में यह 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत हो सकता है।स्पेक्ट्रम के दोनों छोरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला और जो कुछ भी बीच में है, उसकी कल्पना की जा सकती है।हम शिया वक्फों या उनकी आय पर धारा 13 (2) में बताए गए प्रतिशत से अधिक के सभी खर्च और अन्य बोझ के साथ अलग-अलग बोर्डों का प्रावधान करने के दायित्व के साथ सरकार पर बोझ डालने का कोई कारण नहीं समझ पा रहे हैं।103. अन्य कारण भी हैं, कि हमें एक विवेकपूर्ण शब्द, एक अनिवार्य शुल्क के बल को क्यों नहीं देना चाहिए।धारा 13 (1) में, कानून निर्माता ने 'होगा' शब्द का उपयोग किया है।अस्वाभाविक रूप से नहीं, इसकी सेटिंग में यह एक अनिवार्य अर्थ रखता है।एक बोर्ड होना चाहिए।जब धारा 13 (2) की बात आती है, तो निकटतम पड़ोसी, 'हो सकता है' शब्द का चयन सामान्य रूप से शून्य पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।अधिनियम की धारा 4 पर अब विचार किया जा सकता है।धारा 4 सर्वेक्षण का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है।यह सर्वेक्षण राज्य में एक सर्वेक्षण होना है।सर्वेक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी है।सरकार धारा 4 (3) के तहत रिपोर्ट प्राप्त करती है।धारा 4 (3) रिपोर्ट ए की प्राप्ति पर सरकार की ओर से किसी अन्य कर्तव्य की बात नहीं करती है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

537

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

सिवाय इसके कि इसे वक्फ बोर्ड को भेजा जाए।यह अधिनियम की धारा 5 के तहत होता है। स्वाभाविक रूप से जो सवाल उठता है, अगर किसी सर्वेक्षण से पहले बोर्ड का गठन करना है तो बोर्ड से कैसे परामर्श किया जा सकता है?यदि यह सर्वेक्षण से पहले अस्तित्व में नहीं है तो बोर्ड इसे कैसे प्रकाशित कर सकता है?उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इससे निपटने के लिए कदम बढ़ाया है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे तुरंत बोर्ड को भेजना आवश्यक नहीं है।प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील हमारे सामने इस बात पर भी जोर देंगे कि अधिनियम के सभी प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण संचालन और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम को अपनाना होगा।धारा 4 (3) के तहत सरकार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार धारा 13 के तहत बोर्ड का गठन कर सकती है।जब यह ऐसा करता है, तो यह न केवल धारा 13 (2) की मांग के साथ न्याय करता है, बल्कि यह धारा 14 (6) के अधिदेश का भी पालन करेगा।तर्क वास्तव में आकर्षक है।हालाँकि, हमने पाया है कि उच्च न्यायालय के तर्क का आधार यह प्रतीत होता है कि धारा 13 (2) धारा 13 (2) में उल्लिखित प्रतिशत से अधिक होने पर दो अलग-अलग बोर्ड बनाने के लिए एक अक्षम्य कर्तव्य का प्रावधान करती है।हम पहले ही पा चुके हैं कि हम दो अलग-अलग बोर्ड बनाने के लिए इस तरह के किसी भी अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ हैं।यह उस मौलिक आधार को उलट देता है जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही की है।हम इस संबंध में यह भी देख सकते हैं कि अधिनियम की धारा 13 (2) अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैः

ग

डी.

“13(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य में शिया [औकाफ़] की संख्या पंद्रह प्रतिशत से अधिक है।यदि राज्य में सभी [औकाफ़] की आय या राज्य में शिया [औकाफ़] की संपत्तियों की आय पंद्रह प्रतिशत से अधिक है।राज्य में सभी 1 [औकाफ़] की संपत्तियों की कुल आय में से, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सुन्नी [औकाफ़] और शिया [औकाफ़] के लिए ऐसे नामों के तहत [औकाफ़] का एक बोर्ड स्थापित कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए।

ई.

च

104. धारा 32 (2) (ई) इस प्रकार हैः

“32(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के कार्य होंगे -

जी.

(ई) निर्देशित करने के लिए -

((i) वक्फ के उद्देश्यों के अनुरूप वक्फ की अधिशेष आय का उपयोग;

एच.

538

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

((ii) वक्फ की आय, जिसके उद्देश्य किसी भी लिखित दस्तावेज से स्पष्ट नहीं हैं, का उपयोग किस तरह किया जाएगा; (iii) किसी भी मामले में जहां वक्फ का कोई उद्देश्य अस्तित्व में नहीं रह गया है या उपलब्धि में असमर्थ हो गया है, कि वक्फ की आय का इतना हिस्सा जो पहले उस उद्देश्य पर लागू किया गया था, किसी अन्य उद्देश्य पर लागू किया जाएगा, जो समान, या लगभग समान या मूल उद्देश्य के लिए या गरीबों के लाभ के लिए या मुस्लिम समुदाय में ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होगाःबशर्ते कि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस खंड के तहत कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा -

ग

(i) सुन्नी वक्फ के मामले में, केवल बोर्ड के सुन्नी सदस्यों द्वारा; और

((ii) शिया वक्फ के मामले में, केवल बोर्ड के शिया सदस्यों द्वाराःबशर्ते कि बोर्ड में सुन्नी या शिया सदस्यों की संख्या और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि शक्ति का प्रयोग केवल ऐसे सदस्यों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, वह ऐसे अन्य मुसलमानों को, जो सुन्नी या शिया हैं, इस खंड के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड के अस्थायी सदस्यों के रूप में सह-चयन कर सकता है; "यह फिर से इंगित करता है कि विधायिका ने एक निश्चित योजना बनाई है और दो संप्रदायों के अस्थायी सदस्यों को सह-चयन करने पर विचार किया है, जहां यह आवश्यक महसूस किया गया था।समान रूप से, यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 14 (5) जिसे केवल 2013 के अधिनियम 27 के तहत हटा दिया गया था और इसलिए उस समय प्रासंगिक थी जब उच्च न्यायालय ने समग्र बोर्ड के मामले में एक शिया सदस्य की नियुक्ति के लिए विवादित निर्णय पारित किया था।धारा 14 (6) के तहत यह सच हो सकता है कि बोर्ड के गठन के समय वक्फ की संख्या और वक्फ के 'मूल्य' पर विचार किया जाना चाहिए।बोर्डों की स्थापना के संबंध में धारा 14 जो कहती है, सरकार बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले शिया और सुन्नी वक्फों की संख्या और मूल्य को ध्यान में रखेगी।हम धारा 14 (6) में प्रयुक्त 'मूल्य' शब्द और धारा 13 (2) में प्रयुक्त 'आय' के बीच अंतर के बारे में गोपाल शंकरनारायणन के तर्क को देखते हैं, साथ ही धारा 3 (4) को भी देखते हैं।105. अधिनियम से उपलब्ध जानकारी से हम सोचेंगे कि उक्त प्रावधान को हमारे विचार में हमें यह विचार बनाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए कि ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

539

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

धारा 4 के तहत एक सर्वेक्षण सभी मामलों में पहले किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही बोर्ड को शामिल किया जाना चाहिए।

106. हम इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकते कि अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बोर्ड का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि धारा 32 बोर्ड के साथ विभिन्न शक्तियों और कार्यों पर विचार करती है।धारा 36 वक्फों को बोर्ड के साथ खुद को पंजीकृत कराने का अधिकार या कर्तव्य देती है।धारा 40 बोर्ड के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रावधान करती है।इस संबंध में यह नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि वक्फों के साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में गंभीर आलोचना हुई थी। मुतावल्लियों को मुख्य रूप से अंधाधुंध अलगाव और वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण को नजरअंदाज करने के आरोपों के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा।

ग

107. उसी सांस में हम अपनी चिंता व्यक्त करने और अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए बाध्य हैं कि 1995 के अधिनियम के पारित होने के 18 साल बाद वर्ष 2013 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि जहां वक्फ बोर्डों की नियुक्ति नहीं की जाती है, उन्हें 2013 के संशोधन अधिनियम 27 के लागू होने के एक साल की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाना था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हमें इस तथ्य के प्रति सचेत करता है कि अधिनियम ने बोर्ड को शामिल करने के लिए सरकार के साथ किसी भी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया है।इस हद तक हम स्वीकार करते हैं कि अधिनियम ने बोर्ड को शामिल करने में सरकार के साथ जबरन तात्कालिकता की भावना को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया।लेकिन हमारे विचार में बोर्ड को जल्द से जल्द शामिल करने की ऐसी आवश्यकता के वास्तविक अस्तित्व को कम नहीं किया जा सकता है।हम इस तथ्य से भी बेखबर नहीं हैं कि 1997 में नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में था [वास्तव में 04.01.2002 पर बोर्ड के निगमन के लगभग तीन सप्ताह बाद, रिपोर्ट 31/01/2002 पर प्रस्तुत की जाती है]।लेकिन एक बार जब हम पाते हैं कि अधिनियम की योजना सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना भी बोर्ड के वैध निगमन पर विचार करती है, तो हम संभवतः उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार को बरकरार नहीं रख सकते हैं कि आई. डी. 1 पर वक्फ बोर्ड का निगमन अवैध था क्योंकि कोई पिछला सर्वेक्षण नहीं था।108. हम धारा 5 (2) के स्तर पर बोर्ड की भूमिका को देख सकते हैं।बोर्ड सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की 'जांच' करता है।हम देख सकते हैं और पा सकते हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों के विपरीत कानून में कोई आवश्यकता नहीं है कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा धारा 4 (3) के तहत सरकार को दी गई रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाना चाहिए।हालांकि, वक्फ बोर्ड का कर्तव्य है कि वह उसे भेजी गई रिपोर्ट की सामग्री की 'जांच' करे और वह वास्तव में ऐसे बदलाव कर सकता है जो

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

यह आवश्यक हो सकता है और एक बार वक्फ बोर्ड सूची लाने का संकल्प ले लेता है, तो सूची प्रकाशित की जानी है।यह किसी भी संशोधन के अधीन है जो अधिनियम की धारा 6 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है। हमारे विचार में यह अधिनियम की धारा 13 (2) के उद्देश्य को भी समझने के लिए आवश्यक है।इसका मतलब यह है कि जब विधायिका ने वक्फों की संख्या के आधार पर सुन्नी और शियाओं के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाने पर विचार किया है, तो शिया वक्फों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक होना या शिया वक्फों से होने वाली आय वक्फों की कुल आय का 15 प्रतिशत से अधिक होना, यह वह सूची है जिस पर वक्फ बोर्ड द्वारा धारा 5 (2) के तहत विचार किया गया है और प्रकाशित किया गया है जो सामग्री हो सकती है।यह हमारे इस विश्वास को मजबूत करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि बोर्ड के निगमन से पहले एक सर्वेक्षण होना चाहिए।वास्तव में वक्फ अधिनियम, 1954 कई राज्यों में लागू था।यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि सर्वेक्षण

पिछले अधिनियम के तहत किए गए होंगे।इसलिए, ऐसा नहीं है कि धारा 13 (2) के तहत विचार किए गए मामलों के संबंध में किसी भी सामग्री का अभाव हो सकता है।यह नहीं कि यह हमारे निष्कर्ष का आधार होना चाहिए, बल्कि आश्वासन के लिए, हम इस मामले के तथ्यों में यह भी पाते हैं कि सर्वेक्षण आयुक्त ने बताया है कि राज्य में 20194 वक्फ थे।शिया वक्फों की कुल संख्या का सर्वेक्षण किया गया और यह 203 पाई गई।यह वक्फों की कुल संख्या का 1.005 प्रतिशत है।यह एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी तरह से धारा 13 (2) में उल्लिखित 15 प्रतिशत के आंकड़े के लगभग नहीं है।बोर्ड के निगमन में हस्तक्षेप करने में उच्च न्यायालय के तर्क का एक और मुद्दा यह था कि अधिनियम के तहत, बोर्ड एक निगमित रूप धारण करता है और यह स्थायी उत्तराधिकार से भरा होता है।उच्च न्यायालय का तर्क है कि एक बार बोर्ड बनने के बाद, इसे समाप्त करने और सुन्नी बोर्ड और शिया बोर्ड को जन्म देने का कोई प्रावधान नहीं है।हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि किसी भी मामले में किसी राज्य के पास शुरू में एक समग्र बोर्ड हो सकता है।धारा 4 (6) के तहत दूसरे या बाद के सर्वेक्षण पर विचार किया जाता है और इसकी अनुमति दी जाती है।एक ऐसी स्थिति लें जहां शुरू में शिया वक्फों की संख्या या उनसे होने वाली आय अलग-अलग बोर्डों के निर्माण को उचित नहीं ठहराती है और एक समग्र बोर्ड है।क्या यह कानून हो सकता है कि यदि दूसरे या बाद के सर्वेक्षण, जिसकी कानून के तहत अनुमति है, के परिणामस्वरूप शिया वक्फ का प्रतिशत या उससे होने वाली आय इस सवाल पर विचार करने की मांग करती है कि क्या दो अलग-अलग बोर्ड होने चाहिए, तो यह स्थायी उत्तराधिकार और मूल निगमन के तहत एकत्रित समग्र बोर्ड के रूप में निगम द्वारा असंभव हो जाता है?हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि ए के तहत गठित मूल बोर्ड का अस्तित्व

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

541

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

धारा 13 (1) दो अलग-अलग बोर्डों के गठन के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है।इसलिए, हमें नहीं लगता कि दो अलग-अलग बोर्डों के निर्माण में कोई कानूनी बाधा हो सकती है जो इस मामले में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर आवश्यक हो सकती है।

109. अगला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना चाहिए वह वक्फ के घटक तत्वों से संबंधित है।अधिनियम में उपलब्ध परिभाषा से, पहली अनिवार्य आवश्यकता यह है कि समर्पण होना चाहिए।समर्पण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो संपत्ति का मालिक हो।समर्पण स्थायी होना चाहिए।स्थायी का अर्थ है कि यह एक निश्चित अवधि के लिए नहीं हो सकता है; यह स्थायी होना चाहिए।यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए।अपरिवर्तनीयता पर, हम केवल यह संकेत दे सकते हैं कि एक वक्फ एक वसीयत द्वारा भी बनाया जा सकता है।लेकिन जब वसीयत द्वारा वक्फ बनाया जाता है तो वाकीफ के लिए अपनी मृत्यु से पहले वसीयत को रद्द करने का अधिकार होता है।उनकी मृत्यु के प्रभाव के बारे में, वसीयत, एक वक्फ को अस्तित्व में लाएगी, लेकिन एक तिहाई हिस्से तक सीमित होगी जब तक कि उत्तराधिकारी अन्यथा सहमत न हों।उपरोक्त को छोड़कर, वक्फ को रद्द नहीं किया जा सकता है।एक वक्फ, जिसका फिर से अर्थ है वह संपत्ति जो वक्फ का विषय है, को अलग नहीं किया जा सकता है।यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब हम वक्फ और न्यास के बीच के मतभेदों पर चर्चा करेंगे तो हम क्या कहेंगे।वक्फ का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि यह मुस्लिम कानून द्वारा अनुमोदित हो।उद्देश्य धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ होना चाहिए और हम फिर से दोहराने के लिए जल्दबाजी करते हैं कि यह पूरी दुनिया की नजर में धर्मनिष्ठा या धर्मार्थ प्रकृति की अवधारणा नहीं है, बल्कि मुस्लिम कानून के अनुरूप है।समर्पण का कोई निर्धारित तरीका नहीं है।वक्फ को लिखित रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है।जहाँ तक घोषणा का संबंध है, इसका अनुमान आचरण से लगाया जा सकता है।एक वक्फ, जैसा कि परिभाषित किया गया है, में उपयोगकर्ता द्वारा

वक्फ शामिल है।यह आमतौर पर कब्रिस्तान, दरगाह, टाकिया जैसे सार्वजनिक स्थानों पर होता है।टाकिया का अर्थ है विश्राम करने की जगह।यह कोई विश्राम स्थल नहीं हो सकता है लेकिन आमतौर पर, यह एक कब्रिस्तान से जुड़ा होता है।

ग

डी.

ई.

च

यह एक इमामबाड़ा हो सकता है।इनांबर के बारे में हम मुहम्मद कानून के मुल्ला सिद्धांतों (22 वें संस्करण) में निम्नलिखित चर्चा पाते हैं:"223. इमामबाड़ा एक निजी घर या एक इमारत में एक अपार्टमेंट है जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक निजी चैपल की तरह अलग किया गया है।यह मालिक और उसके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए है, हालांकि जनता को मालिक की अनुमति से प्रवेश दिया जा सकता है।यह एक वैध वक्फ-178 का उद्देश्य हो सकता है।ऐसा वक्फ एक निजी वक्फ है और न ही एक सार्वजनिक वक्फ है और न ही एस के उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट है।92 सिविल प्रक्रिया संहिता, लेकिन यह साबित किया जा सकता है कि एक विशेष इमामबाड़ा एक सार्वजनिक वक्फ है।"

जी.

एच.

542

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

110. ऐसे मामले में, जो कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ है, यह प्राचीन उपयोगकर्ता का मामला होगा।ठीक यही कारण है कि समर्पण को साबित करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रमाण समय के साथ खो गया होगा।

111. सार्वजनिक उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वक्फ बनाया जा सकता है।हालाँकि, सार्वजनिक उपयोगिता मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्य के लिए होनी चाहिए।उक्त शर्तों के अधीन, भले ही लाभार्थी मुसलमान हों या नहीं, एक वैध वक्फ हो सकता है।यह 1964 के संशोधन अधिनियम द्वारा वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 3 (ए) में लाए गए संशोधन का परिणाम है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं।1964 में संशोधन के बाद धारा 3 (ए) की इसी परिभाषा को अधिनियम में भी दोहराया गया है। हालांकि, यह वक्फ बनाने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को समाप्त नहीं करेगा।

ग

इनमें स्थायी समर्पण की आवश्यकता शामिल है।इस तरह के वक्फ में भी, वक्फ की उपाधि का बंटवारा और सर्वशक्तिमान को उपाधि प्रदान की जानी चाहिए।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने इस विकास पर जोर दिया।, वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 3 (ए) में 'लाभार्थी' शब्द की परिभाषा में संशोधन और 1995 के अधिनियम में उसी परिभाषा को जारी रखने पर, यह इंगित करने के लिए कि यह रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्भर निर्णय के आधार को हटाने का कानून में परिणाम है।, इस न्यायालय के निर्णय ने सूचित किया

डी.

नवाब ज़ैन यार जंग (मृतक के बाद से) और अन्य बनाम निदेशक

ई.

दान और एक अन्य (ऊपर)।दूसरे शब्दों में, एक मुसलमान द्वारा बनाए गए सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के मामले में भी, मुसलमान का इरादा सामान्य कल्याण के लिए गतिविधियों का प्रावधान करना है और जो इसलिए, धर्मनिरपेक्ष हैं और यह मनुष्यों के लिए संस्था के निर्माण पर जोर देता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, तब सार्वजनिक न्यास और वक्फ के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा।

च

112. इसलिए अब निर्णय की जांच करने का समय आ गया है।

यह न्यायालय नवाब ज़ैन यार जंग (मृत होने के बाद से) और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक और अन्य (ऊपर) मामले में है। उक्त मामले में, एक पीठ

पाँच विद्वान न्यायाधीशों के सामने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्य थे।न्यायालय के समक्ष चार अपीलार्थी 1954 में निष्पादित न्यास विलेख के तहत हैदराबाद के निजाम द्वारा नियुक्त न्यासी थे।उन्हें शुरू में हैदराबाद बंदोबस्ती विनियमन 1348-एफ (1939) के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ा था।जबकि उक्त प्रावधान के संबंध में मुकदमेबाजी इस न्यायालय में लंबित थी, ए द्वारा वक्फ अधिनियम, 1954 के तहत उन्हें पंजीकृत करने के लिए कार्यवाही के रूप में विकास हुआ।

जी.

एच.

543

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

वक्फ बोर्ड।अपीलार्थियों द्वारा इसमें जो तर्क दिया गया था, वह यह था कि यह एक वक्फ नहीं था जो न्यायालय के समक्ष था, बल्कि एक न्यास था और जो अधिक है, एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास था।हम देख सकते हैं कि न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

“12. इसी तरह, न्यासों से संबंधित मुस्लिम कानून मूल रूप से अंग्रेजी कानून से अलग है।श्री अमीर अली के अनुसार, "मुस्लिम कानून की उत्पत्ति इस्लाम के पैगंबर द्वारा निर्धारित एक नियम से हुई है और इसका अर्थ है 'सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वामित्व में संपत्ति को बांधना और मनुष्यों के लाभ के लिए लाभ की समर्पण।’ वक्फ के निर्माण के परिणामस्वरूप, वाकीफ का अधिकार समाप्त हो जाता है और स्वामित्व सर्वशक्तिमान को हस्तांतरित कर दिया जाता है।वक्फ का प्रबंधक मुतवल्ली, राज्यपाल, अधीक्षक या क्यूरेटर होता है।लेकिन उस क्षमता में, वक्फ से संबंधित संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है; संपत्ति उसमें निहित नहीं है और वह कानूनी अर्थों में ट्रस्टी नहीं है।इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस वक्फ पर अधिनियम लागू होता है, वह आवश्यक विशेषताओं में, उस न्यास से अलग है जिसे अंग्रेजी कानून में जाना जाता है।"

ग

डी.

113. इसके बाद, न्यायालय न्यास विलेख का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा।न्यायालय पैराग्राफ-16,17 और 18 में न्यास विलेख के प्रभाव पर ध्यान देता हैः

ई.

“16. यह भी आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थियों को न्यासियों के रूप में संपत्ति के निहित होने से संबंधित खंडों के प्रभाव का निर्णय उस संपत्ति के स्वरूप के आलोक में किया जाना चाहिए जिसके साथ दस्तावेज़ व्यवहार करता है।न्यास की विषय वस्तु चल संपत्ति है और जब तक कि उक्त संपत्ति अपीलार्थियों को नहीं सौंपी जाती, वे इससे निपटने में सक्षम नहीं होते और केवल यही दस्तावेज़ में निहित प्रावधानों का आधार और औचित्य है।इसलिए, उक्त प्रावधानों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और यह नहीं माना जाना चाहिए कि चूंकि अपीलार्थियों में कानूनी अधिकार निहित है, इसलिए लेन-देन एक न्यास

है न कि वक्फ।दस्तावेज़ का व्यापक विचार मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति का समर्पण है जो वक्फ़ के लिए वैध है और यह केवल उस विचार को प्रभावी बनाने के साधन के रूप में है कि संपत्ति अपीलार्थियों में निहित की गई है। संक्षेप में, यह इस दलील के समर्थन में मुख्य तर्क है कि न्यास एक वक्फ है जिस पर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।"

च

जी.

एच.

544

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

"17. दूसरी ओर, लेन-देन की कुछ अन्य व्यापक विशेषताएं हैं जो वक्फ की धारणाओं के साथ पूरी तरह से असंगत हैं। दस्तावेज़ जो उत्कृष्ट धारणा पैदा करता है वह यह है कि बसने वाला धर्मनिरपेक्ष और व्यापक अर्थों में धर्मार्थ उद्देश्यों और वस्तुओं के लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहता था, जो वक्फ के निर्माण को नियंत्रित करने वाले धार्मिक विचारों से मुक्त और अप्रतिबंधित था।यहां तक कि जिस खंड पर श्री पाठक संपत्ति को सर्वशक्तिमान को समर्पित करने का इरादा दिखाने के उद्देश्य से भरोसा करते हैं, वह यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि जिन उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट बनाया गया था, उनमें धर्म, जाति या पंथ के भेद के बिना अन्य धर्मार्थ उद्देश्य शामिल थे, और जो स्पष्ट रूप से एक वैध वक्फ की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करता है।धर्मार्थ उद्देश्य का वही व्यापक चरित्र जो बसने वाले के दिमाग में है, खंड 3 (सी) (ii) द्वारा समान रूप से जोरदार रूप से सामने लाया गया है।खंड 3 में प्रावधान है कि न्यासी उपखंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट न्यासों पर न्यास निधि को धारण करेंगे और उनके स्वामित्व में रहेंगे।उपखंड (ग) (ii) सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के रखरखाव, रखरखाव और समर्थन को संदर्भित करता है, और अन्यथा धर्म की उन्नति के लिए, विशेष रूप से हैदराबाद राज्य में; और यह जोड़ता है कि वर्तमान खंड का लाभ किसी विशेष धर्म तक ही सीमित नहीं होगा।एक सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्य जो एक या दूसरे धर्म से संबंधित विचारों तक सीमित नहीं है, उसे अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता था।न्यास के निर्माण में बसने वाले का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक दान को सर्वोत्तम अर्थों में सहायता करना था, "सार्वजनिक दान" जो किसी भी जाति, धर्म या पंथ तक सीमित नहीं है; और यह उस अर्थ में है कि, जो धार्मिक संस्थान न्यास के दायरे में आते हैं, वे सभी धार्मिक संस्थान हैं जो किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं हैं।फिर खंड 3 (सी) (वी) को देखें।इसमें प्रावधान है कि न्यास संपत्ति का उपयोग सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य उद्देश्य की प्रगति के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से हैदराबाद राज्य में।यह सच है कि बसने वाला चाहता था कि हैदराबाद में सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाए और इस मायने में दस्तावेज़ हैदराबाद की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं को प्राथमिकता देने की इच्छा का खुलासा करता है।लेकिन यह स्पष्ट है कि यह सीमा अधिरोपित करना बसने वाले के दिमाग से दूर था कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त लोगों तक ही सीमित होने चाहिए।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्कृष्ट विशेषता ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

545

इन प्रावधानों द्वारा प्रकट न्यास का विवरण स्पष्ट रूप से वक्फ की अवधारणा के साथ असंगत है और यह स्वयं इस विचार को खारिज कर देगा कि दस्तावेज़ एक वक्फ बनाता है न कि एक व्यापक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास।"

“18. यह सच है कि दस्तावेज़ में निहित बड़ी संख्या में प्रावधान इस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं कि दस्तावेज़ एक वक्फ़ बनाता है जितना कि वे इस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं कि यह वक्फ़ से अलग एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास बनाता है।हालाँकि, यह पेटेंट है कि कुछ खंड हैं जो पहले दृष्टिकोण के साथ असंगत हैं, जबकि बाद के दृष्टिकोण के साथ सभी खंड सुसंगत हैं।दूसरे शब्दों में, यदि उस निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है जिसके लिए बोर्ड तर्क देता है, तो कुछ खंड विफल हो जाएंगे, जबकि यदि उस निर्माण को बरकरार रखा जाता है जिसके लिए उत्तरदाता तर्क देते हैं, तो दस्तावेज़ के सभी खंड प्रभावी हो जाते हैं।हमारी राय में, यह निर्माण का एक प्राथमिक नियम है कि यदि दो निर्माण यथोचित रूप से संभव हैं, तो दस्तावेज़ के सभी खंडों को प्रभावी बनाने वाले निर्माण को उस निर्माण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो कुछ खंडों को पराजित करता है।यह विवाद में नहीं है कि यदि दस्तावेज़ को वक्फ माना जाता है, तो दस्तावेज़ में दिए गए निर्देश कि धर्म, जाति या पंथ के भेद के बिना धर्मार्थ उद्देश्यों का चयन किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से विफल हो जाएंगे और यह निस्संदेह इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि दस्तावेज़ एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट का प्रमाण देता है न कि एक वक्फ का।"

ग

डी.

ई.

114. लेकिन अंत में, हमें इस अदालत द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद में पाए गए तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिएः

“20. यह इस संदर्भ में है कि निहित करने के बारे में अन्य प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए।दस्तावेज़ ट्रस्ट के लेखक को "सेटलर" और अपीलकर्ताओं को "ट्रस्टी" के रूप में बताता है और जो अंग्रेजी कानून द्वारा विचार किए गए ट्रस्ट की अवधारणा का परिचय देता है।दस्तावेज़ का खंड 1 विशेष रूप से अपीलार्थियों को अनुसूची में वर्णित उन सभी शेयरों और प्रतिभूतियों को सौंपता है और हस्तांतरित करता है जो न्यास का विषय हैं।यह खंड, न्यासियों को शेयरों और प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करता है और इसलिए, न्यास के विषय-वस्तु के संबंध में कानूनी अधिकार न्यासियों में निहित होता है।यह तर्क कि निहित करने का प्रावधान किया जाना था क्योंकि विचाराधीन संपत्ति चल संपत्ति है, दोषसिद्धि नहीं करता है क्योंकि दस्तावेज़ की पूरी योजना न्यासियों में स्वामित्व निहित करने के लिए प्रतीत होती है और देता है

च

जी.

एच.

क.

वे दस्तावेज़ में निर्दिष्ट किसी भी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उक्त संपत्ति और इसकी आय का उपयोग करने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार रखते हैं।इस प्रकार, निहित प्रावधान को सर्वशक्तिमान को संपत्ति समर्पित करने के इरादे को पूरा करने के साधन के रूप में नहीं अपनाया गया है, लेकिन यह लेन-देन का आवश्यक आधार है और यह न्यास संपत्ति के कानूनी अधिकार को न्यासियों को हस्तांतरित करना है।इस अर्थ में, खंड 14 जो न्यासियों को किसी भी तरह से संपत्ति से निपटने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करता है, साथ ही खंड 18 और 24 जो उन्हें अपने अनियंत्रित विवेकाधिकार में सेवकों को नियुक्त करने

और न्यास के प्रबंधन के लिए एक समिति नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं, अधिक आसानी से समझ में आता है।इस संबंध में, हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि गैर-मुसलमानों की न्यासियों के रूप में नियुक्ति जो अधिनियम द्वारा निषिद्ध है, एक संकेत है कि बसने वाले ने न्यास को उक्त वैधानिक निषेध के भीतर नहीं माना; इसी तरह, न्यास के प्रबंधन की योजना जिसे न्यासियों को न्यास के प्रशासन में अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है, मुस्लिम कानून पर आधारित नियमों से पूरी तरह से मुक्त है जो अधिनियम की संबंधित धाराओं ने निर्धारित किए हैं।न्यास की ये कई विशेषताएं इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं कि न्यास वक्फ नहीं है और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। हमने दस्तावेज़ के सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम संतुष्ट हैं कि एक निष्पक्ष और उचित निर्माण पर, दस्तावेज़ को सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए, जिनमें से कुछ वक्फ की सीमाओं के बाहर हैं और इसलिए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि बनाया गया ट्रस्ट एक वक्फ नहीं है, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यापक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है।मामले के उस दृष्टिकोण में, अधिनियम की धारा 3 (1) न्यास पर लागू नहीं हो सकती है और धारा 28 के तहत इसका पंजीकरण अमान्य और निष्क्रिय है।"

ग

डी.

ई.

च

115. इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जहां एक दस्तावेज था जिसे एक न्यास विलेख के रूप में शैलीबद्ध किया गया था।ट्रस्ट का उद्देश्य विशेष रूप से हैदराबाद राज्य में गरीबों को राहत प्रदान करना था।इसने विशेष रूप से हैदराबाद राज्य में धर्म की उन्नति के लिए धार्मिक संस्थानों के रखरखाव और समर्थन पर विचार किया।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त आशय के अनुसार खंड का लाभ किसी विशेष धर्म तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।अन्य खंडों ने भी धर्मनिरपेक्ष आधार पर राहत प्रदान करने की मांग की।इसका उद्देश्य धर्म की परवाह किए बिना विशेष रूप से हैदराबाद के निवासियों की जरूरतों को पूरा करना था।हम इस तथ्य से अवगत हैं कि उस समय जब ए

जी.

एच.

547

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया कि लाभार्थी की प्रचलित परिभाषा वही थी जो धारा 3 (ए) में उसके अपरिवर्तित रूप में निहित थी।दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने धारा 3 (ए) में लाभार्थी की परिभाषा पर विचार किया, जो इस निषेधाज्ञा के साथ समाप्त हुई कि लाभार्थी को मुस्लिम समुदाय का सदस्य होना चाहिए।इस फैसले के बाद वर्ष 1964 में जैसा कि हमने संशोधन अधिनियम द्वारा देखा है कि 'मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए' स्थापित शब्दों को 'मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए' शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।116. मोहम्मद में रिपोर्ट किए गए फैसले में भी इस अदालत ने इस फैसले का पालन किया है।खासिम बनाम मोहम्मद।दस्तगीर और अन्य (ऊपर)।इसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

ग

“31. उपरोक्त निर्देश वक्फ की अवधारणा के विपरीत हैं और अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि निष्पादक का उद्देश्य एक सरल अंग्रेजी न्यास बनाना था।हालांकि, एक वैध वक्फ बनाने के लिए प्रश्नगत दस्तावेज़ में "वक्फ" शब्द का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, सिवाय कुछ धार्मिक समारोहों, पवित्र और धर्मार्थ कर्तव्यों के प्रदर्शन के प्रावधान के, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि समर्पणकर्ता ने कभी भी इरादा किया था कि न्यास के विषय-वस्तु को बनाने वाली संपत्तियों को वक्फ का

गठन करना चाहिए।ऐसा प्रतीत होता है कि निष्पादक ने जानबूझकर "ट्रस्टी" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है न कि "मुतवल्ली" जो अब उत्पन्न हुए विवाद को समाप्त कर देता।"

डी.

ई.

“32. कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि एक मुसलमान के लिए एक साधारण अंग्रेजी ट्रस्ट बनाने में कोई बाधा नहीं है।यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि अपनी संपत्तियों का निपटान करने के लिए, एक मुसलमान को हमेशा एक वक्फ बनाना पड़ता है।वास्तव में, उक्त विचार मद्रास उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले में व्यक्त किया गया है।

च

कासिमिया चैरिटीज राजागिरी बनाम सचिव।, मद्रास राज्य वक्फ

बोर्ड [ए. आई. आर. 1964 मैड 18]उक्त मामले में, इसी तरह के एक सवाल का सामना करते हुए, खंड पीठ ने कहा कि एक मुसलमान या तो वक्फ बनाने के अपने पसंदीदा तरीके को अपनाकर या न्यास के कानून के अनुरूप संपत्ति प्रदान करके दान को संपत्ति दे सकता है।यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष दान मुसलमान कानून के तहत वक्फ के बराबर है या आधुनिक न्यायशास्त्र द्वारा मान्यता प्राप्त न्यास के बराबर है, मुख्य रूप से दान की स्थापना करने वाले दस्तावेज़ के सही निर्माण पर तय किया जाना चाहिए।हालाँकि, उक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि विनिमय या बिक्री के माध्यम से अलगाव की शक्ति निहित करना

जी.

एच.

क.

वक्फ बनाने वाला दस्तावेज़ मुस्लिम कानून के तहत वक्फ का गठन करने वाले दस्तावेज़ के साथ असंगत नहीं है।इसलिए, किसी वक्फ को समर्पण करना केवल इसलिए बंद नहीं होगा क्योंकि मुतवल्ली में वक्फ भूमि को अन्य भूमि के साथ बदलने या उन्हें बेचने और अन्य भूमि खरीदने की शक्ति आरक्षित है ताकि बदले में या खरीद के रूप में ली गई भूमि वक्फ का विषय बन सके।"

117. बाद के फैसले में, अदालत ने कथित तौर पर मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जो द कासिमिया में रिपोर्ट किया गया है।

चैरिटीज, राजागिरी का प्रतिनिधित्व इसके वंशानुगत ट्रस्टी श्री ने किया। R.E.M.S. अब्दुल हमीद बनाम मद्रास राज्य वक्फ बोर्ड, जिसका प्रतिनिधित्व इसके

ग

सचिव आकाशवाणी 1964 मद्रास 18.इसलिए, यह सच है जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी तर्क दिया है कि इस न्यायालय ने एक सार्वजनिक न्यास और एक वक्फ के बीच अंतर बनाए रखा है।इस न्यायालय द्वारा यह विचार रखा गया है कि हालांकि एक मुसलमान के लिए वक्फ बनाना खुला है और सामान्य रूप से, वक्फ के माध्यम से संपत्ति समर्पित करने के लिए पुरस्कार की संभावना होगी, लेकिन यह निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से एक मुसलमान पर छोड़ दिया जाएगा कि क्या उसे अंग्रेजी ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए गए उपकरण को अपनाना चाहिए या वक्फ के माध्यम से परिचित समर्पण करना चाहिए।यह भी सच हो सकता है कि रिट याचिकाकर्ताओं के तर्क में योग्यता है, कि अनुच्छेद 25 एक विकल्प प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है।, इस बारे में कि क्या उसे वक्फ या न्यास बनाने का सहारा लेना चाहिए।

डी.

ई.

118. हमें यह तय करने के लिए कहा जाता है कि क्या कानून की इस स्थिति को अधिनियम की धारा 3 (ए) में संशोधन द्वारा किसी भी तरह से बदला गया है।

च

यहाँ हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि सार्वजनिक न्यास क्या है और डॉ. सिंघवी की प्रस्तुतियों में विशेष रूप से वक्फ के बारे में जो शर्तें प्रस्तावित की गई हैं।भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 निजी न्यासों से संबंधित है।1882 के अधिनियम की धारा 1 इस प्रकार हैः

"1. संक्षिप्त शीर्षक।—इस अधिनियम को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 कहा जा सकता हैः

जी.

शुरुआत।—और यह मार्च 1882 के पहले दिन से लागू होगा।

स्थानीय सीमा।— यह जम्मू और कश्मीर राज्य] और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है।

एच.

549

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

लेकिन केंद्र सरकार, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या उसके किसी भी हिस्से में विस्तारित कर सकती है।

बचत।—लेकिन इसमें निहित कुछ भी वक्फ के बारे में मुस्लिम कानून के नियमों को प्रभावित नहीं करता है, या किसी भी प्रथागत या व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्धारित अविभाजित परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को प्रभावित नहीं करता है, या सार्वजनिक या निजी धार्मिक या धर्मार्थ दान पर लागू होता है, या अपहरणकर्ताओं के बीच युद्ध में लिए गए पुरस्कारों को वितरित करने के लिए ट्रस्टों पर लागू होता है; और इस अधिनियम के दूसरे अध्याय में कुछ भी उक्त दिन से पहले बनाए गए ट्रस्टों पर लागू नहीं होता है।"

119. अतः यह स्पष्ट है कि न्यास अधिनियम में कुछ भी वक्फ पर लागू नहीं होगा।न ही न्यास अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक या निजी धार्मिक या धर्मार्थ न्यासों पर लागू होंगे।

ग

120. हम इस स्तर पर सार्वजनिक दान के संबंध में इंग्लैंड में प्राप्त कानून का पता लगा सकते हैं।चैरिटी पर प्रमुख कार्य ट्यूडर ऑन चैरिटीज (8 वां संस्करण) है।हम केवल कुछ पहलुओं का उल्लेख करना उचित समझते हैं।जैसा कि हम इंग्लैंड में प्रचलित कानून को समझते हैं, वह चैरिटी अधिनियम, 1993 है।हम 'दान' अभिव्यक्ति के अर्थ का उल्लेख कर सकते हैं और पृष्ठ 1 पर विद्वान लेखक द्वारा इसे कैसे समझा गया हैः

डी.

"चैरिटी अधिनियम 1993 के प्रयोजनों के लिए, "दान" का अर्थ है "कोई भी संस्था, निगमित या नहीं, जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित है और दान के संबंध में अदालत के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन है"; "संस्था" में कोई भी न्यास या उपक्रम शामिल है, और "धर्मार्थ उद्देश्यों" का अर्थ है "ऐसे उद्देश्य जो इंग्लैंड और वेल्स के कानून के अनुसार विशेष रूप से धर्मार्थ हैं।"

ई.

च

धर्मार्थ स्थिति के लिए आवश्यक तत्वों पर पृष्ठ 2 पर उसी शीर्षक के तहत चर्चा की गई हैः

“हालाँकि दान की कोई एक परिभाषा नहीं है, लेकिन आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि किसी भी संस्था को धर्मार्थ के रूप में स्वीकार करने से पहले तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।सबसे पहले, संस्था के उद्देश्य धर्मार्थ उपयोग अधिनियम 1601 की प्रस्तावना की भावना और इरादे के भीतर होने चाहिए।दूसरा, संस्था का अस्तित्व जनता के लाभ के लिए होना चाहिए और तीसरा, यह विशेष रूप से धर्मार्थ होना चाहिए।"

जी.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि दान से संबंधित कानून के विकास का पता धर्मार्थ उपयोग अधिनियम 1601 में लगाया गया है जिसे दान का क़ानून कहा जाता है।

एच.

क.

एलिजाबेथ प्रथम. इसमें, जैसा कि हमने कानून को देखा है, 1601 के अधिनियम की प्रस्तावना का महत्व है।हम समझते हैं कि पृष्ठ 2 और 3 पर दिए गए नमूने का उल्लेख करना उचित है।

“चैन्सरी न्यायालय और उसके उत्तराधिकारी, उच्च न्यायालय की अधिकारिता, दान और धर्मार्थ न्यासों के संबंध में समानता का एक अलग प्रमुख है, और दान कानून उन न्यायालयों द्वारा विकसित सिद्धांतों की तुलना में कानून पर कम स्थापित किया जाता है और मामले में कानून में सन्निहित होता है।हालाँकि, यह लंबे समय से अदालतों की प्रथा रही है कि वे मार्गदर्शन की तलाश करें कि धर्मार्थ उपयोग अधिनियम 1601 (आमतौर पर "एलिजाबेथ प्रथम के क़ानून" के रूप में संदर्भित) की प्रस्तावना के लिए कौन से उद्देश्य धर्मार्थ हैं, जो धर्मार्थ के रूप में सूचीबद्ध हैंः“वृद्ध, नपुंसक और गरीब लोगों को राहत; बीमार और विकलांग सैनिकों और नाविकों, शिक्षा के स्कूलों, मुफ्त स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विद्वानों का रखरखाव; पुलों, पनाहगाहों, सड़क मार्गों, चर्चों, समुद्र तटों और राजमार्गों की मरम्मत; अनाथों की शिक्षा और वरीयता; सुधार के घरों की राहत, स्टॉक या रखरखाव; गरीब नौकरानियों की शादी; युवा व्यापारियों, हस्तशिल्पियों और व्यक्तियों की सहायता, सहायता और सहायता; कैदियों या बंदियों की राहत या मोचन और किसी भी गरीब निवासी की सहायता या आसानी पचास के भुगतान, सैनिकों से बाहर निकलने और अन्य करों के संबंध में।” इसमें कहा गया है कि एक न्यास जिसे धर्मार्थ कहा जाता है, उसके पास ऐसी वस्तुएँ होनी चाहिए जो विशेष रूप से धर्मार्थ हों।"

ग

डी.

ई.

यह कहा गया है, "चार मामलों में, एक गैर-धर्मार्थ उद्देश्य का अस्तित्व संबंधित निकाय के लिए धर्मार्थ स्थिति के लिए घातक नहीं होगा।"हमें इस तरह के चार मामलों में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

च

121. हम आयकर विशेष उद्देश्य आयुक्त बनाम पेम्सेल (1891) ए. सी. 531 के मामले में लॉर्ड मैकनाघटेन द्वारा चार शीर्षों के बार-बार उद्धृत उच्चारण को भी देख सकते हैं।583. चार प्रमुखों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः

(1) गरीबी से मुक्ति;

जी.

(2) शिक्षा की उन्नति; (3) धर्म की उन्नति;

(4) समुदाय के लिए लाभकारी अन्य उद्देश्य जो किसी भी पूर्ववर्ती शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं।

एच.

551

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

122. हम चौथे शीर्ष के संबंध में निम्नलिखित चर्चा पर भी ध्यान दे सकते हैंः

“दूसरी ओर, लॉर्ड मैकनाघटेन ने कहा कि चौथे शीर्ष के तहत आने वाले न्यास "कानून की नजर में कम धर्मार्थ नहीं हैं, क्योंकि संयोग से वे अमीरों के साथ-साथ गरीबों को भी लाभान्वित करते हैं, क्योंकि वास्तव में हर दान जो नाम का हकदार है, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए।...”

123. जहाँ तक धर्मार्थ न्यास के संबंध में शाश्वतता की आवश्यकता का संबंध है, चूंकि हमने डॉ. सिंघवी की प्रस्तुतियों में एक विवाद उठाया है कि एक धर्मार्थ न्यास स्थायी होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम 'अवधि' शीर्षक के तहत निम्नलिखित चर्चा पाते हैंः

ग

“एक धर्मार्थ न्यास को किसी भी अवधि के लिए बनाए रखा जा सकता है जो न्यास का लेखक चाहे।इसलिए इसे धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से आय के अनुप्रयोग के लिए बनाया जा सकता है, या इसे इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि एक सीमित या अनिश्चित अवधि के दौरान पूंजी के तत्काल वितरण, या पूंजी और आय के समाप्त होने की आवश्यकता हो।इस नियम का यह अपवाद कि अनिश्चित अवधि के लिए आय के आवेदन के लिए एक न्यास शून्य है क्योंकि एक स्थायी होने की प्रवृत्ति अच्छी तरह से स्थापित है।यह सार्वजनिक नीति के आधार पर स्थापित किया गया है, और धर्मार्थ न्यासों के उपयोगी अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

डी.

ई.

लेकिन शाश्वतता के खिलाफ नियम से छूट के लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक न्यास उस शब्द के कानूनी अर्थ के भीतर धर्मार्थ होना चाहिए।इस प्रकार, एक मकबरे की मरम्मत के लिए एक स्थायी ट्रस्ट, जो किसी चर्च के कपड़े का हिस्सा नहीं है, या किसी अन्य उद्देश्य या किसी भी संस्था या समाज के लिए जो धर्मार्थ चरित्र का नहीं है, शून्य है।इसी तरह, उम्र या गरीबी के किसी भी संदर्भ के बिना, एक निश्चित विवरण का जवाब देने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए विरासत की आय का स्थायी उपहार भी इसी तरह शून्य है।इस दुविधा से कोई बचा नहीं है कि एक स्थायी विश्वास या तो धर्मार्थ होना चाहिए, या एक स्थायी प्रवृत्ति के रूप में शून्य होना चाहिए।

च

चैरिटी को ट्रस्टी बनाकर स्थायी अवधि के खिलाफ नियम से बचा नहीं जा सकता है।इस प्रकार, एक धर्मार्थ उपहार से जुड़ी एक शर्त, जो उन वस्तुओं के पक्ष में एक ट्रस्ट का गठन करती है जो धर्मार्थ नहीं हैं, उदाहरण के लिए, कि दाता के मकबरे की ट्रस्ट फंड से हमेशा के लिए मरम्मत की जानी चाहिए, या कि दान को निजी व्यक्तियों को पट्टे पर देना चाहिए।"

जी.

क.

124. चैरिटी न्यासियों की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में, यह निम्नानुसार कहा गया हैः

"दान न्यासियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, जैसा कि दान अधिनियम 1993 की धारा 97 में परिभाषित किया गया है, उन व्यक्तियों के रूप में जिनके पास दान के प्रशासन का सामान्य नियंत्रण और प्रबंधन है, दान द्वारा अपनाई गई कानूनी संरचना, व्यक्तिगत शासी साधन की शर्तों और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।..."

125. इंग्लैंड में एक सार्वजनिक दान की अवधारणा को भारत में एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास की पृष्ठभूमि में एक न्यास की अवधारणा के विपरीत समझा जाता है।हम विद्या वरुथी तीर्थ स्वामीगल बनाम में रिपोर्ट किए गए प्रिवी काउंसिल के अक्सर उद्धृत निर्णय की ओर मुड़ते हैं।

ग

बालुस्वामी अय्यर और अन्य 12:

"यह भी याद रखना चाहिए कि जिस अर्थ में अंग्रेजी कानून में अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, वह हिंदू प्रणाली में अज्ञात है, शुद्ध और सरल (जे. जी. घोष, "हिंदू कानून")।पी. 276)।हिंदू धर्मनिष्ठा मंदिरों में प्रतिष्ठापित और स्थापित मूर्तियों और छवियों, हर प्रकार की धार्मिक संस्थाओं और हिंदू सामाजिक और धार्मिक प्रणाली में मेधावी माने जाने वाले सभी उद्देश्यों के लिए ब्राह्मणों, गोस्वामियों, संन्यासियों आदि को उपहारों में अभिव्यक्त होती है। जब उपहार किसी पवित्र व्यक्ति को दिया जाता था, तो यह उसके साथ कुछ दायित्वों के संदर्भ में या उपयोग और प्रथा के अनुसार होता था।हिंदू कानून के तहत हिंदू देवता की छवि, जैसा कि उचित रूप से कहा गया है, एक न्यायिक इकाई है, जो उपहार प्राप्त करने और संपत्ति रखने की क्षमता के साथ निहित है।विभिन्न नामों से जानी जाने वाली धार्मिक संस्थाओं को समान "न्यायिक" क्षमता रखने वाला माना जाता है, और उन्हें आर्थिक रूप से उपहार दिए जाते हैं।दक्षिण भारत में कई मामलों में, विशेष रूप से जहां द्रविड़ लोगों को हिंदू प्रणाली के धार्मिक शासन के तहत लाने के लिए आर्य ब्राह्मणवाद का प्रसार आवश्यक था, मान्यता प्राप्त पवित्रता के आध्यात्मिक शिक्षकों के तहत गणित के नाम से महाविद्यालयों और मठों की स्थापना की गई थी।इन लोगों के पास संस्था के धन के उपयोग में पर्याप्त विवेकाधिकार था और है, लेकिन हमेशा अलग-अलग दायित्वों और कर्तव्यों के अधीन रहते हैं, जो समान रूप से प्रथा और उपयोग द्वारा शासित होते हैं।जब उपहार सीधे किसी मूर्ति या मंदिर को दिया जाता है, तो उपहार को पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से मानव एजेंसी द्वारा प्रभाव डाला जाता है।फोन किया।

डी.

ई.

च

जी.

12 ए. आई. आर. 1922 प्रिवी काउंसिल 123 ए

किसी भी नाम से, वह केवल मूर्ति या संस्था का प्रबंधक और संरक्षक होता है।लगभग हर मामले में उसे उपयोग के एक हिस्से, आनंद के तरीके और उपयोग की मात्रा का अधिकार दिया जाता है जो फिर से उपयोग और प्रथा पर निर्भर करता है।किसी भी मामले में उसे संपत्ति नहीं दी गई थी या उसमें निहित नहीं किया गया था, न ही वह शब्द के अंग्रेजी अर्थ में एक "ट्रस्टी" है, हालांकि उस पर निहित दायित्वों और कर्तव्यों को देखते हुए, वह सामान्य अर्थों में एक ट्रस्टी के रूप में जवाबदेह है।

उपहार के अलावा एक न्यास की अवधारणा भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ शुरू की गई थी।और यही कारण है कि देश के उन हिस्सों में बाद के समय के कई दस्तावेजों में, जहां महामेदन का प्रभाव पूर्व-प्रमुख रहा है, जैसे कि उच्च भारत और कर्नाटक, वाकफ अभिव्यक्ति का उपयोग समर्पण व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

ग

लेकिन न्यासों से संबंधित महामादान कानून मूल रूप से अंग्रेजी कानून से अलग है।इसकी उत्पत्ति इस्लाम के पैगंबर द्वारा निर्धारित एक नियम से हुई है और इसका अर्थ है "सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वामित्व में संपत्ति को बांधना और मनुष्यों के लाभ के लिए लाभ की भक्ति।" जब एक बार यह घोषित किया जाता है कि कोई विशेष संपत्ति वक्फ है, या ऐसी किसी भी अभिव्यक्ति का उपयोग वक्फ के रूप में किया जाता है, या दस्तावेज़ का कार्यकाल दर्शाता है, जैसे कि

डी.

जेवान डोस साहू बनाम शाह कुबेरूद्दीन 20 का मामला कि

ई.

पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पण का अर्थ है, वक्फ का अधिकार समाप्त हो जाता है और स्वामित्व सर्वशक्तिमान को हस्तांतरित कर दिया जाता है।दाता किसी भी मेधावी वस्तु को लाभ प्राप्तकर्ता के रूप में नामित कर सकता है।वक्फ का प्रबंधक मुतवल्ली, राज्यपाल, अधीक्षक या क्यूरेटर होता है।जेवान डोस साहू के मामले 21 में न्यायिक समिति उन्हें "प्रोक्यूरेटर" कहती है। यह मामला एक खानकाह से संबंधित है, जो एक महामादान संस्थान है जो कई मायनों में एक गणित के समान है जहां हिंदू धार्मिक शिक्षा दी जाती है।भारत में बड़ी संख्या में मौजूद इन खानखाओं के सिर को साज्ञादानिशिन कहा जाता है।वह धार्मिक सिद्धांतों और जीवन के नियमों के शिक्षक हैं, और संस्थान के प्रबंधक और इसके दान के प्रशासक हैं, और ज्यादातर मामलों में एक साधारण मुतवल्ली की तुलना में उपयोग में अधिक रुचि रखते हैं।लेकिन न तो साज्ञादानिशिन और न ही मुतवल्ली का वक्फ से संबंधित संपत्ति पर कोई अधिकार है; संपत्ति उसमें निहित नहीं है और वह तकनीकी अर्थों में "ट्रस्टी" नहीं है।"

च

जी.

एच.

554

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

"यह उन न्यायिक अवधारणाओं के बीच इस मौलिक अंतर को ध्यान में रखते हुए था जिन पर न्यासों से संबंधित अंग्रेजी कानून आधारित है और जो हिंदू और मुसलमान प्रणालियों की नींव बनाते हैं, भारतीय विधानमंडल ने भारतीय न्यास अधिनियम (II) को लागू किया। 1882) ने वक्फ और हिंदू धार्मिक दानों पर लागू कानून के नियमों को जानबूझकर इसके दायरे से छूट दी। संप्रदाय।1 उस अधिनियम का, यह घोषित करने के बाद कि यह कब लागू होना था और जिन क्षेत्रों पर इसे "पहली बार में" विस्तारित किया जाना चाहिए, निर्धारित करता है, लेकिन इसमें निहित कुछ भी वक्फ के रूप में महामादान कानून के नियमों को प्रभावित नहीं करता है, या किसी भी प्रथागत या व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्धारित अविभाजित परिवार के सदस्यों के आपसी

संबंधों को प्रभावित नहीं करता है, या सार्वजनिक या निजी धार्मिक या धर्मार्थ दान पर लागू होता है।....“ संप्रदाय।3 अधिनियम अंग्रेजी वकीलों से परिचित शब्दों में "विश्वास" शब्द की परिभाषा देता है।इसमें कहा गया हैः”एक 'न्यास' संपत्ति के स्वामित्व के साथ जुड़ा हुआ एक दायित्व है, और मालिक द्वारा किसी अन्य, या किसी अन्य और मालिक के लाभ के लिए रखे गए और स्वीकार किए गए विश्वास से उत्पन्न होता है, या उसके द्वारा घोषित और स्वीकार किया जाता है; जो व्यक्ति विश्वास को दोहराता है या घोषित करता है उसे 'न्यास का लेखक' कहा जाता है; जो व्यक्ति विश्वास को स्वीकार करता है उसे 'न्यासी' कहा जाता है; जिस व्यक्ति के लाभ के लिए विश्वास स्वीकार किया जाता है उसे 'लाभार्थी' कहा जाता है; न्यास के विषय-वस्तु को 'न्यास-संपत्ति' या 'न्यास-धन' कहा जाता है; न्यास-संपत्ति के मालिक के रूप में न्यासी के खिलाफ लाभार्थी का 'लाभकारी हित' या 'हित' उसका अधिकार है; और वह साधन, यदि कोई हो, जिसके द्वारा न्यास-संपत्ति के मालिक के रूप में न्यासी का अधिकार है।’”

ग

डी.

ई.

126. केवल यह ध्यान देने योग्य है कि विश्वास की अवधारणा मुसलमानों के लिए अज्ञात नहीं थी।वास्तव में, जैसा कि हमने मुस्लिम कानून पर सैयद अमीर अली की चर्चा में देखा है, वक्फ को एक न्यास के रूप में वर्णित किया गया है।हालाँकि, संयोग से, इस निर्णय के कारण सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 10 में संशोधन किया गया।यह उचित है कि हम उस मामले और निर्णय पर ध्यान देते हैं जो उसमें दिया गया था जो वली में बताया गया है।

च

एल. आर. वी. द्वारा मोहम्मद (मृत)रहमत बी (श्रीमती) और अन्य 13.

जी.

सवाल यह उठा कि क्या वक्फ का मुतवल्ली ट्रस्टी होगा।यह न्यायालय प्रिवी के फैसले को नोटिस करने के बाद

विद्या वरुथी तीर्थ स्वामीगल बनाम बालुस्वामी अय्यर और

अन्य (ऊपर) ने निम्नलिखित अनुच्छेदों में इसके प्रभाव पर चर्चा की हैः

एच.

13 (1999) 3 एससीसी 145 ए

555

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

“35. यह देखा जाएगा कि धारा 10 के मुख्य भाग में कहा गया है कि किसी ऐसे न्यासी से संपत्ति की वसूली के लिए कोई सीमा अवधि लागू नहीं होती है जिसमें संपत्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निहित है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति मूल्यवान प्रतिफल के लिए समनुदेशिती न हो।स्पष्टीकरण में आगे कहा गया है कि यह माना जाएगा कि हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध धार्मिक या धर्मार्थ निधि की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति को एक ट्रस्टी माना जाएगा जिसमें ऐसी संपत्ति एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए निहित है।हम इन प्रावधानों को कुछ विस्तार से समझायेंगे।

36. विद्या वरुथी तीर्थ स्वामीगल बनाम बालुस्वामी अय्यर में

[ए. आई. आर 1922 पी. सी. 123:आई. एल. आर. 44 मैड 831] प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि हिंदू या मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती में निहित संपत्ति मुख्य खंड में उक्त शब्दों के अर्थ के भीतर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए न्यास में निहित संपत्ति नहीं थी।इसका कारण यह था कि प्रथागत कानून के अनुसार, जहां संपत्ति किसी हिंदू मूर्ति या मठ या मुसलमान वक्फ को समर्पित की जाती थी, वहां मूर्ति या संस्था या भगवान में निहित संपत्ति, जैसा भी मामला हो, सीधे तौर पर होती थी और यह कि शेबत, महंत, मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति जो संस्था के प्रभारी थे, केवल संस्था की ओर से एक प्रबंधक थे। चूंकि धारा 10 तब तक लागू नहीं होती थी जब तक कि ये व्यक्ति न्यासी नहीं होते थे, इस निर्णय ने इन प्रबंधकों से उपरोक्त न्यासों की संपत्तियों की वसूली को मुश्किल बना दिया।

ग

डी.

ई.

37. अतः विधायिका ने हस्तक्षेप किया और उपरोक्त निर्णय के प्रभाव से उबरने के उद्देश्य से धारा 10 में संशोधन किया। 1929 के विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इसे स्पष्ट करता है।इसमें कहा गया हैः

च

“(सिविल जस्टिस) समिति की सिफारिश विद्या वरुथी बनाम बालूस्वामी [ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 123 में प्रिवी काउंसिल के फैसलों को संदर्भित करती है, यह समझा जाता हैःआईएलआर 44 मैड 831]

और अब्दुर रहीम बनाम नारायण दास अरोड़ा [(1922) 50 IA 84]

जो यह निर्धारित करता है कि हिंदू धार्मिक संपत्ति का कोई धर्मकर्ता, महंत या प्रबंधक या मुतवल्ली या साज्ञादानशीन जिसमें मुस्लिम धार्मिक निधि का प्रबंधन निहित है, सीमा अधिनियम की धारा 10 में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ के भीतर न्यासी नहीं हैं, क्योंकि संपत्ति उनमें निहित नहीं है।परिणाम यह है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है, जो मूल्यवान के लिए असाइनी नहीं होता है

जी.

एच.

क.

इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकृति के दान संरक्षित नहीं हैं।समिति की सिफारिश है कि सीमा अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि हिंदू और मुस्लिम धार्मिक दान को अन्य न्यास निधियों के समान रखा जा सके जो निश्चित रूप से एक न्यासी में निहित हैं।"

127. इस प्रकार, मुतवल्ली को एक ट्रस्टी के रूप में माना जाता है।लेकिन क्या सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 10 में किया गया संशोधन मुतवल्ली को आम तौर पर न्यासी बना देगा?

हमारा जवाब एक जोरदार 'नहीं' है।यही कारण है कि सीमा अधिनियम की धारा 10 में परिवर्तन प्रिवी काउंसिल के फैसले को दूर करने के लिए किया गया था, जब यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई मुतवल्ली ट्रस्टी नहीं होगा और जब धारा 10 में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए जिसमें संपत्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ट्रस्ट में निहित हो गई है और क्योंकि मुतवल्ली स्वयं कानून में ट्रस्टी नहीं होगा, तो विधायिका ने स्पष्टीकरण दिया।लेकिन जो बात हैरान करने वाली है वह दो विशेषताएँ हैं।सबसे पहले, परिवर्तन एक स्पष्टीकरण के माध्यम से लाया जाता है।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्टीकरण "इस धारा के उद्देश्य के लिए" शब्दों से शुरू होता है और यह घोषणा करने के लिए आगे

बढ़ता है कि "हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती में शामिल किसी भी संपत्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए न्यास में उचित रूप से निहित माना जाएगा और संपत्ति के प्रबंधक को उसका न्यासी माना जाएगा।" इसलिए, यह एक स्पष्टीकरण होने के अलावा, यह अपनी शर्तों पर भी, परिसीमा अधिनियम की धारा 10 में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए काल्पनिक कल्पना को सीमित करता है।

ग

डी.

ई.

128. डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, वक्फ की तुलना में न्यास की चार विशिष्ट विशेषताओं को सूचीबद्ध करेंगेः

च

(i) एक वक्फ स्थायी और अपरिवर्तनीय है, जबकि एक न्यास स्थायी होने की आवश्यकता नहीं है और कुछ शर्तों के तहत रद्द भी किया जा सकता है।

((ii) एक वक्फ संपत्ति अविभाज्य है जबकि एक न्यास न्यास संपत्ति को अलग करने के लिए स्वतंत्र है।

जी.

((iii) वक्फ का संस्थापक अपने लिए कोई लाभ सुरक्षित नहीं रख सकता है, लेकिन सार्वजनिक न्यास का संस्थापक स्वयं एक लाभार्थी द्वारा लाभ ले सकता है।

((iv) न्यासी की शक्तियों की तुलना में मुतवल्ली (वक्फ संपत्ति के प्रबंधक) की शक्तियां बहुत सीमित होती हैं।

एच.

557

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

वह तर्क देंगे कि वक्फ के मामले में समर्पण शाश्वत और अपरिवर्तनीय होना चाहिए।हम पहले ही देख चुके हैं कि इस प्रस्ताव को केवल स्वीकार किया जाना चाहिए और बचाया जाना चाहिए जैसा कि हमने वक्फ के मामले में एक वसीयत द्वारा देखा है जो निर्माता के समर्पण के जीवनकाल के दौरान रद्द करने योग्य है और यह तुरंत प्रभावी होना चाहिए और यह क्षणिक नहीं है।इसका कारण यह माना जाता है कि समर्पण के तुरंत बाद पुरस्कार दिया जाता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि वसीयत के मामले में, उसके जीवनकाल के दौरान इसे रद्द करने के लिए खुला है, लेकिन अन्यथा एक वक्फ को वास्तव में स्थायी और अपरिवर्तनीय होना चाहिए।डॉ. सिंघवी प्रस्तुत करते हैं कि एक न्यास स्थायी होने की आवश्यकता नहीं है और कुछ शर्तों में रद्द किया जा सकता है।हमने चैरिटी पर ट्यूडर के अंश को देखा है जो यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि वक्फ में शाश्वतता की आवश्यकता हमेशा किसी सार्वजनिक दान या सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास से जुड़ी नहीं हो सकती है।यह अनिवार्य रूप से एक दस्तावेज की शर्तों पर तय किया जाने वाला मामला है, यदि कोई है।

ग

129. इसके बाद, यह तर्क दिया जाता है कि वक्फ के मामले में, संपत्ति अविभाज्य है, जबकि ट्रस्ट के मामले में, एक ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति को अलग करने के लिए स्वतंत्र है।यद्यपि न्यास अधिनियम सार्वजनिक, धार्मिक या धर्मार्थ न्यास के मामले में लागू नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रावधानों में निहित सिद्धांतों पर कानून बनाया जा सकता है।भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 37 इस प्रकार हैः

डी.

"37. लॉट में बेचने की शक्ति, और या तो सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा।—जहां न्यासी को किसी न्यास-संपत्ति को बेचने का अधिकार है, वह उसी को पूर्व शुल्क के अधीन बेच सकता है या नहीं, और या तो एक साथ या लॉट में, सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा, और या तो एक समय में या कई बार, जब तक कि न्यास का साधन अन्यथा निर्देश न दे।"

ई.

च

130. धारा 37 के अवलोकन से निम्नलिखित का पता चलेगाः

भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 द्वारा शासित न्यासी बिक्री कर सकता है।हालांकि, शर्त यह है कि बिक्री की शक्ति न्यास विलेख द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।इसलिए यह सब इस सवाल पर निर्भर करता है कि क्या विचाराधीन दस्तावेज़ के तहत न्यासी के पास कोई शक्ति है।हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डॉ. सिंघवी सही नहीं हो सकते हैं यदि तर्क यह है कि न्यासी को बिक्री का पूर्ण अधिकार है।कम से कम बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत ऐसा नहीं है।बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 36 में घोषणा की गई है कि ट्रस्टी द्वारा बिक्री चैरिटी कमिश्नर से 'पूर्व' मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है।हालांकि, एक वक्फ के मामले में, निस्संदेह सिद्धांत

जी.

एच.

क.

यह अच्छी तरह से स्थापित है और यह एक वक्फ की अवधारणा का अभिन्न अंग है, जिसमें समर्पण पर सर्वशक्तिमान को संपत्ति का एक निहित हस्तांतरण होता है, जो कानून में किसी भी अलगाव को अस्वीकार्य बनाता है।संपत्ति अविभाज्य बनी रहेगी। हालाँकि, दिलचस्प रूप से, हम मुहम्मद कानून के मुल्ला सिद्धांतों में निम्नलिखित चर्चा को देख सकते हैंः"207. बेचने या गिरवी रखने की मुतवल्ली की शक्ति।मुतवल्ली के पास अदालत की अनुमति के बिना, वक्फ संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को गिरवी रखने, बेचने या विनिमय करने की कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि वह वक्फ के विलेख द्वारा ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त न हो।"

131. तथापि, विद्वान लेखक ने अधिनियम की धारा 51 में लाए गए परिवर्तन का भी उल्लेख किया है और उसके बाद निम्नानुसार कहा हैः

ग

"वक्फ का मुतवल्ली हालांकि सही मायने में ट्रस्टी नहीं है, फिर भी वह ट्रस्टी के विभिन्न दायित्वों से बंधा होता है।वह एक न्यासी या एक प्रत्ययी क्षमता में खड़े व्यक्ति की तरह, अपने द्वारा धारण किए गए पद के आधार पर अपने हितों या अपने करीबी संबंधों के हितों को आगे नहीं बढ़ा सकता है।मुतवल्ली द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति के अधिग्रहण के लिए वक्फ के धन का उपयोग विश्वासघात के समान होगा और इस तरह से अर्जित संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में माना जाएगा।

डी.

मुतवल्ली को वक्फ संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वह अदालत की अनुमति प्राप्त नहीं करता है, जिसके पास मुतवल्ली के कार्यों को नियंत्रित करने की सामान्य शक्तियां हैं।किसी भी प्रथा द्वारा मान्यता प्राप्त होने के अलावा, कानून मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के अधिकार का समर्थन नहीं करता है।जब मुतवल्ली की मृत्यु हो जाती है और वक्फ अभी भी जीवित होता है, तो उसे दूसरे को नियुक्त करने का अधिकार होता है और उसकी अनुपस्थिति में उसका क्यूरेटर

और दोनों की अनुपस्थिति में, अदालत उत्तराधिकारी मुतवल्ली की नियुक्ति करती है।मुतवल्ली के पास वक्फ संपत्ति में कोई स्वामित्व अधिकार या संपत्ति नहीं है, वह वक्फ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रबंधक के रूप में संपत्ति रखता है।यहाँ तक कि एक सज्जादानशीन, जिसकी उपभोग में अधिक रुचि है, का भी संपन्न संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।ये विशेषताएं एक मुतवल्ली को एक शेबेट से अलग करती हैं।जे तत्व शेबैत-जहाजकेँ एकटा सम्पत्ति बना दैत छैक, ओ मुतवल्ली-जहाजमे अनुपस्थित रहैत छैक आ मुतवल्ली-जहाज एकटा कार्यालय होइत छैक।"132. इसलिए, 1995 से पहले जो भी स्थिति रही हो, अधिनियम के तहत, बिक्री पूरी तरह से निषिद्ध है।हम अधिनियम की धारा 104 ए से समर्थन प्राप्त करते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ अलगाव को प्रतिबंधित करती है।

ई.

च

जी.

एच.

559

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

133. डॉ. सिंहविथ द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वक्फ का संस्थापक अपने लिए कोई लाभ आरक्षित नहीं रख सकता है, लेकिन सार्वजनिक न्यास का संस्थापक लाभार्थी बन सकता है।

इसके अलावा, हम मुल्ला में मुस्लिम कानून के सिद्धांतों पर निम्नलिखित चर्चा देख सकते हैंः

“192. वक्फ (समर्पणकर्ता) के लाभ के लिए जीवन ब्याज का आरक्षण (1) हनीफी कानून के तहत, वक्फ (समर्पणकर्ता) वक्फ संपत्ति की आय में से अपने रखरखाव का प्रावधान कर सकता है।यदि वह चाहे तो पूरी आय भी अपने लिए अपने जीवन के लिए सुरक्षित रख सकता है।

ग

रखरखाव की राशि दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होने पर, मुतवल्ली के खिलाफ एक लाभार्थी द्वारा मुकदमे पर रखरखाव की राशि बढ़ाई जा सकती है।

(2) वक्फ ऋणों का भुगतान।-हनफी कानून के तहत, वक्फ वक्फ संपत्ति की आय में से अपने ऋणों के भुगतान का प्रावधान कर सकता है।

डी.

यह वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, 1913 से पहले अच्छी तरह से स्थापित था, और अब इसे एस में पुनः प्रस्तुत किया जाता है।3, अधिनियम की धारा (ख)।

134. महामादान कानून के तहत, एक वाकीफ वक्फ संपत्ति की आय में से अपने रखरखाव का प्रावधान कर सकता है।वह पूरी आय को अपने या अपने जीवन के लिए भी सुरक्षित रख सकता है।हालाँकि शिया कानून के संबंध में एक अलग राय व्यक्त की गई है।

ई.

हम मुल्ला में मुहम्मद कानून के सिद्धांतों पर पृष्ठ 228 पर निम्नलिखित चर्चा पाते हैंः

हनाफी कानून के अनुसार, बसने वाला अपने जीवन के लिए अपनी संपन्न संपत्ति का लाभ सुरक्षित रख सकता है।शिया कानून के अनुसार एक वक्फ तब तक वैध नहीं है जब तक कि बसने वाला वक्फ बनाए जाने के क्षण से ही संपत्ति और उपयोग की

प्रकृति की हर चीज के स्वामित्व से खुद को अलग नहीं कर लेता है।अतः कानून के अनुसार, कोई अधिवासी आय या उसके किसी भी हिस्से में अपने लिए जीवन-हित आरक्षित नहीं रख सकता हैःबेली, II, 218-219।इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अधिवासी पूरी आय अपने लिए सुरक्षित रखता है, तो वक्फ पूरी तरह से शून्य है; लेकिन यदि वह आय का एक हिस्सा यानी एक तिहाई सुरक्षित रखता है, तो वक्फ केवल एक तिहाई कोष के लिए शून्य है, लेकिन शेष दो-तिहाई के लिए वैध है।लेकिन अबादी बेगम बनाम कनीज जैनब (ए. आई. आर. 1927 पी. सी. 2) में,

च

जी.

एच.

560

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

प्रिवी काउंसिल ने यह राय व्यक्त की कि ऐसे मामले में वक्फ पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा।उनके प्रभुओं ने शिया कानूनों के तहत वक्फ की वैधता को नियंत्रित करने वाली चार शर्तों को मंजूरी दी, जैसा कि बेली के डाइजेस्ट, II, 218-219 में निर्धारित किया गया है।ये हैंः“(1) यह शाश्वत होना चाहिए; (2) पूर्ण और बिना शर्त; (3) विनियोजित वस्तु का कब्जा (लाभार्थी) को दिया जाना चाहिए; और (4) इसे पूरी तरह से वक्फ या विनियोजितकर्ता से बाहर लिया जाना चाहिए, "अंतिम शर्त को सीधे और घरेलू भाषा में यह कहकर व्यक्त किया गया है कि वक्फ को वक्फ से बाहर नहीं खाना चाहिए।यह एक ऐसा मामला था जिसमें सेटलर ने अपना वेतन मुतवल्ली के रूप में तय करने के लिए वास्तव में भविष्य के मुतवल्ली के लिए निर्धारित वेतन से बहुत अधिक आय का एक हिस्सा अपने लिए आरक्षित कर लिया था।इस आधार पर मामले का फैसला नहीं किया गया था, लेकिन वक्फ को अमान्य माना गया था क्योंकि बसने वाले ने ऊपर दी गई तीसरी शर्त का पालन करने के लिए कब्जा नहीं लिया था।

ग

लेकिन हालांकि एक शिया वक्फ संपत्ति से अपने स्वयं के रखरखाव की व्यवस्था नहीं कर सकता है, वह अपने परिवार, बच्चों और आश्रितों के रखरखाव की व्यवस्था कर सकता है।यह एस में पहचाना जाता है।((क) वक्फ अधिनियम। लेकिन एक शिया अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए अपनी मृत्यु के बाद किए जाने वाले रोजा, नमाज़, हज, ज़ियारत आदि के खर्च का प्रबंध कर सकता है।वह संपत्ति के दुरूपयोग में एक लाभार्थी के लिए जीवन ब्याज भी सुरक्षित रख सकता है यदि इरादा स्पष्ट है कि बसने वाले की मृत्यु पर संपत्ति वक्फ बन जानी चाहिए।यदि बसने वाला पहला मुतवल्ली है तो वह कानूनी रूप से मुतवल्ली का पारिश्रमिक ले सकता है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक प्रावधान कि बंदोबस्ती बसने वाले की पत्नी की मृत्यु तक प्रभावी नहीं होगी, वैध है, लेकिन कानून के इस दृष्टिकोण को कानून द्वारा खारिज कर दिया गया है।

डी.

ई.

माउंट में प्रिवी काउंसिल। अली बेगम बनाम बद्र-उल-इस्लाम अली खान

च

जिसे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वसीयतकर्ता के जीवित रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुछ संपत्ति को वक्फ बनने का निर्देश अमान्य था।

पुनः, शिया कानून के अनुसार, एक वक्फ वैध नहीं है, यदि यह बसने वाले के व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान का प्रावधान करता है। लेकिन संपत्ति पर लगाए गए ऋणों के भुगतान का प्रावधान वैध है; दूसरे शब्दों में, एक शिया सुन्नी को पसंद कर सकता है, संपत्ति का एक वैध वक्फ बना सकता है जो बंधक के अधीन है।

जी.

सैयद अली जमीन बनाम सैयद अकबर अली खान (ए. आई. आर. 1937 पी. सी.)

127) , न्यायिक समिति ने अभिनिर्धारित किया कि अधिवासी ने ए को अलग कर दिया है

एच.

561

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

स्वयं को समर्पित संपत्ति में सभी हित के लिए, हालांकि उन्होंने खुद को प्रबंधन की अनियंत्रित शक्तियों के साथ मुतवल्ली नियुक्त किया था।क्या उसने खुद को इस तरह से अलग कर लिया है, यह वक्फनामा के निर्माण का सवाल है, और इस सवाल से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि क्या उसके कब्जे का हस्तांतरण हुआ है या उसके अपने कब्जे के चरित्र में बदलाव आया है।"

135. अंत में, हम अंतिम अंतर को ले सकते हैं जो डॉ. सिंघवी द्वारा उजागर किया गया है कि यह एक न्यासी की शक्तियों की तुलना में मुतवल्ली की शक्तियों के बहुत सीमित होने से संबंधित है।यह सच है कि मुतवल्ली अनिवार्य रूप से उस संपत्ति का प्रबंधक और प्रशासक है जो सर्वशक्तिमान में निहित है।दूसरी ओर, न्यासी वह व्यक्ति होता है जिसमें संपत्ति निहित होती है।एक निजी न्यास के मामले में, निस्संदेह, सार्वजनिक न्यास के संबंध में, इसमें संपत्ति के स्वामित्व के साथ संलग्न एक दायित्व शामिल है और यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में रखे गए विश्वास से उत्पन्न होता है।वे न्यासी हैं।एक निजी न्यास के मामले में, एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए जो एक सार्वजनिक धार्मिक या सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास की धारा 5 के संदर्भ में पंजीकृत होना चाहिए, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास बनाने के लिए इस तरह के किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि, नींव वह विश्वास बनी हुई है जो न्यासी/न्यासियों में निहित है और वह स्पष्ट स्वामित्व जो उनके पास कानूनी स्वामित्व होने के कारण निहित है। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि वक्फ के मुतवल्ली या वक्फ के प्रबंधक या वक्फ के प्रभारी अन्य व्यक्ति के मामले में, वह केवल संपत्ति का प्रबंधक हो सकता है।इस भेद को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो नवाब जैन में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 20 में चर्चा का विषय है।

ग

डी.

ई.

यार जंग (मृतक के बाद से) और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक

और एक और (ऊपर) जिसका हमने उल्लेख किया है।हमने देखा है कि उक्त मामले में जो शामिल था वह एक न्यास विलेख था जिसमें संपत्ति ट्रस्टी के पास निहित थी, निस्संदेह, उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए।ट्रस्ट को वक्फ से अलग करने के लिए यह वास्तव में अनिवार्य पहचान होनी चाहिए।इस अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।बिक्री की शक्ति, स्थित होना वक्फ के साथ असंगत प्रतीत होता है लेकिन यह ट्रस्ट के साथ असंगत नहीं है।

च

जी.

136. जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया है कि धारा 3 (ए) में संशोधन के साथ लाभार्थी शब्द की परिभाषा को एक धर्मनिरपेक्ष स्वाद देकर जिसका अर्थ है कि लाभार्थी को केवल मुस्लिम समुदाय से संबंधित होने की शर्त को हटा दिया गया है, इसने उस कानून को बहाल कर दिया है जो वह हमेशा से था।

क.

अर्थात्।, कि एक वक्फ के मामले में, जिसका उद्देश्य एक सार्वजनिक उपयोगिता प्राप्त करना था, लाभार्थियों को मुस्लिम धर्म के सदस्यों तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है और यह वास्तव में अपने आवेदन में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था जो 1964 में लाए गए संशोधन का कारण है।यद्यपि संशोधन 1964 में किया गया था, हम सोचेंगे कि यह हमेशा कानून था।हम पृष्ठ 274 पर मुस्लिम कानून पर सैयद अमीर अली में निम्नलिखित चर्चा देखते हैं:

"मुसलमान कानून में ध्यान देने योग्य एक और बात यह है कि जो भी उद्देश्य बनाया गया है, उसके लिए प्रत्येक न्यास वास्तव में और वास्तव में मनुष्यों के लाभ के लिए है।इस्लाम की धार्मिक और कानूनी प्रणाली अनिवार्य रूप से मानवता की सेवा और कल्याण पर आधारित है।एक मस्जिद के लिए एक समर्पण किया जा सकता है, लेकिन मस्जिद मनुष्यों के प्रार्थना करने के लिए है; यह एक स्कूल के लिए हो सकता है, जो छात्रों के निर्देश के लिए हो सकता है; खानकाह के लिए, जहां लोगों का एक विशेष वर्ग धार्मिक अभ्यासों के लिए इकट्ठा होता है, और इसी तरह।इसलिए, प्रत्येक उद्देश्य मनुष्य के आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक या भौतिक कल्याण के लिए है।यह पैगंबर द्वारा घोषित संक्षिप्त और संवेदनशील नियम का अर्थ है "संपत्ति को बांधें और मानव जाति के लिए इसे मुफ्त में छोड़ दें।" एक बार किसी भी वस्तु के लिए बनाया गया वक्फ, सर्वशक्तिमान की हिरासत में संपत्ति को "हिरासत में" रखने का प्रभाव रखता है, इसकी उपज मनुष्यों की भलाई के लिए लागू होती है।मोहम्मद सादिक बनाम मोहम्मद अली और अन्य के मामले में विधि अधिकारियों द्वारा दी गई परिभाषा का यह अर्थ है कि वक्फ का तात्पर्य है "भूमि, आवास और ग जैसी संपत्ति की किसी भी वस्तु में स्वामित्व अधिकार का त्याग करना और इसे इस तरह से भगवान की सेवा के लिए समर्पित करना कि यह पुरुषों के लिए फायदेमंद हो सकता है।" यह परिभाषा उनके द्वारा आविष्कार नहीं की गई थी, बल्कि कानून-पुस्तकों से ली गई थी, और उन्हें उनमें दिए गए स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

इस्लामी व्यवस्था में "केवल ईश्वर की पूजा के लिए" समर्पण जैसी कोई बात नहीं है। इस्लाम में "केवल ईश्वर की पूजा के लिए समर्पण" एक अर्थहीन वाक्यांश है।मनुष्य की सेवा और मानवता की भलाई प्रमुख रूप से ईश्वर की सेवा और पूजा का गठन करती है। जो कुछ भी भगवान को समर्पित है वह वास्तव में मानव जाति की भलाई के लिए है और जो कुछ भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मनुष्यों की भलाई के लिए समर्पित है, वह भगवान की सेवा के लिए है।

जी.

एच.

क.

137. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने हमें यह मानने के लिए मनाने का प्रयास किया कि 1964 में धारा 3 (ए) में 'लाभार्थी' शब्द में किए गए संशोधन के साथ, सार्वजनिक न्यास को वक्फ से अलग करने के लिए बहुत कम बचा है। पहली नज़र में यह तर्क आकर्षक लग सकता है।तर्क यह है कि चूंकि एक वक्फ हो सकता है और वक्फ का उद्देश्य सार्वजनिक

उपयोगिता की प्राप्ति हो सकती है और यदि ट्रस्ट के लाभार्थी किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं और केवल आवश्यकता यह है कि उद्देश्य वह होना चाहिए जो मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत हो, तो प्रत्येक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट वक्फ के रूप में वर्गीकृत होने में सक्षम होगा।दूसरे शब्दों में, तर्क बाहरी को छोड़ने और लेन-देन के मूल सिद्धांतों की खोज पर आधारित प्रतीत होता है। ट्रस्ट शब्द का उपयोग अपने आप में, यह सच हो सकता है, इस मुद्दे का निर्णायक नहीं हो सकता है।वक्फ शब्द की अनुपस्थिति समान रूप से निर्धारक नहीं है।यह एक ऐसा मामला है जिस पर दस्तावेज़, यदि कोई हो, पक्षकारों के आचरण और अन्य सभी प्रासंगिक पहलुओं के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

ग

138. इस संबंध में, उन्होंने ए. आई. आर. 1973 मद्रास 191 में रिपोर्ट किए गए मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।यह सच है कि उक्त मामले में, न्यायालय ने निर्णय का उल्लेख किया है

डी.

नवाब ज़ैन यार जंग (मृतक के बाद से) और अन्य बनाम निदेशक

दान और एक अन्य (ऊपर)।यह अवलोकन करता है कि इस न्यायालय ने ऐसे समय में मामले को आगे बढ़ाया है जब धारा 3 (ए) में संशोधन नहीं किया गया था।लेकिन हम सोचेंगे कि उक्त मामले में भी, मामला वास्तव में अदालत के समक्ष तथ्यों पर बदल गया।तथापि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन के साथ न्याय करने के लिए, हम निम्नलिखित अनुच्छेद का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें उपरोक्त निर्णय का उल्लेख करने के बाद, अदालत ने कहाः

ई.

“लेकिन 1954 के वक्फ अधिनियम को 1964 के अधिनियम 34 द्वारा संशोधित किया गया है जिसके तहत 'लाभार्थी' और 'वक्फ' की परिभाषा को मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत वक्फ को वक्फ अधिनियम के तहत आने के रूप में शामिल करके संशोधित किया गया है। सैयद अब्दुल्ला साहिब बनाम मद्रास राज्य वक्फ बोर्ड (3) मामले में न्यायमूर्ति कैलासम ने कहा है कि 1954 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाले 1964 के अधिनियम 34 के लागू होने को ध्यान में रखना होगा और एक अचल समर्थक पार्टी का दान, भले ही इस्लाम का दावा न करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो, एक वक्फ होगा, यदि अन्य शर्तों को पूरा किया जाता है।इस प्रकार, संशोधित परिभाषाओं का पूर्वव्यापी प्रभाव है और इस मामले में वक्फ पर लागू होता है। वास्तव में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि यदि इस मामले में धर्मार्थ वसीयत बनाई गई है।

च

जी.

एच.

564

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

एक वक्फ है, यह वक्फ अधिनियम के तहत आएगा, हालांकि वक्फ के लाभार्थियों में गैर-मुसलमान शामिल हो सकते हैं।"

हालाँकि, निर्णायक बात यह होगी कि तथ्यों के आधार पर पाया गया कि उसमें दिए गए समझौते के आदेश ने एक वक्फ का निर्माण किया था।

139. विद्वान वकील ने गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से भी समर्थन प्राप्त करने की मांग की।

कच्छ वक्फ बोर्ड और अन्न बनामकच्छ मेमन जमात और ओआरएस। 14.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार उल्लेख किया है:"50. मेरे उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए अपील सफल होनी चाहिए।हालाँकि, इससे अलग होने से पहले, मैं देख सकता हूँ कि प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नीचे दी गई दोनों अदालतें समवर्ती निष्कर्ष पर आई हैं कि, विचाराधीन संपत्ति का उपयोग किसी भी आगंतुक को जाति या पंथ के भेद के बिना आश्रय या निवास प्रदान करने के लिए किया जा रहा था और यह निष्कर्ष अकेले एक मुस्लिम वक्फ के अस्तित्व के बारे में उत्तरदाताओं के विवाद को नकारात्मक करने के लिए पर्याप्त है और इसके परिणामस्वरूप वादी को सूची के प्रकाशन को अवैध और शून्य घोषित करने के लिए राहत का दावा करने का अधिकार है और यह कि विचाराधीन संपत्ति मुस्लिम वक्फ नहीं है।विद्वान वकील के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि किसी सुविधा के लाभार्थी में मुसलमान के अलावा कोई और शामिल है, तो वह मुसलमान वक्फ के अलावा कुछ भी हो सकता है।यह एक सार्वजनिक दान या एक सार्वजनिक न्यास हो सकता है, लेकिन लाभार्थी अगर गैर-मुस्लिम शामिल हैं तो यह धर्मनिरपेक्ष चरित्र का हो जाता है जो एक मुस्लिम वक्फ का परिकल्पित उद्देश्य नहीं है।निर्णय के लिए संदर्भ दिया गया था

ग

डी.

ई.

नवाब ज़ैन यार जंग बनाम निदेशक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय

ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 985 के साथ-साथ मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाम राधा किशन (1979) 2 एस. सी. सी. 468:ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 289 यह याचिका इस तर्क के अलावा उठाई गई थी कि प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि संपत्ति एक मुसलमान द्वारा समर्पित थी और सर्वशक्तिमान को इतनी समर्पित थी कि उसे उसी में निहित किया गया था। प्रथम दृष्टया मेरा विचार है कि दोनों पक्षों ने एक समान धारणा के तहत काम किया है कि यदि मुसलमान केवल संपत्ति के उपयोगकर्ता हैं तो इसे मुस्लिम वक्फ के रूप में माना जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में वक्फ के अस्तित्व के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक सामग्री, यदि हां, तो इसकी प्रकृति और लाभार्थी जो इसके लाभ के अधिकार का दावा कर सकते थे, को भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था।

च

जी.

14 1997 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 220 ए

एच.

565

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

62. नवाब जैन यार जंग (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 985) में लिए गए निर्णयों या अन्य समकालीन निर्णयों में यह अवलोकन शामिल है कि लाभार्थी को मुस्लिम समुदाय का सदस्य होना चाहिए, इसे 1954 के अधिनियम की धारा 3 (ए) में लाभार्थी की परिभाषा के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।जब तक वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1964 डब्ल्यू. ई. एफ. 10-10-1964 द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जाता:

इसमें लिखा है:

"लाभार्थी का अर्थ है एक व्यक्ति या वस्तु जिसके लाभ के लिए एक वक्फ बनाया जाता है और इसमें धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ उद्देश्य और 'मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए स्थापित' सार्वजनिक उपयोगिता का कोई अन्य उद्देश्य शामिल है।"

ग

65. इस दृष्टि से एक मुसाफिरखाना, यदि इसका समर्पण तीर्थयात्रियों को आश्रय प्रदान करने जैसे धार्मिक उद्देश्य के लिए है या जो मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो शायद इसके लाभार्थी केवल मुस्लिम समुदाय के सदस्य हो सकते हैं।लेकिन अगर दूसरी ओर कोई संपत्ति सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की सुविधा के रूप में या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित है ताकि वह अपनी आय का उपयोग मुस्लिम कानून द्वारा स्वीकृत धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए कर सके, तो ऐसी सुविधा का उपयोग उसके मुस्लिम वक्फ होने के खिलाफ नहीं हो सकता है।दूसरे शब्दों में, जब तक यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि कौन सी वस्तु संपत्ति समर्पित है, समर्पण की सटीक प्रकृति का निर्णय करना संभव नहीं हो सकता है, भले ही यह अपीलकर्ताओं के पक्ष में माना जाए कि कमरुद्दीन को भूमि प्रदान किए जाने के बाद, उन्होंने घर का निर्माण किया था और उस घर का उपयोग मुसाफिरों के निवास स्थान मुसाफिरखाना या सराय धर्मशाला के रूप में किया जा रहा है।दोनों पक्ष, जाहिरा तौर पर मुसलमानों द्वारा संपत्ति के उपयोगकर्ता के साथ उलझे हुए हैं, केवल इस मुद्दे के 'निर्माण के समर्पण के उद्देश्य' के बारे में इस महत्वपूर्ण पहलू पर कोई सबूत नहीं देते हैं।इस संबंध में, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यह खोए हुए अनुदान और संपत्ति के उपयोगकर्ता का मामला नहीं है, बल्कि विशिष्ट तरीके से अनुदान दोनों पक्षों और उस अवधि से आम जनता या मुसलमानों द्वारा उपयोगकर्ता का विवाद रहा है।जिस धुरी वस्तु के साथ समर्पण और उपयोग किया जा रहा था, वह गायब है।इस संबंध में यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि भगवदगोमंडल के अनुसार 'धर्मशाला' और 'मुसाफिरखाना' शब्द का अर्थ एक ही है।इसलिए कुछ भी, भूमि अनुदान पत्र में 'धर्मशाला' अभिव्यक्ति को कुछ और के बिना चालू नहीं कर सकता है।न ही इसके विपरीत वास्तविक उपयोगकर्ता

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

वास्तविक समर्पण का उद्देश्य अनुदान की प्रकृति को प्रभावित करेगा, हालांकि वस्तु के बारे में स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में, लंबे समय तक उपयोगकर्ता किसी न किसी तरह से स्वयं वस्तु का कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।"

140. अंत में, दिल्ली उच्च न्यायालय के भारतीय इस्लामी संस्थान बनाम दिल्ली वक्फ बोर्ड 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 5567 में माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट के माध्यम से दिए गए फैसले को भी हमारे सामने रखा गया है।वास्तव में, हम केवल उस बिंदु पर मामले के कानून पर विचार करने के बाद ही नोटिस कर सकते हैं जिसमें निर्णय शामिल था।

नवाब ज़ैन यार जंग (मृतक होने के बाद से) और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक और अन्य (ऊपर दिए गए) मामले में इस न्यायालय और लाए गए परिवर्तन

कानून के बारे में, यह अन्य बातों के साथ इस प्रकार आयोजित किया गया थाः“66. इस प्रकार यह स्पष्ट है-उपरोक्त चर्चा से, कि वक्फ होने के लिए समर्पण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लाभ केवल मुसलमानों, या समुदाय के एक विशिष्ट वर्ग को मिलना चाहिए; जब तक समर्पण का उद्देश्य किसी कार्य या कार्य का प्रदर्शन है, जिसे मुस्लिम कानून के तहत धर्मार्थ माना जाता है, और संपत्ति, संपत्ति या चीज़ स्थायी रूप से समर्पित है।यहाँ, यह जानना आवश्यक होगा कि वास्तव में "स्थायी समर्पण" क्या है।प्रिवी काउंसिल ने अपने पहले के फैसलों में से एक में,अर्थात् जेवेन डोस साहू बनाम शाह कुबेर-उद-दीन ((1840) 2 एम. आई. ए. 390) ने 'समर्पण' शब्द के महत्व को समझाया और इस प्रकार कहाः

ग

डी.

ई.

" दोनों शिष्यों के अनुसार, वक्फ एक विशेष वस्तु के विनियोग को इस तरह से दर्शाता है कि इसे दिव्य संपत्ति के शासन के अधीन कर दिया जाता है, जहां से इसमें अधिग्रहणकर्ता का अधिकार समाप्त हो जाता है, और यह भगवान की संपत्ति बन जाती है, इसके लाभ से उसके प्राणी बन जाते हैं।इसलिए दोनों शिष्य विनियोग को निरपेक्ष मानते हैं, हालांकि इसमें भिन्नता है, कि अबू यूसुफ इसके निष्पादन के क्षण से ही विनियोग को निरपेक्ष मानता है, जबकि मोहम्मद इसे केवल मुतवल्ली (या खरीददार) को देने पर निरपेक्ष मानते हैं और इसके परिणामस्वरूप, इसे उपहार या बिक्री द्वारा निपटाया नहीं जा सकता है, और वह विरासत भी इसके संबंध में प्राप्त नहीं होती है। 'वास्तविक भूमि को दान में इस तरह से प्रदान करें कि वह अब बिक्री योग्य या विरासत में नहीं होगी।'"

च

जी.

141. में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त करना

मोहम्मद.खासिम बनाम मोहम्मद।दस्तगीर और अन्य (ऊपर) यह ए में पाया गया था

एच.

567

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

तथ्य यह है कि जिसे वक्फ के रूप में पेश किया गया था वह वक्फ नहीं था, हालांकि यह एक वैध न्यास हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

नवाब ज़ैन यार जंग (मृतक के बाद से) और अन्य बनाम निदेशक

दान और एक अन्य (ऊपर) और जैसा कि मोहम्मद में अनुसरण किया गया है।खासिम बनाम मोहम्मद।दस्तगीर और अन्य (ऊपर) और धारा 3 (ए) में लाए गए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट विचार है कि इस न्यायालय के निर्णयों में घोषित कानून एक मुस्लिम के लिए एक सार्वजनिक न्यास या वक्फ बनाने के लिए खुला छोड़ देता है और यह अबाधित रहता है। 142. इस बारे में कि क्या कोई संस्थान वक्फ है या सार्वजनिक न्यास, तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है।इसका मतलब यह है कि यह किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वह यह पता लगाए कि क्या यह या तो है और उस दस्तावेज़ की शर्तों को ध्यान से देखे जिसके द्वारा न्यास का साक्ष्य दिया जाता है यदि ऐसा कोई दस्तावेज़ है और तथ्यों का पता लगाए और उसके बाद कानून को लागू किया जाना चाहिए।इस जाँच में संभवतः जो सर्वोपरि विशेषता सामने आएगी, वह यह होगी कि संपत्ति को किसी न्यास द्वारा, न्यास के मामले में, किसी न्यासी को संपत्ति से निपटने के लिए निहित किया जा रहा है।चाहे बिक्री की कोई शक्ति न हो, या अविभाज्यता एक ऐसा कारक हो सकता है जो मामले को संस्था के वक्फ होने के पक्ष में झुका सकता है बशर्ते कि अन्य विशेषताएं भी मौजूद हों जो अपरिहार्य हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1964 के संशोधन अधिनियम में 'लाभार्थी' शब्दों में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम कानून का हमेशा सही सिद्धांत क्या था कि वक्फ के फलों को मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए और यह उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता होने के संदर्भ में ट्रस्ट और वक्फ के बीच के अंतर को कम कर देगा।

ग

डी.

ई.

इस संबंध में, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 985 में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 17 में प्रतिबिंबित पहलू से संकेत मिलता है कि न्यायालय धारा 3 (ए) में लाभार्थी को असंशोधित रूप में परिभाषित करने वाले निषेधाज्ञा को ध्यान में रख रहा था।यह इंगित करता है कि धारा 3 (ए) के अपरिवर्तित प्रावधानों के मानदंडों पर, अदालत ने इसे वक्फ नहीं पाया।दस्तावेज़ का नामकरण और रूप सूचक हो सकता है लेकिन निर्णायक नहीं।

च

जी.

143. यह मानने के बाद कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास और वक्फ के बीच अंतर है, हमें अब एक अधिक परेशान करने वाले मुद्दे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और विवाद यह है।क्या धारा 4 के तहत मामले में किया गया सर्वेक्षण वैध था और क्या 13.11.2003 पर प्रकाशित सूची में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था?

एच.

क.

144. यह एक स्वीकृत मामला है कि अधिनियम 01.01.1996 पर लागू हुआ था।दिनांक 01.12.1997 की कार्यवाही द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था।सर्वेक्षणकर्ता को सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था और उन्होंने 31.01.2002 पर धारा 4 (3) के तहत सरकार को एक रिपोर्ट दी।इस बीच यह भी विवादित नहीं है, 04.01.2002 पर वक्फ बोर्ड को शामिल किया गया था।धारा 4 के तहत सर्वेक्षण कैसे किया जाना चाहिए, यह इस न्यायालय के फैसले का विषय रहा है।

।इसे इस कारण से संदर्भित करना उचित हो सकता है कि यद्यपि विचाराधीन सर्वेक्षण वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 4 के तहत किया गया था, वर्तमान अधिनियम में धारा 4 के प्रावधान अनिवार्य रूप से पहले के अधिनियम की धारा 4 के साथ समानता रखते हैं। इसमें, पहला सवाल जो उठा वह यह था कि क्या धारा 4 के तहत नियुक्त वक्फ आयुक्त को यह पता लगाने और यह पता लगाने का अधिकार क्षेत्र था कि क्या कोई निश्चित संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं, जब ऐसा विवाद वक्फ के लिए किसी अजनबी द्वारा उठाया जाता है।हमें दूसरे प्रश्न द्वारा हिरासत में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति पर धारा 6 के प्रभाव से संबंधित है।न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लियाः

ग

डी.

"22-ए. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत वक्फ आयुक्त द्वारा वक्फ के सर्वेक्षण का पूरा उद्देश्य वक्फ बोर्ड को किसी राज्य में मौजूदा वक्फ के अस्तित्व के बारे में सूचित करना है, ताकि ऐसे सभी वक्फ को वक्फ बोर्ड की देखरेख और नियंत्रण में लाया जा सके।

ई.

23. जबकि उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के दायरे को निर्धारित करने में सही था, धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत वक्फ आयुक्त द्वारा और अधिनियम की धारा 27 के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा जांच के दायरे और दायरे को कम करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि थी।

25. अध्याय 2 के शीर्षक और धारा 4 के शीर्षक से कोई संदेह नहीं है कि आयुक्त मौजूदा वक्फों के बारे में केवल एक प्रारंभिक सर्वेक्षण करता है और उसके द्वारा तैयार वक्फों की सूची बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती है और न तो आयुक्त और न ही बोर्ड को संपत्ति के चरित्र के बारे में कोई जांच करने की आवश्यकता होती है।कहने का मतलब है, सर्वेक्षण करना केवल एक प्रशासनिक कार्य है न कि अर्ध-न्यायिक अधिनियम। लेकिन, बारीकी से जाँच करने पर, यह स्पष्ट है कि धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत किसी राज्य में मौजूदा वक्फ़ों का सर्वेक्षण करते समय, ए

जी.

एच.

569

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

उप-धारा (3) द्वारा आयुक्त से खंड (क) से खंड (च) में निर्दिष्ट कई मामलों के संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।बोर्ड, मुतवल्ली या वक्फ में रुचि रखने वाले व्यक्ति के बीच विवाद हो सकता है, (ए) वक्फ का अस्तित्व, यानी क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है, (बी) क्या वह शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ, (सी) वक्फ से जुड़ी संपत्ति की सीमा, (डी) वक्फ की प्रकृति और उद्देश्य, आदि के संबंध में। ऐसी जांच करते समय, आयुक्त को उप-धारा (4) द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल अदालत में निहित शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है, जिसमें किसी भी गवाह को बुलाने और परीक्षण करने के संबंध में, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की आवश्यकता होती है, किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग, किसी भी गवाह या खातों की जांच के लिए आयोग जारी करना, कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय जांच करना आदि। इन व्यापक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि उप-धारा (1) के तहत राज्य में मौजूदा वक्फों का सर्वेक्षण करते समय, उप-धारा (3) के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयुक्त जो जांच करता है, वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति की नहीं है, बल्कि धारा 6 की उप-धारा (1) के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के संबंध में अर्ध-न्यायिक प्रकृति की है।

ग

डी.

ई.

26. यह अभिनिर्धारित करना अतार्किक होगा कि राज्य में विद्यमान वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करते समय राज्य सरकार द्वारा धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त वक्फ आयुक्त को यह पूछताछ करने की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।यदि हम धारा 4 की उप-धारा (1) का उल्लेख कर सकते हैं, जहां तक सामग्री का संबंध है, तो यह पढ़ता हैः

च

“राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को राज्य में मौजूद वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से राज्य के लिए वक्फ आयुक्त नियुक्त कर सकती है।

जी.

यह स्पष्ट होगा कि "वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से" शब्द खंड के निर्माण की कुंजी हैं।"सर्वेक्षण" शब्द का सामान्य अर्थ, जैसा कि रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है, 'किसी स्थिति का सामान्य या व्यापक दृष्टिकोण लेना या मूल्यांकन करना' है।यदि वक्फ आयुक्त के पास सर्वेक्षण करने की शक्ति है, तो यह है

एच.

क.

यह निहित है कि इस तरह की शक्ति के प्रयोग में उसे यह पूछताछ करनी चाहिए कि क्या कोई वक्फ मौजूद है।इस तरह की जांच करना सर्वेक्षण करने की शक्ति का एक आवश्यक सहवर्ती है।उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह टिप्पणी करने में गलती की:

"उप-धारा (5) के अलावा धारा 4 या राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आयुक्त को किसी प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार है, यदि कोई उत्पन्न होता है, कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।"

27. हमारी राय है कि उप-धारा (1) के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने या उप-धारा (3) के खंड (ए) से (एफ) में निर्धारित कई मामलों की जांच और जांच करने की आयुक्त की शक्ति को उप-धारा (5) का सहारा लेकर कम नहीं किया जा सकता है।उच्च न्यायालय धारा 4 की उप-धारा (5) के वास्तविक निहितार्थ को समझने में पूरी तरह से गलत था।यह केवल यह बताता है कि यदि ऐसी किसी भी जांच के दौरान कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कोई विशेष वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ, और वक्फ के विलेख में इसकी प्रकृति के बारे में स्पष्ट संकेत हैं, तो विवाद का निर्णय ऐसे विलेख के आधार पर किया जाएगा।इसलिए, यह वक्फ विलेख को वक्फ की प्रकृति के बारे में निर्णायक बनाता है, चाहे वह शिया हो या सुन्नी वक्फ।हमारे विचार में, धारा 4 की उप-धारा (5) को इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए उप-धारा (1) में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि क्या कोई निश्चित संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।न ही यह उप-धारा (3) के कुछ खंडों में निहित कई मामलों की जांच में प्रवेश करता है।145. इसलिए, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि सर्वेक्षण करना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि इसे अर्ध-न्यायिक जांच द्वारा सूचित किया जाना है।यह भी कानून है कि सर्वेक्षणकर्ता के पास यह पता लगाने की शक्ति है कि क्या कोई विशेष संस्थान वक्फ है।आयुक्त को वास्तव में उन पहलुओं को भी निर्धारित करना है जिनका उल्लेख धारा 4 में विशेष रूप से किया गया है जिन पर हमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

ग

डी.

ई.

च

146. हम इस मोड़ पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर ध्यान देने का साहस कर सकते हैं।

जी.

"18. अगला सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड द्वारा तैयार और प्रकाशित वक्फों की सूची वैध है या अमान्य।सूची अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 2 के तहत तैयार और प्रकाशित की जाती है। यह नीचे लिखा है:

एच.

क.

(2) बोर्ड उप-धारा (1) के तहत उसे भेजी गई रिपोर्ट की जांच करेगा और आधिकारिक राजपत्र में राज्य में सुन्नी वक्फ या शिया वक्फ की एक सूची प्रकाशित करेगा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के समय अस्तित्व में हो या उसके बाद अस्तित्व में हो, जिससे रिपोर्ट संबंधित हो और जिसमें ऐसे अन्य विवरण हों जो निर्धारित किए जाएं।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली सूची अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आधारित है। जहाँ तक अधिनियम के तहत किए गए सर्वेक्षण का संबंध है, संयुक्त संसदीय समिति ने पाया कि सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था।संयुक्त संसदीय समिति की नौवीं रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुच्छेद 4,16,417,418 और 419 हमारी राय में प्रासंगिक हैं। वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

ग

4.16 वक्फ पर पहले की जे. पी. सी. ने 29.07.2003 पर प्रस्तुत अपनी आठवीं रिपोर्ट में उल्लेख किया कि बॉम्बे उपनगरीय जिले को छोड़कर सर्वेक्षण लगभग पूरा हो गया था।हालाँकि, समिति के दौरे के दौरान जनता के सदस्यों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि सर्वेक्षण कार्य ठीक से नहीं किया गया था और बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों को छोड़ दिया गया था।यह भी बताया गया कि वे संपत्तियां जो भौतिक रूप से मौजूद थीं और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ थीं, उन्हें भी मामूली आधार पर सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था।

डी.

ई.

यह पता चला कि राजस्व अभिलेखों में, वक्फ संपत्तियों का उल्लेख मुतवल्ली के नाम से या पट्टेदारों के नाम से किया गया था और उन्हें वक्फ संपत्तियों के रूप में नहीं दिखाया गया था, जिससे संपत्तियों की बिक्री आसान हो गई थी।यह भी बताया गया कि कोई भौतिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था और वक्फ संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए केवल मुतवल्ली को प्रोफार्मा भेजे गए थे।राज्य सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि वक्फ संपत्तियों की पहचान करने में त्रुटियां थीं।बाद में, राज्य सरकार ने सूचित किया कि बॉम्बे उप-शहरी क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और उन्होंने तत्कालीन समिति को सर्वेक्षण की गई वक्फ संपत्तियों की एक सूची प्रदान की।इस प्रकार प्राप्त सूचियों में प्रथम दृष्टया मराठवाड़ा क्षेत्र की संपत्तियों को दिखाया गया है; अन्य क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियां नगण्य थीं जो सच नहीं हो सकती हैं।स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तत्कालीन समिति ने सिफारिश की कि वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का सर्वेक्षण के लिए ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

च

जी.

एच.

क.

वक्फ संपत्तियों और अपनाई गई प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और सर्वेक्षण में त्रुटियों को सुधारने के उपाय के साथ जनता के लिए खुला रखा जाए।सर्वेक्षण आयुक्त को मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के बाद सभी वक्फ संपत्तियों का भौतिक सर्वेक्षण करना चाहिए।समिति ने आगे सिफारिश की कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, वक्फ संपत्तियों की सूचियों को अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार आधिकारिक राजपत्र में ठीक से प्रकाशित किया जाना चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की कि राजस्व अभिलेखों में वक्फों की प्रविष्टियां ठीक से की जानी चाहिए।

4.17 समिति ने अब पहले किए गए सर्वेक्षण में खामियों और सर्वेक्षण में त्रुटियों को ठीक करने के लिए पिछली समिति की सिफारिशों को देखते हुए जून, 2007 में अपनी यात्रा के दौरान सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति जानने की कोशिश की।मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि सरकार ने निपटान आयुक्त के माध्यम से सरकारी अधिसूचना दिनांक 01.12.1997 के माध्यम से सर्वेक्षण शुरू किया था।शिकायतों के बावजूद कि सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था और पिछली संयुक्त संसदीय समिति ने भी सरकार को फिर से सर्वेक्षण करने के लिए कहा था, यह अभी तक नहीं किया गया था।

ग

डी.

4.18 स्थिति को और स्पष्ट करते हुए, राज्य वक्फ बोर्ड ने जुलाई, 2008 में समिति को प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण की नवीनतम स्थिति देते हुए अपने नोट में कहाः

ई.

“वक्फों और उनकी संपत्तियों का सर्वेक्षण महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग अधिसूचना सं। डब्ल्यू. के. एफ.-1097/एल.-3/सी. आर. 95 दिनांक 01.12.1997 और सर्वेक्षण पूरा किया गया और सरकार को प्रस्तुत किया गया।इस प्रकार, संयुक्त संसदीय समिति की सातवीं रिपोर्ट की कार्यवाही प्राप्त होने से पहले सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था, जिसमें सर्वेक्षण को पारदर्शी तरीके से फिर से करने का सुझाव दिया गया था।अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है।

च

जी.

...पारदर्शी तरीके से नए सिरे से सर्वेक्षण करने का निर्णय राज्य सरकार के हाथ में है।"

4.19 समिति यह देखकर आश्चर्यचकित है कि उसे एक साल बाद भी वही जवाब मिला।पूछे जाने पर, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक विकास, महाराष्ट्र सरकार, ए

एच.

573

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

आई. डी. 1 पर दिए गए अपने मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति को आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण आयुक्त को सर्वेक्षण कार्य करने के लिए एक महीने के भीतर नियुक्त किया जाएगा।(जोर दिया गया) 19.इस प्रकार, संयुक्त संसदीय समिति ने सर्वेक्षण को दोषपूर्ण पाया।संयुक्त संसदीय समिति के निर्णय को राज्य सरकार ने 20 अक्टूबर, 2010 को अधिसूचना जारी करने के बाद स्वीकार कर लिया है।20 अक्टूबर, 201 ओ की अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा पुनः सर्वेक्षण का आदेश देने का कारण यह है कि "और जबकि संयुक्त संसदीय समिति को शिकायतें मिलीं कि सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था और इसलिए समिति ने 20 अक्टूबर, 201 ओ को राज्य सरकार को राज्य में वक्फों का पुनः सर्वेक्षण करने का निर्देश जारी किया।"20. इस प्रकार, राज्य सरकार के अनुसार भी सर्वेक्षण दोषपूर्ण था क्योंकि धारा 5 की उप-धारा 2 के तहत तैयार की गई वक्फ की सूचियां राज्य सरकार को 2002 में प्रस्तुत की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित थीं, जिसे राज्य सरकार ने स्वयं दोषपूर्ण पाया, एकमात्र संभव निष्कर्ष यह है कि वक्फ की सूचियां दोषपूर्ण हैं और इसलिए, हमारी राय में, उन सूचियों को अलग रखना उचित होगा, ताकि वक्फ बोर्ड द्वारा 20 अक्टूबर, 2010 की अधिसूचना द्वारा आदेशित पुनरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर नई सूचियां तैयार की जा सकें।"147. हम देख सकते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं।उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों में, उच्च न्यायालय ने यह नहीं पाया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।इसे ऐसा मामला नहीं बनाया गया है जहां अधिकार क्षेत्र की पूरी तरह से कमी हो।ये प्रारंभिक टिप्पणियां करने के बाद, हम रिट याचिकाओं में लगाए गए कुछ आरोपों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैंः

ग

डी.

ई.

च

“11. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह देखा जा सकता है कि वक्फ पर लागू मुस्लिम कानून के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया वक्फ भी सार्वजनिक न्यास की परिभाषा में शामिल है, जैसा कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 की धारा 2

(13) में निहित है।इसलिए, सामान्य कानून के तहत मुस्लिम कानून के विभिन्न स्कूलों से संबंधित मुस्लिम बसने वालों द्वारा बनाए गए कई मुस्लिम न्यास हैं और उन्होंने न्यासियों की नियुक्ति की है और उनमें न्यास की संपत्ति निहित की है।लेकिन ये सभी मुसलमान जनता

जी.

एच.

क.

सामान्य कानून के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक न्यास के रूप में बनाए गए दान/दान भी चैरिटी आयुक्त के साथ 'बी' श्रेणी में पंजीकृत हैं।वास्तव में मुस्लिम वक्फों द्वारा उन पर लागू मुस्लिम पर्सनल लॉ स्कूल के अनुसार बनाए गए कई वक्फ हैं और वे चैरिटी कमिश्नर के कार्यालय द्वारा 'बी' श्रेणी में भी पंजीकृत हैं।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उपरोक्त न्यास सामान्य कानून के अनुसार सार्वजनिक न्यास हैं और उपरोक्त न्यासों के बसने वालों पर लागू मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों के अनुसार वक्फ नहीं हैं और चैरिटी आयुक्त के कार्यालय द्वारा "बी" श्रेणी के तहत पंजीकृत हैं।"

ग

“12. वक्फ अधिनियम, 1995 के लागू होने पर चैरिटी आयुक्त के कार्यालय के लिए ऐसे मुस्लिम वक्फों को मुस्लिम न्यासों से विभाजित करना आवश्यक हो गया है।इस तरह की कवायद करने के बजाय चैरिटी आयुक्त ने "बी" श्रेणी में पंजीकृत सभी दानों/दानों को मुस्लिम वक्फ के रूप में माना और 24 जुलाई, 2003 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें 2003 का सं. 307 था, जिसके तहत उसने अपने कार्यालय को किसी भी मुस्लिम सार्वजनिक न्यास के साथ अभ्यास या सौदा नहीं करने का निर्देश दिया।उक्त परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 43 के अनुसार, सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत वक्फों पर बॉम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा की जा सकती है।इस परिपत्र के जारी होने के बाद चैरिटी कमिश्नर का कार्यालय इनकार करता है!मुस्लिम पब्लिक ट्रस्ट, जो इसके साथ पंजीकृत हैं, के संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।'जी' और 'जी-1' के रूप में संलग्न और चिह्नित हस्तलेख 24 जुलाई, 2003 के परिपत्र की प्रतियां हैं, जिन पर चैरिटी आयुक्त द्वारा इसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ 2003 का सं. 307 जारी किया गया है।” “14. आधार बताने से पहले यह अल है।यह इंगित करना इतना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 1 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना के अनुसार सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति की है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा मौजूदा मुस्लिम ट्रस्टों/वक्फों को कोई नोटिस दिए बिना कथित सर्वेक्षण किया गया है।याचिकाकर्ताओं को पता चला है कि कई मुस्लिम न्यासों/वक्फों ने सर्वेक्षण आयुक्त के साथ पत्राचार किया है और रिकॉर्ड में लिखा है कि सर्वेक्षण आयुक्त ने कथित सर्वेक्षण के बारे में मौजूदा मुस्लिम न्यासों/वक्फों को कोई नोटिस नहीं दिया है और सर्वेक्षण आयुक्त ए.

डी.

ई.

च

जी.

एच.

मुस्लिम न्यासों/वक्फों की पहचान करने में प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना चाहिए।हेरितो संलग्न और प्रदर्शनी 'I' के रूप में चिह्नित 14 अगस्त, 2003 को ऐसे ही एक न्यास द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति है। अंजुमन-ए-सलाम।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सर्वेक्षण आयुक्त यानी प्रतिवादी संख्या 3 ने 22 अगस्त, 2003 को अपने पत्र द्वारा अंजुमन-ए-सलाम को सूचित किया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 को 31 जनवरी, 2002 को या उसके आसपास दो सेटों में प्रस्तुत की है। हेरिटो संलग्न और 'जे' और 'जे-1' के रूप में चिह्नित 22 अगस्त 2003 के पत्र की एक प्रति है, जिसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अंजुमन-ए-लसलाम को लिखा गया है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके न्यासों को कथित सर्वेक्षण के बारे में सर्वेक्षण आयुक्त से किसी भी तरह की सूचना नहीं मिली है और याचिकाकर्ता के न्यासों को इस मामले में अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है।"148. रिट याचिका से जिसे हम प्रमुख मामले के रूप में मान रहे हैं, शिकायत के बारे में हमारी समझ को पकड़ा जाना चाहिए।रिट याचिकाकर्ता बहुत जागरूक थे कि सर्वेक्षण चल रहा था।नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे।नोटिसों को काउंटर में चिह्नित किया गया है

ग

डी.

शपथ पत्र।

149. हम 2011 के एसएलपी (सी) संख्या 31288 में प्रतिवादी संख्या 4 के जवाबी हलफनामे से पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने चैरिटी आयुक्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चल रहे सर्वेक्षण के बारे में बात की थी।सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त आयुक्त द्वारा लिखे गए एक पत्र का भी संदर्भ है जिसमें एक रिट याचिकाकर्ता को सूचित किया गया है कि सर्वेक्षणकर्ता पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुका है।इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस प्रकाशित किए गए थे।प्रतिवादियों के वकील को दी गई प्रतियों के साथ इस न्यायालय के अवलोकन के लिए नोटिस उपलब्ध कराए गए थे।हमने उन नोटिसों को पढ़ा है।वे नोटिस उन संस्थानों से प्रतिक्रिया प्राप्त करते प्रतीत होते हैं जो वक्फ थे।इस मामले को देखने का एक तरीका इस मामले में विशिष्ट विवाद के संदर्भ में है।जब रिट याचिकाकर्ता यह तर्क दे रहे थे कि वे वक्फ नहीं हैं, बल्कि 1950 के अधिनियम द्वारा शासित सार्वजनिक न्यास हैं, तो वे कह सकते थे कि वे नोटिसों से प्रभावित नहीं थे।150. वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उस रुख को अपनाया है क्योंकि वे वक्फ बोर्ड और चैरिटी आयुक्त के बीच बातचीत के बारे में बोलने के तरीके से जागरूक थे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे कानूनी रूप से सख्ती से कह सकते हैं कि उन्हें नोटिस पर नहीं रखा गया है।वे वास्तव में तर्क दे सकते हैं क्योंकि बॉम्बे पूर्ववर्ती वक्फ अधिनियम के दायरे में नहीं था

ई.

च

जी.

एच.

क.

1954, उनके संस्थान संभवतः उक्त अधिनियम के तहत जांच के दायरे में नहीं हो सकते थे। इसलिए, वे ऐसे संस्थान हैं जिन पर अधिक विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।इससे भी अधिक, जब उनका यह दावा होता है कि हालांकि वे लोक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, और वे इस कारण से पंजीकृत नहीं हैं कि वे वक्फ थे, लेकिन वे पंजीकृत थे क्योंकि वे सार्वजनिक न्यास थे और दोनों के बीच अंतर को रेखांकित किया जाता है।

151. हम पहले ही देख चुके हैं कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसे वक्फ हैं जिन्हें सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया है।उनका तर्क है कि वे वक्फों में शामिल नहीं थे।सर्वेक्षण आयुक्त के समक्ष जांच लगभग पाँच साल तक चली।यह सच है कि सर्वेक्षण आयुक्त, जिन्होंने स्पष्ट रूप से 1954 के वक्फ अधिनियम को ध्यान में रखा है, जो हालांकि, औरंगाबाद मंडल में शामिल और मराठवाड़ा क्षेत्र में गठित केवल छह जिलों पर लागू होता है और उन्होंने राजस्व अधिकारियों से जानकारी एकत्र की होगी।यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि धारा 5 (2) के तहत सूची के प्रकाशन के माध्यम से संपत्ति को वक्फ माना जाता है, तो पिछली सरकार ने भी राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियां करने के लिए आधार बनाने वाली सूची पर विचार किया था।इसलिए, राजस्व अधिकारियों से सामग्री एकत्र करने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

152. अब, हमें प्रारंभिक सर्वेक्षण के प्रभाव पर उच्चारण करने से पहले सूची के बारे में उस पहलू से भी निपटना चाहिए जिसे 13.11.2003 पर लाया गया है।

ई.

153. वह सूची जिसे अपीलार्थी बोर्ड द्वारा अंतिम सूची के रूप में चिह्नित किया गया है, 13.11.2003 पर प्रकाशित की गई है।यह बॉम्बे क्षेत्र और दूसरे से संबंधित था।हम सोचेंगे कि अपीलार्थी के मामले को ध्यान में रखते हुए कि यह वास्तव में अंतिम था।इसका मतलब है कि अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, धारा 6 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष इसकी शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है।रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाओं के साथ उच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प चुना है।इसके बाद जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।एक रिट याचिका के कारण कई रिट याचिकाएं दायर की गईं जैसा कि हमने देखा है।हालाँकि, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि रिट याचिकाओं का कारण क्या था।चुनौती केवल सूची के लिए नहीं रखी गई थी।04.01.2002 पर बोर्ड के निगमन को चुनौती दी गई थी।समान रूप से, चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी स्पष्टीकरण जिसमें उन्होंने अधिनियम के लागू होने के कारण सार्वजनिक न्यासों के संबंध में अपने कार्यों को अस्वीकार करने की मांग की थी, को चुनौती दी गई थी।वक्फ बोर्ड का गठन भी चुनौती का विषय था।

च

जी.

एच.

577

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

154. रिट याचिकाएं दायर करने के बाद, 11.08.2004 पर एक बैठक आयोजित की गई थी और हम पहले ही इस फैसले के पैराग्राफ 6 में विचार-विमर्श निकाल चुके हैं।

155. इसके बाद 29.10.1994 और 16.02.2005 दिनांकित संचार का आदान-प्रदान होता है।30.12.2004 पर वक्फों की एक और सूची प्रकाशित की गई थी।

दिनांकित 30.12.2004 सूची बॉम्बे और अन्य क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के संबंध में प्रकाशित की गई थी जो दिनांकित 13.11.2003 सूची का विषय था।

156. हम पहले ही बता चुके हैं कि 09.03.2005 और 05.05.2005 पर क्या हुआ था।हम मामले के सार को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा 13.11.2003 और 30.12.2004 पर प्रकाशित सूचियों के खिलाफ शिकायतें की गईं। जबकि उसी के संबंध में रिट याचिकाएं लंबित थीं, सरकार के तत्वावधान में दो मंत्री, चैरिटी आयुक्त, वक्फ बोर्ड के दो सदस्य

और अन्य, कुछ व्यवस्थाएं की गईं।चूंकि मुख्य शिकायत उन रिट याचिकाकर्ताओं के संबंध में थी जिन्होंने इस आधार पर शरण ली थी कि वे 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास थे और उन्होंने तर्क दिया था कि वे वक्फ नहीं थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि वक्फ के रूप में माने जाने वाले सार्वजनिक न्यासों की पहले की संख्या में से, बॉम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत मुस्लिम सार्वजनिक न्यासों को वक्फ की श्रेणी से बाहर कर दिया जाना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक न्यास के रूप में माना जाना चाहिए।हालाँकि, इसे अधिनियम की धारा 40 के तहत शक्ति की उपलब्धता के अधीन बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, जबकि सूची अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत बॉम्बे पर प्रकाशित की गई थी और अन्य क्षेत्रों के संबंध में एक अन्य सूची बॉम्बे पर प्रकाशित की गई थी, इसमें हस्तक्षेप किया गया और पहले शुद्धिपत्र के माध्यम से संक्षिप्त किया गया, जो इससे पहले की बैठकों पर कार्य करता है, जिनमें से उल्लेखनीय है बोर्ड द्वारा दिनांकित संकल्प।हमने सोचा होगा कि मामला वहीं खत्म हो जाएगा।हालाँकि, मामलों को और अधिक जटिल बनाने के लिए, अन्य घटनाक्रम थे और उन्हें बाद की कार्यवाही में कैद किया जाता है जो 09.06.2006 और 31.07.2006 पर हुई और अंत में, याचिकाकर्ता दिनांकित 19.05.2006 की कार्यवाही द्वारा अपनी स्थिति की स्वीकृति होने का दावा करेंगे और इससे अधिक क्या है जिसे 25.04.2007 पर जारी की गई अधिसूचना द्वारा ओवरराइड करने की मांग की गई थी।अंतिम-उल्लिखित संचार द्वारा, बोर्ड ने 13.11.2003 की सूची को 23.10.2008 अधिसूचना द्वारा और भी आगे बहाल करने का इरादा किया-13.11.2003 और 30.12.2004 पर प्राप्त स्थिति को बहाल करने की मांग की गई थी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

157. अब हमारे लिए मुकदमेबाजी और विवादित फैसले पर अधिक ध्यान देने के साथ मामले पर विचार करने का समय आ गया है।उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करने का इरादा किया है।अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि अधिनियम के तहत एक उपाय प्रदान किया गया है, जिसका नाम है, किसी व्यथित व्यक्ति को न्यायाधिकरण से संपर्क करने का अधिकार।न्यायाधिकरण वक्फ से संबंधित परेशान करने वाले मुद्दों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।यह एक न्यायाधिकरण है जिसका गठन विशेष रूप से उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।केवल सूची के प्रकाशन से कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा होता है।यहां तक कि सूची के प्रकाशन को भी अस्वीकार कर दिया जाता है, वक्फ अन्यथा शामिल होते हैं।जहाँ तक अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का संबंध है, जब किसी पक्ष के पास कोई उपाय है, विशेष रूप से, हमें इस न्यायालय के एक बहुत ही हाल के फैसले पर उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ एच. पी. 15.

ग

इसमें, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:"27. कानून के जो सिद्धांत उभरते हैं वे हैं:

27.1.संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।

डी.

27.2.उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार नहीं करने का विवेकाधिकार है।उच्च न्यायालय की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों में से एक वह है जहां पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

ई.

27.3.वैकल्पिक उपचार के नियम के अपवाद उत्पन्न होते हैं जहाँः(क) संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है; (ख) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है; (ग) आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना हैं; या (घ) किसी विधान के अधिकारों को चुनौती दी गई है।

च

27.4.एक वैकल्पिक उपाय अपने आप में उच्च न्यायालय को एक उपयुक्त मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों से वंचित नहीं करता है, हालांकि सामान्य रूप से, एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जब कानून द्वारा एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय प्रदान किया जाता है।

जी.

27.5.जब किसी कानून द्वारा कोई अधिकार बनाया जाता है, जो स्वयं अधिकार या दायित्व को लागू करने के लिए उपाय या प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो उसे लागू करने से पहले उस विशेष वैधानिक उपाय का सहारा लेना चाहिए।

15 (2021) 6 एससीसी 771 ए

एच.

579

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपाय।वैधानिक उपचारों के समाप्त होने का यह नियम नीति, सुविधा और विवेक का नियम है।

27.6.ऐसे मामलों में जहां तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, उच्च न्यायालय एक रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।हालाँकि, यदि उच्च न्यायालय का निष्पक्ष रूप से यह विचार है कि विवाद की प्रकृति के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की आवश्यकता है, तो इस तरह के दृष्टिकोण में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।"

158. हमने देखा है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें न्यायालय ने पाया हो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।सर्वेक्षण में हस्तक्षेप करने के मामले में, अदालत के साथ अनिवार्य रूप से उसी से JPC.Apart की रिपोर्ट का वजन है, हम निर्णय में कुछ और नहीं पा रहे हैं जो दिनांकित 13.11.2003 सूची को अलग करने का आधार है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि बोर्ड के गठन से संबंधित पहलू एक और मामला है।यह स्पष्ट रूप से ऐसा मामला नहीं है जहां अधिकार क्षेत्र का पूर्ण अभाव है क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि सर्वेक्षण आयुक्त को सर्वेक्षण करने का अधिकार नहीं था।

ग

डी.

159. यह कुछ महत्व का मामला है।13.11.2003 और 31.12.2004 पर सूची जारी होने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, वे इसे सामान्य मामलों से अलग करते हैं।हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि किन कारणों से यह हमारे लिए एक रहस्य बना रहेगा, सरकार ने बैठक बुलाने की जिम्मेदारी खुद पर ली; एक समिति का गठन किया गया जिसे द्विभाजन समिति के रूप में वर्णित किया गया।समिति ने रिट याचिकाकर्ताओं के तर्क में योग्यता देखी।चैरिटी कमिश्नर को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।इसके बाद अजीब तरह से उन सूचियों के प्रकाशन के बाद, जिन्हें 13.11.2003 और 30.12.2004 पर धारा 5

(2) के तहत अंतिम सूची होने का दावा किया जाता है, सूची दिनांकित 05.05.2005 प्रकाशित की जाती है और इसे एक अन्य अंतिम सूची के रूप में भी वर्णित किया जाता है।इन सभी सूचियों को अंततः 25.04.2007 और 23.10.2008 की अधिसूचनाओं के आधार पर समाप्त करने की मांग की गई है।

ई.

च

जी.

160. इस मोड़ पर, हमें निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा लगातार प्रचारित किया गया है:"सर्वेक्षण आयुक्त ने महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने इसे महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड औरंगाबाद को भेज दिया।

एच.

580

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

विचार-विमर्श के बाद 27 सितंबर 2003 को आयोजित बैठक में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 5 (2) के तहत वक्फ की सूची प्रकाशित करने का संकल्प लिया गया और तदनुसार सरकार। राजपत्र 13 नवंबर 2003 को प्रकाशित हुआ था।इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अपने पत्र संख्या वक्फ-10/2002 सीआर-1/एल-3 दिनांक 19 अगस्त 2003 के माध्यम से चैरिटी कमिश्नर मुंबई से प्राप्त ट्रस्ट की एक सूची भेजी।इन्हें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 43 के अनुसार भी शामिल किया गया है जो सरकार में प्रकाशित है। महाराष्ट्र राज्य में राजपत्र अतिरिक्त सामान्य।"

161. इसका मतलब यह है कि रिट याचिकाकर्ताओं का मामला काफी हद तक उस यांत्रिक तरीके पर आधारित है जिसमें चैरिटी आयुक्त से सार्वजनिक न्यासों की सूची प्राप्त होने पर वक्फ बोर्ड ने उन्हें वक्फ के रूप में अधिसूचित किया है।धारा 5 (2) वक्फ बोर्ड द्वारा जांच करने या तरीके की जांच करने के बारे में बताती है।इसे निश्चित रूप से एक पल की बात के रूप में दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।वास्तव में, सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट रखने का पूरा विचार, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा स्वयं यह तर्क देने के लिए प्रचार किया गया है कि सर्वेक्षण आयोजित होने से पहले ही वक्फ बोर्ड पर बहुत विचार किया जाता है, यह है कि उसे धारा 5 के तहत रिपोर्ट की जांच करने के अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए, इससे पहले कि यह अंततः प्रकाशित हो।

ग

डी.

162. ऐसा प्रतीत होता है कि इस आधार पर कि 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी मुस्लिम सार्वजनिक न्यासों को वक्फ माना जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड उन सभी को वक्फ के रूप में अधिसूचित करने के लिए आगे बढ़ा है।यही विचार-विमर्श का विषय बना जिसमें सरकार, वक्फ बोर्ड और चैरिटी कमिश्नर शामिल थे।तदनुसार, द्विभाजन समिति के रूप में वर्णित समिति के तत्वावधान में उन सार्वजनिक न्यासों को समाप्त करने के प्रयास किए गए जो वक्फ की चार दीवारों के भीतर नहीं आते थे और उन्हें धर्मनिरपेक्ष न्यास मानते थे।काफी हद तक, उनके दावे वास्तविक होने की पुष्टि 09.03.2005 पर प्रस्ताव के नंगे पारित होने से होती है।05.05.2005 पर एक नई सूची प्रकाशित की गई थी।

ई.

च

163. अब, हम, अंत में घोषणा करने से पहले, बोर्ड के गठन के संबंध में उत्तरदाताओं-लिखित याचिकाकर्ताओं के तर्क पर भी ध्यान दे सकते हैं।धारा 14 बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है।हम पहले ही प्रावधानों को स्वीकार कर चुके हैं।यह विवाद में नहीं है कि जब बोर्ड का गठन 04.01.2002 पर किया गया था, तो केवल चार सदस्य थे।चारों सदस्यों को नामित किया गया था।चार में से दो सदस्यों को स्पष्ट रूप से संसद सदस्य की श्रेणी में नियुक्त किया गया था, क्योंकि दोनों राज्यसभा के थे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मामला है कि उनमें से ए

जी.

एच.

581

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

अर्थात्।, थिएटर पर्सन शबाना आज़मी ने भी एक शिया सदस्य के बिल को फिट किया।हमें इस तथ्य से अनजान नहीं होना चाहिए कि धारा 14 (5) में विचार किया गया है (2013 के अधिनियम 27 द्वारा प्रावधान हटा दिया गया है) कि एक समग्र बोर्ड में एक शिया सदस्य होना चाहिए।04.01.2002 के बाद और 13.11.2002 से पहले, बोर्ड में कुल सात सदस्य थे, जिनमें पहली अधिसूचना में अधिसूचित चार सदस्य भी शामिल थे, क्योंकि 13.11.2003 से पहले तीन और सदस्यों की नियुक्ति की गई थी।एक और व्यक्ति को 13.11.2003 पर नियुक्त किया गया था जो उत्तरदाताओं के अनुसार अधिनियम की धारा 14 (5) का पालन करने का प्रयास था।, पहली बार, एक शिया सदस्य ने बोर्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।यह एक ऐसा पहलू है जिसे न केवल संविधान को चुनौती देने के लिए बल्कि 13.11.2003 की सूची के प्रकाशन पर हमला करने के लिए एक आधार के रूप में प्रचारित किया गया था।हमारे सामने जो तर्क दिया गया था और अभी भी बना हुआ है, वह यह है कि बोर्ड ने 13.11.2003 से पहले ही सूची को अधिसूचित करने का निर्णय लिया था।, 27.09.2003 पर।इसलिए जहां तक सूची का संबंध है, आठवें सदस्य की नियुक्ति से पहले बोर्ड स्वयं आई. डी. 1 के बाद कार्यात्मक अधिकारी बन गया था।

ग

164. बोर्ड में कम से कम सात सदस्य होने चाहिए।धारा 14 में अधिकतम 13 सदस्यों का विचार किया गया है।बोर्ड में न केवल कम से कम सात सदस्य होने चाहिए, बल्कि उन्हें विशिष्ट श्रेणियों से भी लिया जाना चाहिए।अंत में, रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि उन्हें उन श्रेणियों से नहीं लिया गया है जो निर्दिष्ट की गई हैं, बोर्ड का गठन निषेधाज्ञा का उल्लंघन था, जिसका लोकतांत्रिक आधार है।, कि धारा 14 (1) (बी) (i-IV) के तहत निर्वाचित सदस्यों को नामित सदस्यों से अधिक होना चाहिए।इसका अपवाद तब होता है जब अधिनियम की धारा 14 (3) में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए बोर्ड द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

डी.

ई.

165. अपीलार्थियों का उत्तर स्पष्ट रूप से यह है कि जो भी दोष हो, वे अधिनियम की धारा 22 द्वारा संरक्षित हैं, जिसके तहत, किसी भी रिक्ति या नियुक्ति में किसी भी दोष के बावजूद, धारा घोषणा करती है कि यह बोर्ड के कार्यों की अयोग्यता का कारण नहीं बनेगी।166. अंत में निष्कर्ष निकालने से पहले हम कुछ अन्य पहलुओं से निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे।हमें अधिनियम की धारा 40 के प्रभाव पर विचार करना नहीं छोड़ना चाहिए। धारा 40 वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 27 से मेल खाती है। धारा 40 (2) के साथ पठित धारा 40 (1) बोर्ड को जानकारी मांगने और यह पता लगाने की शक्ति प्रदान करती है कि क्या कोई वक्फ संपत्ति मौजूद है और क्या वह सुन्नी या शिया वक्फ है।धारा 40 (2) में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण के निर्णय के अधीन, जिसका पीड़ित पक्ष सहारा ले सकता है, बोर्ड का निर्णय अंतिम है।धारा 40 (3) है

च

जी.

एच.

क.

इस न्यायालय के समक्ष विवाद के लिए और भी अधिक प्रासंगिक।इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 40 के तहत एक जांच होनी चाहिए जिसे बोर्ड द्वारा उचित माना जा सकता है, धारा 40 (3) पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह बोर्ड को बहुत बड़ी शक्तियां देता है।यह तब शक्ति प्रदान करता है जब बोर्ड के पास 'विश्वास करने के कारण' होते हैं।'विश्वास करने के कारण' अभिव्यक्ति निर्णयों के एक समूह का विषय रही है और इसके अर्थ को जानने के लिए किसी भी प्राधिकरण के संदर्भ की आवश्यकता नहीं है और हम ऐसा करने का साहस नहीं करते हैं।

167. इसलिए हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि जब बोर्ड के पास, कानूनी रूप से, यह मानने का कोई कारण है कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत किसी भी न्यास की कोई संपत्ति या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी सोसायटी या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी न्यास की संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो बोर्ड को कुछ शक्तियां और जिम्मेदारी दी जाती है।बोर्ड को उन कानूनों में से किसी में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उक्त संपत्ति के संबंध में जांच करने की शक्ति प्राप्त है।उक्त संपत्ति को किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति के रूप में समझा जाना चाहिए जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत इस मामले में पंजीकृत है क्योंकि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम किसी भी अन्य कानून के रूप में योग्य होगा।जांच के आयोजन से पहले उस प्राधिकरण को प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना दी जानी चाहिए जिसके द्वारा न्यास या सोसायटी को पंजीकृत किया गया है।इसे न्यास या न्यासियों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड को चैरिटी आयुक्त को प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना देनी चाहिए क्योंकि यह 1950 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण है, जो उस अधिनियम की धारा 18 के तहत एक सार्वजनिक न्यास को पंजीकृत या पंजीकृत करता है।

ग

डी.

ई.

168. धारा 40 में विचार किया गया है कि बोर्ड 'यदि संतुष्ट है' कि संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो वह ट्रस्ट से या तो अधिनियम के तहत 'ऐसी संपत्ति' को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने या कारण बताने के लिए कहता है कि ऐसी संपत्ति को इस तरह से क्यों पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।इस खंड के पहले हिस्से में, यह धारणा जुटाई जा सकती है कि ट्रस्ट या सोसायटी को अधिनियम के तहत संपत्ति को पंजीकृत करने के लिए सीधे निर्देश दिया जा सकता है और उन्हें कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।हम इसे उस क़ानून के लोप के रूप में मानेंगे जिसे सामान्य कानून के न्याय द्वारा भरा जाना चाहिए।, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत वास्तव में लागू होंगे।यह ट्रस्ट को पंजीकृत करने वाले प्राधिकरण को नोटिस जारी करने के अलावा है।धारा 40 (3) में विचार किया गया है कि बोर्ड का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के अधीन अंतिम होगा।इस खंड को निम्नलिखित संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

च

जी.

एच.

क.

169. जब संसद ने 1995 में अधिनियम बनाया, तो उसे पता था कि वह वक्फ अधिनियम 1954 को निरस्त कर देगी।वक्फ अधिनियम की धारा 40 एक प्रावधान है जो पहले के अधिनियम की धारा 27 के अनुरूप है। संसद को उन कानूनों के बारे में पता होना चाहिए जो क़ानून की पुस्तक में हैं।वास्तव में, यह माना जाना चाहिए कि संसद को उन सभी आवश्यक तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए जो एक कानून को जीवन देंगे और इसे व्यवहार्य, निष्पक्ष और उचित बना देंगे।इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि संसद को यह पता होना चाहिए कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जैसे कानून क़ानून की पुस्तक में थे।यह पता होना चाहिए कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत विचार की गई सार्वजनिक ट्रस्ट की परिभाषा ने अपने व्यापक वक्फ को अपने दायरे में ले लिया है।वास्तव में, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 28 दिमाग में आती है।1950 के अधिनियम की धारा 28 में यह विचार किया गया था कि जो संस्थान 1950 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले वक्फ थे, उन्हें धारा 28 के तहत सार्वजनिक न्यास माना जाएगा और उक्त कानून के तहत उन्हें सार्वजनिक न्यास माना जाएगा।जहां तक 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य सार्वजनिक न्यासों का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हम पहले ही देख चुके हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यास और वक्फ के बीच अंतर है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय किया जाने वाला विषय है कि क्या 1950 के अधिनियम के अर्थ के भीतर प्रत्यक्ष रूप से न्यास क्या है, वह वास्तव में वक्फ है।

ग

डी.

170. हमें यहां स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में धारा 40 (3) में क्या कहा गया है कि यदि बोर्ड के पास यह मानने का कारण है कि किसी भी न्यास की संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो वह जांच कर सकता है और ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति पा सकता है।

ई.

171. इस संबंध में, हम देख सकते हैं कि 1950 के अधिनियम की धारा 30 सार्वजनिक न्यास की संपत्ति की बिक्री के लिए पूर्व मंजूरी पर विचार करती है।हम यह दर्ज कर सकते हैं कि हम इस प्रावधान से थोड़ा हैरान और भ्रमित हैं।यह हम इस कारण से महसूस करते हैं कि वक्फ के मामले में संपत्ति सर्वशक्तिमान को जाती है और इसे सार्वजनिक न्यास की संपत्ति के रूप में माना जाता है, इस विचार के साथ कि संपत्ति भी सर्वशक्तिमान में निहित है।लेकिन हमें उस मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाता है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस तथ्य के बावजूद कि 1950 का अधिनियम अधिनियमित किया गया है और मुस्लिम सार्वजनिक न्यासों को श्रेणी बी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जो कि मुस्लिम सार्वजनिक न्यासों के लिए एक श्रेणी है, उक्त न्यास की संपत्ति जैसा कि धारा 40 (3) में वर्णित है, उचित जांच के बाद वक्फ की संपत्तियों के रूप में पाई जा सकती है।हम इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

च

जी.

172. जहाँ तक धारा 43 का संबंध है, यह वक्फ़ों के मानित पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।इसका अर्थ निकाला जा सकता है। यह आदेश देता है कि

एच.

क.

अध्याय में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले कोई वक्फ पंजीकृत किया गया है, वहां उस समय लागू किसी कानून के तहत, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे पंजीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया माना जाना चाहिए।

173. इसलिए, विद्वान वकील, श्री अनिल अंतुरकर ने धारा 43 में गैर-अस्थाई खंड को प्रश्नगत अध्याय तक ही सीमित रखने का उल्लेख किया।, अध्याय V जो पंजीकरण का प्रावधान करता है।दूसरे शब्दों में, यह अपनी सीमाओं को पार नहीं करता था और पहले के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता था जो अध्याय II में शामिल थे। धारा 43 के प्रभाव को निम्नानुसार आंका जा सकता हैः

ग

174. चूंकि अधिनियम की धारा 2 के तहत, अधिनियम प्रत्येक वक्फ पर लागू होता है, चाहे वह अधिनियम के लागू होने से पहले हो या बाद में, इसका मतलब है कि अधिनियम में परिभाषित वक्फ जो कुछ भी है, जो किसी भी समय किया जाता है, चाहे वह 01.01.1996 से पहले या बाद में हो, अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए [धारा 36 देखें]।पंजीकरण का उद्देश्य वक्फों को सक्षम प्राधिकारी की कड़ी जांच के दायरे में लाना है, चाहे वह बोर्ड हो या कार्यकारी अधिकारी।वक्फों के विधान का पूरा इतिहास विधायिका की इस धारणा को दर्शाता है कि जो संपत्ति धर्मार्थ, धार्मिक और पवित्र उद्देश्यों के लिए सर्वशक्तिमान को समर्पित है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए।मुतावल्लियों और अन्य लोगों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए जो संपत्ति से निपट सकते हैं और इस तरह, संस्थापक के मूल उद्देश्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं।लोक कल्याण के लिए क्या उपयोग किया जाएगा, चाहे वह कुछ मामलों के लिए किसी समुदाय के वर्गों का भी हो, सभी को अधिनियम में प्रावधान के अनुसार इसके तहत शामिल किया जाएगा।

डी.

ई.

175. यह इस धारणा के साथ है कि हमें धारा 43 को देखना चाहिए और उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में बोर्ड के निगमन के खिलाफ तर्क के दौरान धारा 43 का भी उल्लेख किया है कि यह केवल पंजीकरण के लिए प्रावधान करता है।हम सोचेंगे कि इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि सक्षम निकायों द्वारा वक्फ के नियंत्रण और विनियमन की दिशा में पंजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

च

जी.

176. 1950 के अधिनियम की धारा 79 इस प्रकार प्रदान करती हैः

“79. सार्वजनिक न्यास संपत्ति के रूप में संपत्ति का निर्णयः- (1) कोई भी प्रश्न, कि क्या कोई न्यास मौजूद है या नहीं और ऐसा न्यास एक सार्वजनिक न्यास है या विशेष संपत्ति ऐसे न्यास की संपत्ति है, का निर्णय उप या सहायक दान आयुक्त या दान ए द्वारा किया जाएगा।

एच.

585

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

इस अधिनियम द्वारा उपबंधित अपील में आयुक्त. (2) उप या सहायक चैरिटी आयुक्त या चैरिटी आयुक्त का निर्णय, जैसा भी मामला हो, तब तक अंतिम और निर्णायक होगा जब तक कि आवेदन पर न्यायालय के निर्णय या अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा अलग नहीं किया जाता है।"

यह डिप्टी या सहायक चैरिटी आयुक्त के पास इस मुद्दे पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है कि क्या कोई ट्रस्ट मौजूद है और क्या ऐसा ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट है या कोई विशेष संपत्ति ऐसे ट्रस्ट की संपत्ति है।वक्फ अधिनियम, 1995 के आगमन के साथ, अधिनियम की धारा 40 के तहत शक्तियों को वक्फ बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो निश्चित रूप से उन मामलों के संबंध में प्रबल होना चाहिए जो उसमें प्रदान किए गए हैं।

ग

177. यह हमें एक अन्य पहलू की ओर ले जाता है जिसका हमारे सामने प्रचार किया गया है।अधिनियम की धारा 112 में निरसन का प्रावधान है।हमारे सामने इस बात को लेकर ज्यादा विवाद नहीं है कि धारा 112 के निरसन के आधार पर 1950 के अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सार्वजनिक न्यासों से संबंधित है जो वक्फ हैं।चैरिटी कमिश्नर, वास्तव में, जब उसने स्पष्टीकरण जारी किया जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, तो शुरू में केवल यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 43 के अनुसार वक्फ जो सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत हैं, उन पर 1950 के अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। जहाँ तक चैरिटी आयुक्त की यह समझ वर्तमान में हम जो संकेत देंगे, उसके अधीन है, हम यह विचार रखेंगे कि न्यास और वक्फ के बीच अंतर है।हम पहले ही मतभेदों पर प्रकाश डाल चुके हैं। विभिन्न विशेषताओं के संदर्भ में और कानून का पालन करने के बाद इसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या सार्वजनिक न्यास के रूप में जो पंजीकृत है वह वास्तव में वक्फ है या नहीं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1950 के अधिनियम की धारा 28 के तहत एक प्रावधान के रूप में पंजीकृत सभी सार्वजनिक न्यासों को अनिवार्य रूप से वक्फ माना जाएगा।यह इस सिद्धांत पर है कि एक बार वक्फ बनाए जाने के बाद जब तक कि राज्य द्वारा प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति के प्रयोग के माध्यम से शीर्षक को समाप्त नहीं किया जाता है, सर्वशक्तिमान की उपाधि हालांकि निहितार्थ से समाप्त नहीं हो सकती है।हम इस स्थिति को अन्यथा बता सकते हैं कि एक बार वक्फ होने पर, हमेशा वक्फ।

डी.

ई.

च

जी.

178. हम प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण के पहलू पर एक पल के लिए भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।न ही हम उस प्रश्न में जा रहे हैं जो अधिनियम की धारा 107 के परिणामस्वरूप उठाया जा सकता है, जिसके द्वारा कब्जे की वसूली के मुकदमे के संबंध में सीमा अधिनियम लागू नहीं किया गया है, लेकिन अन्यथा, हमें यह मानना चाहिए कि इस तरह के बिना

एच.

क.

विशेष रूप से, वक्फ जारी रहेगा और यह शाश्वत, अविभाज्य और अपरिवर्तनीय रहेगा।इसलिए, जो कभी 1950 के अधिनियम से पहले वक्फ था, यदि यह अधिनियम के प्रारंभ के साथ 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो ऐसा सार्वजनिक न्यास अनिवार्य रूप से वक्फ अधिनियम, 1995 के दायरे में आएगा।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल अंतुरकर ने बताया कि ऐसे वक्फ धारा 43 के अंतर्गत आते हैं और उन्हें पंजीकृत माना जाएगा।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम के पारित होने से इसके तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यासों के संबंध में अधिकारियों की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो वक्फ नहीं हैं।

179. अब, हम अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए तथ्यों पर अपनी चर्चा फिर से शुरू कर सकते हैं।हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप किया है।जिस निर्णय का हमने उल्लेख किया है, उसे ध्यान में रखते हुए शायद यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को पक्षकारों को न्यायाधिकरण में भेजने की बेहतर सलाह दी जाती।हालाँकि, इसके कुछ पहलू हैं। सबसे पहले, हम देख सकते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां चुनौती केवल सूचियों या सर्वेक्षण को दी गई थी।बल्कि हमने देखा है कि बोर्ड को शामिल करने और उसके गठन को ही चुनौती दी गई थी।चैरिटी कमिश्नर की कार्यवाही को भी चुनौती दी गई थी।जिन निर्णयों पर आपत्ति जताई गई थी, उन पर न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्णय नहीं लिया जा

सकता था। दूसरा पहलू जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वह यह है कि जैसा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र या शक्ति प्रदान करता है।यह संविधान के तहत एक शक्ति है।हालांकि यह सच हो सकता है कि एक क़ानून एक वैकल्पिक मंच प्रदान कर सकता है जिसके लिए उच्च न्यायालय एक उपयुक्त मामले में पक्षकार को खारिज कर सकता है, एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व स्वयं संविधान के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर नहीं कर सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक स्व-लागू प्रतिबंध रहा है जिसका उच्च न्यायालयों द्वारा काफी ईमानदारी से पालन किया जाता है और यह काफी हद तक विवेकाधिकार का मामला है।हम पाते हैं कि ऐसे निर्देश हैं जिनमें कहा गया है कि एक वैकल्पिक उपचार के आधार पर, एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।हम समझेंगे कि यह स्थिति कि एक संवैधानिक उपचार को बाधित या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो यह अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र की कमी का मामला नहीं हो सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब उच्च न्यायालय कुछ सिद्धांतों के संदर्भ में सीमाओं से बाहर भटकते हैं, जैसा कि निर्णय में निर्धारित किया गया है, जिसका हमने उल्लेख किया है, तो इसे ठीक किया जा सकता है।एक अन्य कारक जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि जिस मामले में उच्च न्यायालय ने किसी मामले पर विचार किया है और मामला अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र में इस न्यायालय में सुनवाई के लिए आता है, हमारी परेशानियां लंबे समय तक बढ़ जाती हैं जैसा कि इस मामले के तथ्यों से पता चलता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

587

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

उच्च न्यायालय का फैसला वर्ष 2011 में दिया गया था।यह न्यायालय एक दशक से अधिक समय के बाद इस मामले की सुनवाई कर रहा है।रिट याचिकाएँ दायर किए जाने के लगभग दो दशक बाद यह न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

180. हम जमीनी वास्तविकताओं से पूरी तरह से अनजान नहीं हो सकते हैं और हमें कानूनी स्थिति पर अपनी राय भी देनी चाहिए।

हम इस स्थिति को समझ गए हैं कि एक बार बोर्ड के आशीर्वाद से एक सूची प्रकाशित होने के बाद, 'रिपोर्ट' की जांच करने के तरीके से रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, इसमें हस्तक्षेप केवल धारा 6 में दिए गए समय के भीतर एक उचित रूप से गठित कार्यवाही में न्यायाधिकरण के निर्णय पर आधारित है।इस मामले में यदि हम अन्यथा निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि हमें दिनांकित 13.11.2003 और 30.12.2004 सूचियों को पुनर्स्थापित करना होगा। हालाँकि, जमीन पर स्थिति पहले ही बताई जा चुकी है।, रिट याचिकाओं को दाखिल करना, एक द्विभाजन समिति का गठन, विभिन्न कार्यवाहियां, कई न्यासों का बहिष्कार जिन्हें मूल सूचियों से सार्वजनिक न्यास के रूप में वर्णित किया गया है और उनकी बहाली।फिर भी एक और विकास जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वह यह है कि सरकार ने स्वयं जे. पी. सी. की रिपोर्ट के आधार पर 20.10.2010 पर पुनः सर्वेक्षण का आदेश दिया।इस न्यायालय द्वारा 2012 में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। 181.हालाँकि, राज्य के विद्वान वकील श्री राहुल चिटनिस यह इंगित करेंगे कि 20.10.2010 की कार्यवाही को बाद में 06.12.2016 की अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया है।बाद की कार्यवाहियों द्वारा, धारा 4 (6) के अर्थ के भीतर एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।182. एक ओर, हमने रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर ध्यान दिया है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था।हमने समिति के गठन में अवैधता के आधार पर उनके मामले पर भी ध्यान दिया है।विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा कई दोषों की ओर इशारा किया गया जैसा कि सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है।इनमें शिया वक्फ को सुन्नी माना जाता है और बोहरात्रस्त को सुन्नी वक्फ माना जाता है।यह शिकायत की जाती है कि धारा 4 के विपरीत संपत्तियों की आय का खुलासा नहीं किया गया है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

183. हम उन विकल्पों को स्पष्ट करते हैं जो हमारे सामने उपलब्ध हैं।यह अपीलार्थी का मामला है कि वक्फ संपत्तियों को सख्ती से और कानूनी रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है।हालाँकि, 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास हैं जो वास्तव में वक्फ हैं जो 1950 के अधिनियम की धारा 28 के तहत आते हैं। उन्हें निस्संदेह केंद्रीय अधिनियम के दायरे में आना चाहिए।, वक्फ अधिनियम, 1995।इसके विपरीत भी कहा जाना चाहिए और

एच.

क.

उजागर किया गया।; 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत एक मुस्लिम सार्वजनिक न्यास को अधिनियम के तहत वक्फ होने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित रूप से इस न्यायालय के निर्णयों की अटूट रेखा के विपरीत होगा जो सभी मुस्लिम सार्वजनिक न्यासों को एक ही रंग से रंगने और उन्हें वक्फ के रूप में प्राप्त करने के लिए दो श्रेणियों के बीच इस तरह के विभाजन पर विचार करता है।हालाँकि, हमने वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 3 (ए) में संशोधन के प्रभाव के संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट किया है।

184. इस मोड़ पर हमें एक अंतरिम आदेश पर ध्यान देना चाहिए जो इस न्यायालय द्वारा 2012 (6) एस. सी. सी. 328 में रिपोर्ट किया गया है।उक्त आदेश पर रिट याचिका के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस आधार पर बहुत अधिक निर्भरता मांगी गई थी कि यह कानून की स्थिति को स्वीकार करता है।

ग

नवाब ज़ैन यार जंग (मृत होने के बाद से) और अन्य बनाम बंदोबस्ती निदेशक और अन्य (ऊपर) में सिद्धांत और यह कि यह अन्यथा है

कानून को सही ढंग से व्यक्त करता है।दूसरी ओर, अपीलार्थी यह इंगित करेंगे कि यह केवल एक अंतरिम आदेश है और इस न्यायालय को मुद्दों का विश्लेषण करने में रोक नहीं सकता है।

डी.

185. एक ओर, अपीलार्थियों का मामला यह है कि उत्तरदाताओं को दिनांक 1 या 3 की कार्यवाही द्वारा सूची में शामिल किए जाने के खिलाफ न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जबकि उत्तरदाताओं का मामला यह है कि यदि यह न्यायालय हस्तक्षेप करता है, तो न्यायालय 2 की कार्यवाही को सही मान सकता है और उच्च न्यायालय के फैसले में अन्यथा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

ई.

186. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुचवाला ने तर्क दिया कि जहां तक धारा 40 के तहत कार्यवाही का संबंध है, धारा 97 के तहत बोर्ड को बाध्यकारी निर्देश देने की शक्ति उपलब्ध है।धारा 97 सरकार को अपने कार्यों के निर्वहन के मामले में बोर्ड को निर्देश

जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।धारा 32 बोर्ड की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है।यह सच हो सकता है कि जब बोर्ड धारा 32 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करता है तो यह धारा 97 की छाया में आ सकता है।बोर्ड बाध्य हो सकता है लेकिन जहां तक धारा 40 का संबंध है, यह एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है क्योंकि यह एक ऐसी कार्यवाही है जिसमें बोर्ड द्वारा यह पता लगाने के लिए जांच की जानी है कि क्या ट्रस्ट की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति के रूप में माना जाना है।यह नोटिस जारी करने पर विचार करता है, अन्यथा प्राकृतिक न्याय का अवसर प्रदान करता है जैसा कि हमारे द्वारा संकेत दिया गया है।यह अभिनिर्धारित करना कि बोर्ड किसी भी तरह से किसी भी निर्देश से बाध्य होगा, या तो संपत्ति को वक्फ के रूप में माने जाने के पक्ष में या अन्यथा धारा 40 की सही सीमाओं की सही समझ नहीं हो सकती है।

च

जी.

एच.

589

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला और ओआरएस।

क.

187. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, हम सोचेंगे कि प्राप्त करने की स्थिति में, विशेष रूप से, इतने लंबे समय के बाद, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

188. जहाँ तक बोर्ड के निगमन का संबंध है, हमने पाया है कि यह त्रुटिपूर्ण नहीं है।

इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय इस हद तक कि वह दिनांकित 04.01.2002 अधिसूचना को दरकिनार कर देता है, अस्थिर पाया जाता है।उच्च न्यायालय ने विवादित फैसलों के माध्यम से, 13.11.2003 और 30.12.2004 की सूचियों को अलग कर दिया है।

ग

189. हम इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर नहीं हो सकते कि बोर्ड में सात सदस्य थे और धारा 22 भी अमान्य होने के खिलाफ ढाल के रूप में काम करती प्रतीत होती है।

190. द्विभाजन समिति के गठन और विभिन्न कार्यवाहियों के रूप में दिनांक 1 और 2 की सूची के प्रकाशन के बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए, हम उत्तरदाताओं के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि मामला फिर से सर्वेक्षण आयुक्त के पास जाना चाहिए, जिन्हें द्विभाजन समिति की कार्यवाही को देखने के लिए कहा जाना चाहिए।

डी.

ई.

191. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि द्विभाजन समिति का गठन और उसके बाद की विभिन्न कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाहियां नहीं प्रतीत होंगी जो पूरी तरह से अधिनियम के दायरे में आती हैं।क़ानून के खिलाफ बहिष्कार या बराबरी की याचिका भी नहीं हो सकती है।

192. लेकिन, साथ ही, यह प्रतीत होता है कि जहां तक 1950 के अधिनियम के तहत पंजीकृत एक मुस्लिम सार्वजनिक न्यास के वास्तविक उद्देश्य का संबंध है, चैरिटी आयुक्त और वक्फ बोर्ड दोनों वास्तव में गलतफहमी के तहत आगे बढ़ रहे थे।

च

193. ऐसी परिस्थितियों में, हम निम्नलिखित अपीलों का निपटारा करते हैंःअपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।

जी.

04.01.2002 की अधिसूचना को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है।

जहाँ तक दिनांकित 13.11.2003 और 30.12.2004 सूचियों का संबंध है, हम निम्नलिखित निर्देशों के अधीन उक्त सूचियों को बनाए रखते हैंः

एच.

590

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

जहाँ तक उच्च न्यायालय में रिट याचिकाकर्ताओं/हमारे समक्ष प्रतिवादियों का संबंध है, जिन्हें 1950 के अधिनियम के तहत सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया है और जिनके मामलों को द्विभाजन समिति द्वारा समर्थित पाया गया है, दिनांकित 13.11.2003 और 30.12.2004 सूचियों को अलग कर दिया जाएगा।हालाँकि, हम निर्देश देते हैं कि उनके संबंध में, बोर्ड उनके मामलों को ऐसे उठाएगा जैसे कि मामले को उस स्तर पर निपटाया जा रहा है जब उन्हें धारा 5 (1) के तहत रिपोर्ट दी गई थी और उन्हें अवसर देने के बाद उनके मामले की जांच करेगा।बोर्ड उन्हें एक अवसर देगा और निर्णय लेगा और यदि वे वक्फ पाए जाते हैं, तो बोर्ड के लिए वक्फ की एक सूची प्रकाशित करने/उनका सम्मान करने के लिए भी खुला रहेगा।

इसके अलावा, यह आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर वक्फ बोर्ड से संपर्क करने वाले प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ताओं पर सशर्त बनाया गया है।

ग

जो लोग आठ सप्ताह की अवधि के भीतर संपर्क नहीं करते हैं, वे अपना अधिकार खो देंगे और हम यह स्पष्ट करते हैं कि दिनांकित 13.11.2003 या 30.12.2004 सूची में उनका समावेश बहाल हो जाएगा और इसे अंतिम माना जाएगा।

डी.

इसके अलावा, हम निर्देश देते हैं कि उपरोक्त अवधि के भीतर बोर्ड से संपर्क करने वालों के संबंध में, बोर्ड कार्यवाही को समाप्त करेगा और आवेदन करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर तेजी से निर्णय लेगा।

ई.

हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश उन लोगों के लाभ के लिए नहीं होगा जो उस श्रेणी में आते हैं जिनके खिलाफ न्यायाधिकरण पहले ही निर्णय ले चुका है और उन्हें वक्फ पाया है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे संस्थान अपने स्वयं के उपचार तैयार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।पिछले 10 वर्षों से संचालित 11.05.2012 का अंतरिम आदेश बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने तक काम करेगा।

च

हम यह स्पष्ट करते हैं कि निर्णय किसी भी तरह से उस शक्ति को कम नहीं करेगा जो वक्फ बोर्ड को धारा 40 के तहत या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस मामले के लिए उपलब्ध है।

दल अपना-अपना खर्च उठाएंगे।

जी.

बिभूति भूषण बोस

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.